सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस) 1.5 की आईटी लेखापरीक्षा

संघ सरकार

(राजस्व विभाग - सीमा शुल्क)

वर्ष 2023 की संख्या 14

GAURAV RAI

Digitally signed by GAURAV RAI
Date: 2023.07.20 15:00:34 +05'30'

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस) 1.5 की आईटी लेखापरीक्षा

संघ सरकार

राजस्व विभाग- अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क)

वर्ष 2023 की संख्या 14

.....को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा गया।

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
प्राक्कथन		i
कार्यकारी सार		iii
सिफारिशें		viii
शब्दावली		xi
अध्याय 1:	भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस): एक विहंगावलोकन	1
अध्याय 2:	लेखापरीक्षा परिणाम: कोर आईसीईएस	21
अध्याय 3:	अन्य अनुप्रयोगों के साथ इंटरफेस	51
अध्याय 4:	आईटी अभिशासन और प्रबंधन	65
अनुलग्नक		81

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस 1.5) की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि को शामिल करते हुए दिसंबर 2020 से मई 2022 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है।

कार्यकारी सार

आईटी लेखापरीक्षा के बारे में

सीमा शुल्क कम्प्यूटरीकरण परियोजना 1992 में भारत सरकार की इकाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से देश भर के कई सीमा शुल्क कार्यालयों में शुरू की गई थी, जब विस्तृत अध्ययन के बाद, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) की आवश्यकता महसूस की गई थी। प्रायोगिक परियोजना वर्ष 1994-95 में दिल्ली सीमा शुल्क कार्यालय में शुरू की गई थी, जिसमें ईडीआई को सीमा शुल्क कार्यालय के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल सभी व्यापारियों को जोड़ने के लिए एक प्रमुख तत्व के रूप में शामिल किया गया था। दिल्ली सीमा शुल्क कार्यालय में सफल कार्यान्वयन के बाद, सीमा शुल्क विभाग ने वर्ष 1997-98 से चरणबद्ध तरीके से अन्य सीमा शुल्क कार्यालय में सेवा का विस्तार करने का निर्णय लिया।

आईसीईएस को मुख्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया था जिसके माध्यम से आयात और निर्यात दस्तावेज अर्थात बिल्स ऑफ एंट्री (बीई), शिपिंग बिल (एसबी), आयात सामान्य घोषणा पत्रों (आईजीएम) और निर्यात सामान्य घोषणा पत्रों (ईजीएम) को संसाधित किया जाना था। यह सभी आने वाले संदेशों को प्राप्त और संसाधित करता है और निकासी प्रक्रिया के उचित चरण में स्वचालित रूप से सभी जाने वाले संदेशों को सृजित करता है।

आईसीईएस को इसकी स्थापना के बाद से एनआईसी की मदद से विकसित किया गया है और यह इसके रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है। नई दिल्ली में प्रणाली और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) को आईसीईएस के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। प्रारंभ में, आईसीईएस 1.0 अनुप्रयोग को अलग-अलग वातावरण (विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग सर्वर) में विकसित और कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2009-10 के दौरान, आईसीईएस 1.0 अनुप्रयोग को संचालक आधारित संरचना से त्रीस्तरीय संरचना में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस संस्करण को आईसीईएस 1.5 के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के डेटाबेस समेकन के तहत वर्तमान केंद्रीकृत संरचना में परिनियोजित किया गया है।

तदनुसार, सीमा शुल्क आईसीटी प्रणालियों और आईसीईएस अनुप्रयोग को विभाग की परिचालन आवश्यकताओं और सीमा शुल्क अधिनियम और संबद्ध अधिनियमों, नियमों और विनियमों में परिवर्तन के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया गया है। यद्यपि वर्ष 2009-10 से मुख्य आईसीईएस अनुप्रयोग को विकेंद्रीकृत से केंद्रीकृत वातावरण में स्थानांतरित कर दिया गया है, बाद में, अंतर्निहित आईसीटी बुनियादी ढांचे, कार्य प्रवाह, डेटा हस्तांतरण और भंडारण, सुरक्षा आदि में कई बदलाव हुए।

आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग की आईटी लेखापरीक्षा दिसंबर 2020 से मई 2022 के दौरान वर्ष 2015-16 से 2019-2020 की अवधि को शामिल करते हुए की गई थी। लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र का उद्देश्य आयात और निर्यात मॉड्यूल की कार्यात्मकता, अन्य आईटी अनुप्रयोगों जैसे डीजीएफटी, सेज, बैंक, आरबीआई आदि के साथ इंटरफेस और आईटी अभिशासन के मुद्दे जैसे - संगठन और प्रबंधन, आईटी शासन और प्रबंधन, और परिवर्तन प्रबंधन की प्रभावशीलता की जांच करना है।

कार्याक्षमताओं की जांच के लिए, लेखापरीक्षा का ध्यान वर्ष 2015 से 2020 के दौरान आईसीईएस अनुप्रयोग में जोड़े गए प्रमुख परिवर्तनों / नई कार्याक्षमताओं पर अधिक था।

इस लेखापरीक्षा में आईसीईएस 1.5 पर सीएजी के प्रतिवेदन (वर्ष 2014 की संख्या 11) में सूचित किए गए पिछले लेखापरीक्षा परिणामों पर की गई कार्रवाई की पुनः जांच की गई और यह देखा गया कि विभाग ने पहले की कई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों/सिफारिशों का समाधान करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि पिछले कुछ लेखापरीक्षा के अभियुक्तियां/सिफारिशें अपनी प्रासंगिकता खो चुकी थीं और इस प्रकार सीमा शुल्क अधिनियम और संबद्ध अधिनियमों, नियमों और विनियमों में परिवर्तन के कारण निरर्थक हो गई थीं।

(i) लेखापरीक्षा ने वर्ष 2000-01 (वर्ष 2002-सीमा शुल्क की प्रतिवेदन संख्या 10) में पहली बार सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम की समीक्षा की। यह समीक्षा, अधिप्राप्ति और सॉफ्टवेयर के विकास पर केंद्रित थी।

(ii) आईसीईएस 1.0 की वर्ष 2008 (वर्ष 2009-10 सीमा शुल्क की पीए प्रतिवेदन संख्या 24) में फिर से समीक्षा की गई, जो मुख्य रूप से यह सत्यापित करने के लिए थी कि क्या इसने सीमा शुल्क अधिनियम और संबद्ध नियमों और विनियमों की प्रक्रियाओं और प्रावधानों को प्रभावी ढंग से मानचित्रित किया था या नहीं।

(iii) आईसीईएस 1.5, मूल आईसीईएस 1.0 का एक उन्नत संस्करण जून 2009 से विभिन्न सीमा शुल्क स्थानों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया था। उन्नत संस्करण यानी आईसीईएस 1.5 की लेखापरीक्षा वर्ष 2013 में की गयी थी और इसके परिणाम निष्कर्ष सीएजी की वर्ष 2014 की प्रतिवेदन संख्या 11 (निष्पादन लेखापरीक्षा) में सूचित किए गए थे।

पिछली लेखापरीक्षा में उस समय लागू नियमों/अधिनियमों के अनुसार, प्रणालीगत मुद्दों और प्रणाली में विभिन्न कारोबारी नियमों को बनाने में कमियों से जुड़े कुछ मुद्दों को इंगित किया गया था।

पिछले लेखापरीक्षा परिणामों पर की गई कार्रवाई/वर्तमान स्थिति का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन को चार अध्यायों में विभाजित किया गया है। अध्याय 1 भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस) का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है और इस 'आईसीईएस 1.5 की आईटी लेखापरीक्षा' के आयोजन हेतु उपयोग किए जाने वाले लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र, नमूना, लेखापरीक्षा मानदंड और लेखापरीक्षा पद्धति को इंगित करता है। अध्याय 2, 3 और 4 इस आईटी लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों को शामिल करते हैं। इस प्रतिवेदन में उप-पैराग्राफ सहित 24 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और 16 सिफारिशें शामिल हैं। 20 अभ्युक्तियों के लिए प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 15 को पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया

गया है और पांच को स्वीकार नहीं किया गया है। चार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

लेखापरीक्षा परिणामों का सार

अध्याय 2: कोर आईसीईएस

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(क) आईसीईएस आयात मॉड्यूल में कुछ सत्यापन नियंत्रणों की कमी के परिणामस्वरूप (i) विलंब शुल्क गलत तरीके से उदग्रहित, संगृहीत और छोड़ दिया गया, (ii) अधिसूचना 46/2011-सीमा शुल्क के तहत शुल्क का कम/अधिक उदग्रहण, (iii) आयात के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्य चालन, (iv) आवक प्रविष्टि की तिथि से पहले दर्ज बीई के मामले में शुल्क लगाने के संबंध में आईसीईएस में नियंत्रण की कमी और (v) बीई स्तर और वस्तु स्तर पर उद्गम देश समान नहीं है,

(ख) आईसीईएस निर्यात मॉड्यूल में सत्यापन की कमी के कारण (i) आरआईटीसी (निर्यात सत्यापन) के साथ डीबीके की क्रम संख्याओं का गैर संरेखीकरण (ii) निर्यात की गई वस्तुओं के ऋणात्मक एफओबी मूल्य की स्वीकृति,

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 74 के तहत शिपिंग बिलों और प्रतिअदायगी दावों का आंशिक स्वचालन,

(घ) आरएमएस निर्यात मॉड्यूल के लिए निकासी पश्च लेखापरीक्षा के कार्यान्वयन में देरी,

(ङ) आईजीएम को बंद करने का गैर-स्वचालन,

(च) प्रतिदाय प्रक्रिया का गैर-स्वचालन,

(छ) दोहरे भुगतान के मामले में शुल्क का स्वत: वापस न होना,

(ज) समय विमोचन अध्ययन (टीआरएस) समिति के प्रतिवेदन 2022 की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रतिक्रियाएं प्रतीक्षित थी।

अध्याय 3: अन्य अनुप्रयोगों के साथ इंटरफेस

आईसीईएस को बैंकों के साथ जोड़ने, आरबीआई निर्यात बकाया विवरण (एक्सओएस) डेटा/सावधानी सूची को आईसीईएस के साथ साझा करने और सीमा शुल्क आईसीईएस के साथ एसईजेड ऑनलाइन के एकीकरण, के संबंध में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य हितधारकों के आईटी अनुप्रयोगों का आईसीईएस के साथ इंटरफेस पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

अध्याय 4: आईटी अभिशासन और प्रबंधन

लेखापरीक्षा में आईसीईएस अनुप्रयोग के शासन और प्रबंधन में कमियां देखी गईं, विशेष रूप से (i) सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं विनिर्देश (एसआरएस) और सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज़ (एसडीडी) के अदयतन, (ii) उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिकाओं का अदयतन न करने, (iii) निर्देशिका परिवर्तन प्रबंधन, (iv) संरचनात्मक परिवर्तन प्रबंधन और (v) सहायता केंद्र और अंतिम उपयोगकर्ता सहायता प्रणाली में।

सिफारिशें

1. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विलंब शुल्क लगाने, संग्रह करने और माफ करने के संबंध में आईसीईएस में आवश्यक सत्यापन जांच लागू की जाए, विधिवत मैप की जाए और सही तरीके से काम किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विलंब शुल्क छोड़ने के मामले में, कारण भी दर्ज किए गए है।

(पैराग्राफ 2.2.1)

2. मंत्रालय को आईसीईएस में आवश्यक सत्यापन जांच सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि सीमा शुल्क दरें छूट अधिसूचनाओं के साथ पठित देश कोड के आधार पर सही ढंग से परिलक्षित हों, न कि केवल स्व-घोषणा पर आधारित।

(पैराग्राफ 2.2.2)

3. मंत्रालय को आईसीईएस में उचित सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन मामलों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा बिल ऑफ एंट्री को जांच के लिए लिया जाता है, जांच प्रतिवेदन से संबंधित फील्ड शून्य नहीं होना चाहिए।

(पैराग्राफ 2.2.3)

4. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिसूचनाओं को समय पर और अनिवार्य रूप से प्रभावी तिथि से पहले अद्यतन किया जाए। डीएमएस साइटों द्वारा अपडेशन में देरी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और देरी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। डीएमएस साइटों को मौजूदा एसओपी का पालन करना चाहिए और इसे डीजी (सिस्टम) द्वारा सत्यापित और सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 2.2.4)

5. मंत्रालय को आईसीईएस निर्यात मॉड्यूल में आवश्यक सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बीमा और माल ढुलाई में कटौती के बाद भी एफओबी मूल्य नकारात्मक न हो।

(पैराग्राफ 2.3.2)

6. निकासी पश्च लेखापरीक्षा (पीसीए) के लिए शिपिंग बिलों के चयन के लिए निर्यात में आरएमएस को जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके पारदर्शिता और लक्ष्य बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 2.5)

7. विनिमय दर के दैनिक अद्यतन के लिए मॉडयूल को जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए।

(पैराग्राफ 2.6)

8. मंत्रालय आवश्यक कदम उठाए ताकि आईसीईएस में दर्ज आईजीएम इलेक्ट्रॉनिक रूप से बंद कर दिया जाए और सभी सामानों का विधिवत लेखांकन किया जाए। सभी खुले आईजीएम को मैन्युअल रूप से बंद करने के प्रयास भी किए जाएं। मंत्रालय को आईजीएम को बंद करने के लिए एक समय सीमा भी तय करनी चाहिए और निर्धारित करनी चाहिए क्योंकि अनुचित देरी / गैर-समाधान राजस्व रिसाव के जोखिम से भरा है।

(पैराग्राफ 2.7)

9. मंत्रालय प्रतिदाय को संकलित और संसाधित करने के लिए ऑनलाइन कार्यप्रवाह रखने पर विचार कर सकता है ताकि विभाग इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन बीई पर नज़र रखने में सक्षम हो, जिनके सापेक्ष प्रतिदाय दिया गया है। इससे प्रतिदाय मामलों की निगरानी को अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी हो जाएगी।

(पैराग्राफ 2.8)

10. मंत्रालय समयबद्ध तरीके से आईसीईएस और आइसगेट के बीच चालान/वेयरहाउस विवरण साझा करने के लिए एपीआई के विकास में तेजी ला सकता है।

(पैराग्राफ 3.2)

11. मंत्रालय निर्यात आय प्राप्ति की प्रभावी निगरानी के लिए चूक वाले मामलों की पहचान करने के लिए सीबीआईसी द्वारा तैयार की गई सावधानी सूची के साथ आरबीआई एक्सओएस डेटा के साथ मानचित्रित/प्रति-सत्यापित किया जा सकता है।

(पैराग्राफ 3.3)

12. मंत्रालय को सेज संचालन (एक्सिम और डीटीए लेन-देन दोनों) की बेहतर निगरानी और सेज में व्यापार सुगमता के लिए सेज ऑनलाइन को आईसीईएस के साथ यथाशीघ्र एकीकृत करना चाहिए।

(पैराग्राफ 3.4)

13. एसआरएस और एसडीडी को तत्काल अद्यतन करने के अलावा, मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एसआरएस और एसडीडी को नियमित अंतराल पर अद्यतित रखा जाए ताकि अनुप्रयोग में किए गए सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाया जा सके।।

(पैराग्राफ 4.1.1)

14. आवश्यकताओं के संचय से बचने के लिए परिवर्तनों के अनुरूप उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका का अद्यतन नियमित रूप से समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 4.1.2)

15. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी परिवर्तन प्रबंधन के साइन ऑफ के समय प्रोटोकॉल का ठीक से और पूरी तरह से पालन किया जाए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे परिवर्तनों के परीक्षण और अनुमोदन सहित सभी परिवर्तनों को ठीक से प्रलेखित किया गया हो।

(पैराग्राफ 4.2.2)

16. मंत्रालय निर्धारित करे:

(क) शिकायतों को निपटान करने या आगे बढ़ाने के लिए समय सीमा,

(ख) टिकटों के उपयोगी/उपयुक्त विवरणों के साथ समाधान के लिए औसत समय, जिसमें अनावश्यक रूप से लंबा समय लगता है, को दर्ज किया जाए और निगरानी की जाए।

(पैराग्राफ 4.3)

शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षर	विस्तारित रूप
एसीसी	हवाई माल परिसर
एडीजी	अपर महानिदेशक
एडीडी	प्रतिपाटन शुल्क
एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिग इंटरफेस
बीसीडी	मूल सीमा शुल्क
बीई	बिल ऑफ एंट्री
बीआरसी	बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सीसीआर	अनिवार्य अनुपालन अनिवार्यताएँ
सीईटीएच	केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रशुल्क शीर्षक
सीजीएम	कंसोल जनरल मेनिफेस्ट
सीएचए	सीमा शुल्क हाउस एजेंट
सीआईएफ	लागत, बीमा, भाड़ा
सीआईएस	सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली
सीआरसीएल	केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला
सीए	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
सीओओ	उद्गम देश
सीटीएच	सीमा शुल्क प्रशुल्क शीर्षक
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीजीएआरएम	विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय
डीजीसीआईएस	केंद्रीय आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय
डीजीओएस/डीजी सिस्टम्स	प्रणाली और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशक
डीजीओवी	मूल्यांकन महानिदेशक
डीएमएस	निर्देशिका प्रबंधन साइट
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
डीटीआर मॉड्यूल	दैनिक व्यापार प्रतिफल मॉड्यूल

संकेताक्षर	विस्तारित रूप
डीबीके	प्रतिअदायगी शुल्क
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज
ईजीएम	सामान्य निर्यात घोषणापत्र
ईडीपीएमएस	निर्यात डाटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली
ईडीडी	अतिरिक्त शुल्क जमा
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफटीए	विदेश व्यापार करार
जीएसटीएन	माल और सेवा कर नेटवर्क
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसगेट	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईजीएसटी	एकीकृत माल और सेवा कर
आईजीएम	सामान्य आयात घोषणापत्र
एलईओ	निर्यात आदेश दें
एमसीडी	घोषणापत्र निकासी विभाग
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमईआईएस/एसईआईएस	भारतीय से पण्य/सेवा निर्यात योजना
एनसीटीएफ	व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईसीएसआई	निगमित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा
एनएसीआईएन	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी
एनसीएच	नया सीमा शुल्क हाउस
ओओसी	प्रभार मुक्त
पीएओ	वेतन और लेखा कार्यालय
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीजीए	भागीदार सरकारी एजेंसी
पीआरएस	पीयर समीक्षा साइट
प्रा.सीसीए	प्रधान मुख्य लेखानियंत्रक
पीसीसीसी	व्यक्तिगत सीमा शुल्क निकासी कोड

संकेताक्षर	विस्तारित रूप
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
आरओएसएल	राज्य करों में छूट
आरआईटीसी	संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण
एससीएमटीआर	समुद्री कार्गो घोषणापत्र और यानांतरण विनियम
एसआरएस	सॉफ्टवेयर अनिवार्यताएँ विशिष्टता
एसडीडी	सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज़
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रियाएं
सेज	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसबीएस	शिपिंग बिल
सीआईओएन	मानक इनपुट आउटपुट मानदंड
एसक्यूएल	संरचित प्रश्न भाषा
टीआरएस	समय विमोचन अध्ययन
यूएटी	उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण
यूटीआईआईटीएसएल	यूटीआई अवसंरचना तकनीक एवं सेवा लिमिटेड
डब्ल्यूएच	वेयरहॉउस
एक्सओएस	निर्यात बकाया विवरण

अध्याय 1

भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस): एक विहंगावलोकन

1. प्रस्तावना

सीमा शुल्क कम्प्यूटरीकरण परियोजना, एक विस्तृत अध्ययन के बाद इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) की आवश्यकता महसूस होने पर, भारत सरकार की एक इकाई-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से देश भर के कई सीमा शुल्क कार्यालयों में वर्ष 1992 में आरंभ की गई थी। यह प्रायोगिक परियोजना वर्ष 1994-95 में दिल्ली सीमा शुल्क कार्यालय में आरंभ की गई थी, जिसमें ईडीआई को सीमा शुल्क कार्यालय के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल सभी व्यापारियों को जोड़ने के लिए एक प्रमुख भाग के रूप में शामिल किया गया था। दिल्ली सीमा शुल्क कार्यालय में सफल कार्यान्वयन के बाद, सीमा शुल्क विभाग ने वर्ष 1997-98 से चरणबद्ध तरीके से अन्य सीमा शुल्क कार्यालयों में सेवा का विस्तार करने का निर्णय लिया।

1.1 भारतीय सीमा शुल्क स्वचालन में घटकों के रूप में तीन प्रमुख प्रणालियां हैं:

1.1.1 भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस)

आईसीईएस को मुख्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया था, जिसके माध्यम से आयात और निर्यात दस्तावेजों अर्थात बिल ऑफ एंट्री (बीई), शिपिंग बिल (एसबी), आयात सामान्य घोषणा पत्र (आईजीएम) और निर्यात सामान्य घोषणा पत्र (ईजीएम) पर कार्रवाई की जानी थी। यह सभी आवक संदेशों को प्राप्त और संसाधित करता है और निकासी प्रक्रिया के उचित चरण पर स्वचालित रूप से सभी जावक संदेशों को सृजित करता है।

आईसीईएस को इसकी स्थापना के बाद से एनआईसी की सहायता से विकसित किया गया है और एनआईसी इसके अनुरक्षण के लिए भी उत्तरदायी है। नई दिल्ली में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) में सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी (सिस्टम)) को आईसीईएस के

कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। प्रारंभ में, आईसीईएस 1.0 अनुप्रयोग को अलग-अलग वातावरण (विभिन्न स्थानों पर अलग सर्वर) में विकसित और कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2009-10 के दौरान, आईसीईएस 1.0 अनुप्रयोग को मेजबान आधारित अवसंरचना से त्रिस्तरीय अवसंरचना में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस संस्करण को आईसीईएस 1.5 के रूप में संदर्भित किया जाता है और सीबीआईसी के डेटाबेस समेकन के अंतर्गत वर्तमान केंद्रीकृत अवसंरचना में परिनियोजित किया गया है।

जून 2012 में, सीबीआईसी, एनआईसी और निगमित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा (एनआईसीएसआई - भारत सरकार की इकाई) के बीच एक नए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सहमति हुई थी। एमओयू 2012 के अनुसार, निगमित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा (एनआईसीएसआई) को नियुक्त कर्मियों की तैनाती से संबंधित प्रशासनिक पहलुओं को देखना था ताकि एनआईसी, सॉफ्टवेयर से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सके।

एमओयू के तहत किए जाने वाले कार्य के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

- आईसीईएस के लिए नए मॉड्यूल के लिए सॉफ्टवेयर अनिवार्यता विनिर्देश (एसआरएस) की आवश्यकता अध्ययन और तैयारी; अनुमोदित एसआरएस के अनुसार अनुप्रयोग का डिजाइन और विकास।
- मौजूदा आईसीईएस मॉड्यूल की स्थापना लिपियों के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट प्रदान करके आईसीईएस एप्लिकेशन का रखरखाव तथा परिवर्तन प्रबंधन नीति के लिए एनआईसी और सीबीआईसी के बीच सहमति।
- अनिवार्यता विनिर्देश, तकनीकी दस्तावेज, उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका और परीक्षण मामलों सहित आईसीईएस के लिए दस्तावेज़ीकरण।
- किसी भी विक्रेता के माध्यम से सीबीआईसी द्वारा विकसित किए जा रहे किसी अन्य इनहाउस एपलिकेशन और आईसीईएस के बीच एपलिकेशन स्तर के संयोजन की स्थापना।
- आईसीईएस के साथ एकीकरण के लिए हितधारकों के परामर्श से ईडीआई संदेशों का डिजाइन, आइसगेट और हितधारकों के लिए विस्तृत संदेश कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार करना।

- लेवल-1 हेल्पडेस्क टीम द्वारा बढ़ाई गई समस्याओं के समाधान के लिए आईसीईएस उपयोगकर्ताओं को लेवल-2 और लेवल-3 सहायता प्रदान करना।
- आईसीईएस उपयोगकर्ताओं को सहायता के लिए सीमा शुल्क स्थानों पर तकनीकी जनशक्ति रखना।
- आईसीईएस उपयोगकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- रिमोट ईडीआई सिस्टम पैकेजों का डिजाइन , विकास और रखरखाव।
- आईसीईएस संस्करण 1.5 एप्लिकेशन के संस्करण नियंत्रण को बनाए रखना।

आईसीईएस वर्तमान में अखिल भारतीय आधार पर 262 सीमा शुल्क स्थलों पर चल रहा है और सीमा शुल्क राजस्व के 99 *प्रतिशत* से अधिक को संभालता है। आईसीईएस 1.5 की मुख्य विशेषताएं, जो एक केंद्रीकृत अनुप्रयोग के रूप में एक समेकित वातावरण में चलती हैं, निम्नानुसार हैं:

क. बहु-स्थान कार्याक्षमता

ख. उपयोगकर्ताओं को केवल उनके स्थान के लिए डेटा प्राप्त करने के लिए विभाजक एकल डेटाबेस

ग. सॉफ्टवेयर का केंद्रीकृत अनुरक्षण और अद्यतन

घ. बाहरी हितधारकों, बैंकों, डीजीएफटी आदि के साथ तीव्र और बेहतर संचार।

ङ. केंद्रीय वातावरण में आइसगेट के साथ एकीकरण से समस्या निवारण की आवश्यकता होने पर बेहतर अनुक्रिया समय की आवश्यकता होती है।

1.1.2 भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आइसगेट)

व्यापार को विभिन्न ऑनलाइन ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए आइसगेट अनुप्रयोग 2007 से कार्य कर रहा है। आइसगेट बाहरी दुनिया के साथ आईसीईएस का अग्रांत इंटरफ़ेस है जो आयात और निर्यात व्यापार में विभिन्न हितधारकों को बीई और एसबी, सीमा शुल्क घोषणा पत्र और घोषणाएं, ट्रैक और ट्रेस दस्तावेजों, शुल्कों के ऑनलाइन भुगतान कार्य करता है और अन्य सभी संबंधित एजेंसियों जैसे विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी), निर्धारण

महानिदेशक (डीजीओवी), विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल), वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) आदि के साथ इंटरफेस करने के लिए सहायता करता है। मैसर्स विप्रो लिमिटेड के साथ जून 2008 में आइसगेट संविदा की गयी थी और वर्ष 2019 तक, मैसर्स विप्रो लिमिटेड सीबीआईसी को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा था।

वर्ष 2018 में, सीबीआईसी ने आईसीईएस, आइसगेट और आरएमएस के तीन अनुप्रयोगों को अद्यतित और संशोधित करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली (सीआईएस) को लागू करने का निर्णय लिया। चरण-I (सीआईएस) कार्यान्वयन के भाग के रूप में, आइसगेट 1.0 को नई सेवाओं और सुविधाओं की एक श्रृंखला के साथ आइसगेट 2.0 में संशोधित किया जाना था। आइसगेट 2.0 का ध्यान कुशल, पारदर्शी, संपर्क रहित और कागज रहित व्यापार के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केन्द्रित था।

सीआईएस चरण-I के लिए निवेदन प्रस्ताव (आरएफपी) जनवरी 2019 में जारी किया गया था। बोली-पूर्व कार्यशाला, तकनीकी बोली, वित्तीय बोली मूल्यांकन और वाणिज्यिक बोली प्रक्रियाओं (जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान) आदि के संचालन के बाद, फरवरी 2020 में प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी जारी की गई। मार्च 2020 में लेटर ऑफ अवार्ड जारी होने के बाद, बोर्ड ने सीमा शुल्क एकीकरण प्रणाली चरण-I के डिजाइन और विकास के लिए मई 2020 में मैसर्स इन्फोसिस लिमिटेड के साथ मानक सेवा स्तर करार पर हस्ताक्षर किए।

विक्रेता चयन की प्रक्रिया की अभी पूर्ण रूप से जांच नहीं की जा सकी है, क्योंकि लेखापरीक्षा को केवल आंशिक अभिलेख प्रदान किए गए थे। इसकी अलग से लेखापरीक्षा की जाएगी।

1.1.3 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

आरएमएस भारतीय सीमा शुल्क स्वचालन का तीसरा घटक है, जो कुछ संव्यवहारों को अलग करते हुए जोखिम आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करके अनुपालन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गहन जांच की आवश्यकता होती है। यह जोखिमों की जांच करता है और ग्रीन और रैड चैनलों के माध्यम से निकासी की सुविधा का मार्ग प्रशस्त

करता है। आरएमएस सीबीआईसी के विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) स्कंध के अंतर्गत कार्य कर रहा है।

आरएमएस के सॉफ्टवेयर विकास, अनुरक्षण और सहायता के लिए संविदा अगस्त 2004 में मैसर्स बिड़लासॉफ्ट लिमिटेड को दी गयी थी। आयात और निर्यात मॉड्यूल के लिए आरएमएस को क्रमशः दिसंबर 2005 और जुलाई 2013 में लागू किया गया। जून 2016 से, मैसर्स यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (यूटीआईआईटीएसएल) को आरएमएस के सॉफ्टवेयर विकास, अनुरक्षण और सहायता के लिए सीबीआईसी के साथ जोड़ा गया है।

निम्नलिखित चित्र आईसीईएस सिस्टम और विभिन्न आंतरिक/बाहरी हितधारकों के साथ इसकी अन्योन्यक्रिया का एक दृश्य प्रदान करता है:

चित्र 1

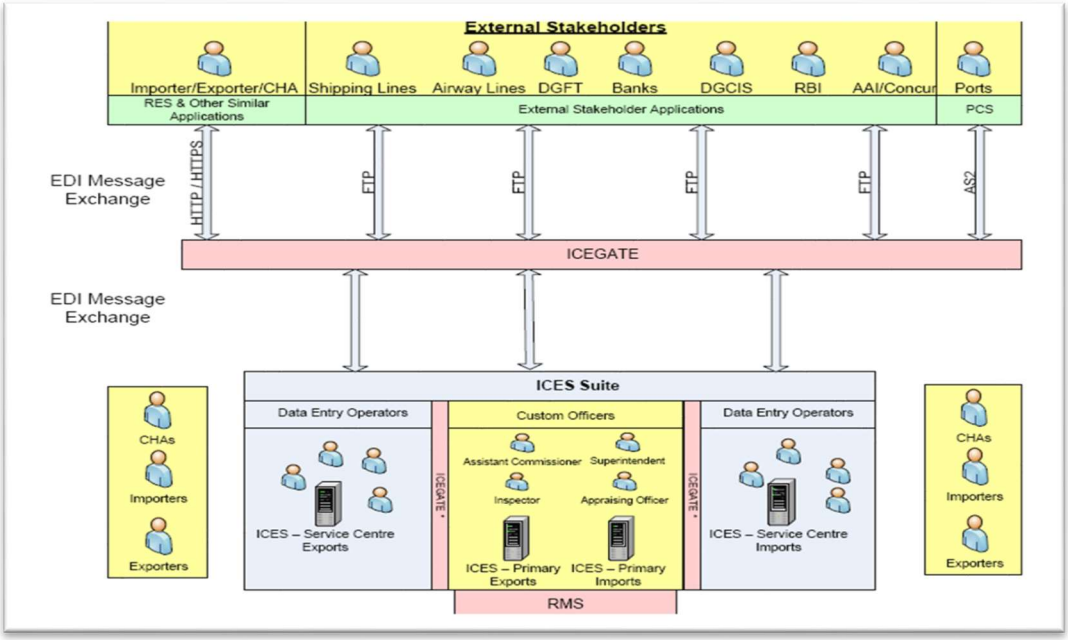

स्रोत: एसआरएस (संस्करण 1.0-2010)

मंत्रालय[1] के अनुसार आरएमएस आयात का आकलन नहीं करता है और इसलिए बडी संख्या में उदग्रहण और छूट अधिसूचनाओं की सभी शर्तों को मैप करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि आरएमएस या आईसीईएस एक

[1] लोक लेखा समिति (2022-23) के अध्ययन दौरे के दौरान मंत्रालय द्वारा 26 से 30 अगस्त 2022 तक रायपुर और हैदराबाद में "सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन", "सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचना" विषय पर चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था। मंत्रालय द्वारा आरएमएस के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया था।

बिल ऑफ एंट्री में दावा की गई अनेक अधिसूचनाओं की प्रत्येक शर्त को मान्य करने पर विचार करता है, तो यह बिलों के निषेध स्तर और प्रसंस्करण समय को काफी बढ़ाएगा। आरएमएस एक लक्ष्यीकरण प्रणाली है जो गतिशील जोखिम मापदंडों के एक मेजबान के आधार पर जोखिम भरे बिलों को निषेध करती है। यह एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया को अपनाता है जिसमें निम्नलिखित (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) शामिल है:

जोखिम मानदंडों के आधार पर स्कैनिंग के लिए कंटेनरों का चयन, संदिग्ध कंटेनरों की जांच के लिए आईजीएम घोषणा का उपयोग करना,

एक अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत करने पर उसमें निहित स्व-मूल्यांकन घोषणा के आधार पर जोखिम भरे बिलों का निषेध,

पिछले बिल ऑफ एंट्री के साथ साथ वर्तमान के समान खेपों के लिए मूल्यांकन और जांच निर्देशों के रूप में निर्णय समर्थन प्रदान करना,

उच्च जोखिम वाले बिलों के संबंध में सतर्कता का सीधा प्रसारण करना,

ओओसी से पहले सत्यापन के लिए, सीटीएच, आईईसी और अधिसूचनाओं आदि के आधार पर सुविधा की स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक बिल के लिए अनिवार्य अनुपालन शर्त जारी करना। और

निकासी पश्च ऑडिट के लिए बिलों का चयन(बडे पैमाने पर सुविधा पुल) से किया जाता है।

इस प्रकार, एक आकलन अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए आरएमएस द्वारा बिल ऑफ एंट्री का अंतर्विरोध जोखिम पहचान और अल्पीकरण प्रक्रिया का केवल एक स्तर है। व्यापार सुगमता और बढ़ी हुई व्यापार सुविधा पर सरकार के बढ़ते ध्यान को देखते हुए, एक लाइव प्रोसेसिंग वातावरण में सत्यापन के लिए मूल्यांकन अधिकारियों को बिल्स ऑफ एंट्री का एक छोटा *प्रतिशत* चिह्नित किया गया है। हालांकि, जोखिम पहचान और अनुपालन सत्यापन आउट-ऑफ-चार्ज और निकासी पश्च लेखापरीक्षा तक एक निरंतर प्रक्रिया है। सीबीआईसी ने वर्ष 2017-18 की अवधि ते लेखापरीक्षा के बाद अनुपालन प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए जोखिम आधारित बिलों का चयन शामिल है।

कुछ मुख्य उपाय नीचे दिए गए हैं:

- आरएमएस/आरएमसीसी को बढ़ी हुई क्षमताओं और तकनीकी उपकरणों के साथ 1 जनवरी, 2020 तक राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र (एनसीटीसी) में अपग्रेड किया गया है।
- वर्ष 2019/2020 में जोखिम भरे आयातक खेप के निषेध को मशीन लर्निंग सक्षम कर लागू किया गया था। इसने समान/समरूप सामानों के ऐतिहासिक डेटाबेस का उपयोग करके वर्गीकरण, मूल्य, शुल्क की दर, छूट अधिसूचनाओं, एंटीडंपिंग ड्यूटी-, सेफगार्ड ड्यूटी और आईजीएसटी से संबंधित जोखिम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हस्तक्षेपों शुद्धता और सटीकता को बढ़ाया है।
- भावी सूचक तंत्र के माध्यम से स्वचालित जोखिम प्रबंधन शुरू किया गया है; यह अन्य सरकारी एजेंसियों सहित आपूर्ति श्रृंखला सभी जगह में विभिन्न डेटा स्रोतों का उपयोग करता है।
- जोखिम नियमों और लक्ष्यों को डेटा विश्लेषण, क्षेत्रीय संरचनाओं की प्रतिक्रिया और परिणामों/लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के आधार पर नियमित रूप से परिष्कृत किया जाता है।
- आरएमएस लक्ष्यीकरण के अलावा, एनसीटीसी अधिकारियों द्वारा अत्यधिक जोखिम वाले बिलों (2021) के संबंध में विशिष्ट अलर्ट जुटाने के लिए, आपूर्ति श्रृंखला में बिल ऑफ एंट्री, संबंधित दस्तावेजों और संबद्ध संस्थाओं का विश्लेषण, वास्तविक समय के माहौल में किया जाता है।

1.1.4 आईसीईएस द्वारा नियंत्रित संव्यवहारों की जानकारी

आईसीईएस के माध्यम से वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान फाइल किए गए बिल्स ऑफ एंट्री[2] (बीई), शिपिंग बिलों[3] (एसबी), आयात

[2]बिल ऑफ एंट्री एक कानूनी दस्तावेज है जो आयातकों या सीमा शुल्क निपटान एजेंट द्वारा आयातित माल के आगमन पर या उससे पहले फाइल किया जाता है। इसे सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सीमा शुल्क विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद आयातक माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकेगा।

[3]शिपिंग बिल एक आवश्यक दस्तावेज है जो सीमा शुल्क सेवा केंद्र द्वारा तब जारी किया जाता है जब निर्यातक इस बिल को प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है। यह बिल निर्यातक को सीमा शुल्क निपटान प्राप्त करने, माल लोड करने और प्रतिअदायगी शुल्क आदि का दावा करने की सुविधा प्रदान करता है।

जनरल मैनिफेस्ट[4] (आईजीएम), निर्यात जनरल मैनिफेस्ट[5] (ईजीएम) की संख्या, कॉन्सोल जनरल मैनिफेस्ट[6] (सीजीएम), एकत्रित शुल्क, राज्य उद्ग्रहण[7] (आरओएसएल) की प्रतिअदायगी/छूट/संवितरित किया गया एकीकृत माल और सेवा कर[8] (आईजीएसटी) निम्नानुसार है:

तालिका संख्या 1.1: आईसीईएस द्वारा नियंत्रित औसत संव्यवहार

(राशि ₹ करोड़ में)

अवधि	फाइल किए गए बीई की संख्या	फाइल किए गए आईजीएम की संख्या	फाइल किए गए सीजीएम की संख्या	एकत्रित शुल्क की राशि	फाइल किए गए एसबी की संख्या	फाइल किए गए ईजीएम की संख्या	संवितरित वापसी की राशि	संवितरित आरओएसएल की राशि	संवितरित आईजीएसटी की राशि
2015-16	39,70,261	3,37,588	...	2,14,758	70,45,363	3,51,725	31,919	....	...
2016-17	43,33,342	3,73,926	...	2,28,231	73,66,681	4,01,586	30,891	614	...
2017-18	42,02,592	3,06,269	62,465	3,31,347	76,12,039	3,07,376	15,612	3,062	9,583
2018-19	43,07,097	3,12,572	66,576	4,14,468	76,48,051	2,98,278	11,198	2,280	56,200
2019-20	44,90,063	3,52,379	59,624	3,84,300	73,36,468	2,60,275	17,908	...	59,965
कुल	**2,13,03,355**	**16,82,734**	**1,88,665**	**15,73,104**	**3,70,08,602**	**16,19,240**	**1,07,528**	**5,956**	**1,25,748**

स्रोत: सीबीआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध आइसगेट का वार्षिक प्रतिवेदन।

---

[4]आईजीएम यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि एक पोत द्वारा ले जाए गए सभी आयात कार्गो की सूचना दी गई है, वाहक ने सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और जहाज आयात के लिए सभी आवश्यक और पूर्ण दस्तावेजों को ले जा रहा है।

[5]निर्यात जनरल मैनिफेस्ट एक अनिवार्य कानूनी दस्तावेज है जिसे माल के वाहक द्वारा सीमा शुल्क विभाग में फाइल किया जाना है। इस दस्तावेज़ का उपयोग सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्यात के प्रमाण के रूप में किया जाता है। सीमा शुल्क अधिकारी ईजीएम के आधार पर निर्यातकों को शिपिंग दस्तावेजों पर निर्यात के प्रमाण को प्रमाणित करते हैं।

[6]कंसोल आयात जनरल मैनिफेस्ट कंसोल एजेंट द्वारा फाइल किया जाता है जो कार्गो के वाहक के रूप में कार्य करता है। यदि किसी भी कार्गो को माल ढुलाई-अग्रगामी के साथ लोड किया जाता है, तो उसे माल के आगमन पर सीमा शुल्क के साथ कंसोल मैनिफेस्ट फाइल करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कंसोल मैनिफेस्ट के आधार पर, आयातक माल की सुपुर्दगी लेने के लिए निकासी प्रक्रियाओं के लिए आयात दस्तावेज फाइल करता है।

[7]आरओएसएल योजना में, केंद्र सरकार ने पैकेजिंग, ईंधन, बिजली उत्पादन पर शुल्क और ग्रिड पावर की खरीद पर शुल्क और प्रभार सहित इनपुटों जैसा कि कच्चे धागे से लेकर तैयार वस्त्रों तक के उत्पादन के चरणों के माध्यम से संचित पर राज्य वैट/ सीएसटी सहित राज्य उद्ग्रहण की छूट प्रदान की, यह योजना मार्च 2019 से बंद कर दी गई है।

[8]एकीकृत माल एवं सेवा कर (आइजीएसटी) का अर्थ है वह कर जो केंद्र सरकार ने आपूर्ति किए गए किसी माल और/ सेवाओं पर आइजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत लगाया है और जो अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान या उससे जुड़े आनुषांगिक मामलों पर लगाया जाता है। एकीकृत जीएसटी भारत में वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर भी लागू होता है।

उपरोक्त से, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान, आईसीईएस द्वारा प्रतिदिन औसतन 31,952 खेप (आयात और निर्यात) और 1,981 आईजीएम/ईजीएम/सीजीएम का संचालन किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान, आईसीईएस द्वारा औसतन ₹861.97 करोड़ की सीमा शुल्क राशि एकत्र की गई और ₹58.92 करोड़ का प्रतिअदायगी शुल्क, ₹125.37 करोड़ का आईजीएसटी और ₹6.52 करोड़ का आरओएसएल प्रतिदिन संवितरित किया गया।

1.2. लेखापरीक्षा के उद्देश्य

आईसीईएस 1.5 की आईटी लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए आयोजित की गई है कि:

i. आईसीईएस की कार्याक्षमताओं को उल्लेखानुसार विकसित किया गया है और कर प्रशासन में सरलता सहित इच्छित लाभ प्राप्त किए गए हैं;

ii. आईसीईएस के पास अन्य आईटी अनुप्रयोगों के साथ प्रभावी इंटरफेस हैं

iii. आईटी अभिशासन पर्याप्त और प्रभावी है।

1.3. लेखापरीक्षा मानदंड

इस लेखापरीक्षा के लिए मानदंड के स्रोत निम्नलिखित हैं:

- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
- सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975
- सीमा शुल्क नियमपुस्तिका
- विभिन्न सीमा शुल्क नियम और विनियम
- सीबीआईसी के परिपत्र और अधिसूचनाएं जो समय-समय पर जारी की गई थीं और लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान प्रभावी हैं
- सीबीआईसी, एनआईसी और एनआईसीएसआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- सॉफ्टवेयर आवश्यकताएं विनिर्देश (एसआरएस), सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज़ (एसडीडी) और उपयोगकर्ता नियम पुस्तिका
- विभिन्न विक्रेताओं के साथ किया गया संविदा/ करार

1.4. लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग की आईटी लेखापरीक्षा दिसंबर 2020 से मई 2022 के दौरान वर्ष 2015-16 से 2019-2020 की अवधि को सम्मिलित करते हुए आयोजित की गयी थी। लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र का उद्देश्य आयात और निर्यात मॉड्यूल की कार्यात्मकता, अन्य आईटी अनुप्रयोगों जैसे डीजीएफटी, डीजीओवी, एसईजेड, बैंक, आरबीआई, सीआरसीएल, पीएओ आदि के साथ इंटरफेस और आईटी अभिशासन मामले जैसे - संगठन और प्रबंधन, आईटी शासन और प्रबंधन और परिवर्तन प्रबंधन की प्रभावशीलता की जांच करना है।

कार्यक्षमताओं की जांच के लिए, लेखापरीक्षा का ध्यान, वर्ष 2015 से 2020 के दौरान, आईसीईएस अनुप्रयोग में जोड़े गए प्रमुख परिवर्तनों/नई कार्याक्षमताओं पर अधिक था, विशेष रूप से निम्नलिखित पर:

(i) परियोजना आयात मॉड्यूल

(ii) अनंतिम निर्धारण के लिए मॉड्यूल

(iii) स्वचालित ऑउट ऑफ चार्ज बीई

(iv) मैनुअल बीई/एसबी मॉड्यूल

(v) जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी से संबंधित परिवर्तन

(vi) विलंबित भुगतान मॉड्यूल

(vii) निर्यात के लिए आरएमएस मॉड्यूल

(viii) शिक्षा उपकर के बदले समाज कल्याण अधिभार लगाए जाने के कारण हुए परिवर्तन

(ix) नए राज्य कोड की शुरुआत के कारण परिवर्तन

(x) ई-संचित के माध्यम से आयात-निर्यात के दस्तावेज अपलोड करने के कारण होने वाले परिवर्तन

(xi) अग्रिम प्राधिकार और ईपीसीजी योजनाओं के कागज रहित लाइसेंसों के आंकड़ों के प्रवाह के कारण परिवर्तन।

आईटी लेखापरीक्षा में आरएमएस या आईसगेट की विस्तृत जांच शामिल नहीं थी।

1.5. लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा पद्धति मोटे तौर पर निम्नानुसार थी:

- आईसीईएस अनुप्रयोग के रोलआउट से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा;
- संशोधित अधिनियम/नियमों/अधिसूचना के प्रावधानों के संदर्भ में आईसीईएस के डिजाइन और कार्यान्वयन से संबंधित सॉफ्टवेयर अनिवार्यता विनिर्देशों (एसआरएस), सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेजों (एसडीडी) और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा और विश्लेषण;
- आईसीईएस की कार्याक्षमताओं से संबंधित सत्यापन/लेखापरीक्षा जांच की जांच करने के लिए, जहां आवश्यक हो, उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण वातावरण (यूएटी) और लेखापरीक्षा सहायता प्राप्त सृजन वातावरण में परीक्षण;
- आईसीईएस डेटाबेस पर पूछताछ करके डेटा का निष्कर्षण और ऐसे डेटा का और अधिक विश्लेषण;
- हितधारकों के साथ चर्चा और संरचित साक्षात्कार और महानिदेशक (सिस्टम), सीबीआईसी से उत्तर।

1.6. पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सीमा शुल्क आईसीटी सिस्टम और आईसीईएस अनुप्रयोग को विभाग की परिचालनात्मक आवश्यकताओं और सीमा शुल्क अधिनियम और संबद्ध अधिनियमों, नियमों और विनियमों में परिवर्तन के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया गया है। यद्यपि वर्ष 2009-10 से कोर आईसीईएस अनुप्रयोग को विकेंद्रीकृत से केंद्रीकृत वातावरण में स्थानांतरित कर दिया गया है, बाद में, अंतर्निहित आईसीटी अवसंरचना, कार्य प्रवाह, डेटा हस्तांतरण और भंडारण, सुरक्षा आदि में कई परिवर्तन हुए।

आईसीईएस 1.5 (वर्ष 2014 का संख्या 11) पर सीएजी के प्रतिवेदन में सूचित किए गए पिछले लेखापरीक्षा परिणामों पर की गई कार्रवाई की इस लेखापरीक्षा में फिर से जांच की गई और यह पाया गया कि विभाग ने पहले की कई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों/सिफारिशों को संबोधित करके उपचारात्मक कार्रवाई की थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सीमा शुल्क अधिनियम और

संबद्ध अधिनियमों, नियमों और विनियमों में परिवर्तन के कारण पिछले कुछ लेखापरीक्षा परिणाम/सिफारिशें अपनी प्रासंगिकता खो चुके थे और इस प्रकार अप्रासंगिक हो गए थे।

(i) लेखापरीक्षा ने वर्ष 2000-01 (वर्ष 2002 का प्रतिवेदन संख्या 10 - सीमा शुल्क) में पहली बार सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम की समीक्षा की । यह समीक्षा, खरीद और सॉफ्टवेयर विकास पर केंद्रित थी।

(ii) आईसीईएस 1.0 की वर्ष 2008 (वर्ष 2009-10 का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 24- सीमा शुल्क) में मुख्य रूप से यह सत्यापित करने के लिए पुनः समीक्षा की गई कि क्या इसने सीमा शुल्क अधिनियम और संबद्ध नियमों और विनियमों की प्रक्रियाओं और प्रावधानों का प्रभावी ढंग से प्रतिचित्रण किया है।

(iii) मूल आईसीईएस 1.0 के एक उन्नत संस्करण आईसीईएस 1.5, जो को जून 2009 से विभिन्न सीमा शुल्क स्थलों में चरणबद्ध तरीके से रोल आउट किया गया था। उन्नत संस्करण यानी आईसीईएस 1.5 की लेखापरीक्षा 2013 में की गई थी और इसके परिणाम सीएजी के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 11 (निष्पादन लेखापरीक्षा) में रिपोर्ट किए गए थे।

पिछली लेखापरीक्षा में उस समय लागू नियमों/अधिनियमों के अनुसार कुछ प्रणालीगत मामलों और प्रणाली में विभिन्न व्यावसायिक नियमों को डिजाइन करने में कमियों से जुड़े मामलों को इंगित किया गया था।

पिछले लेखापरीक्षा परिणामों पर की गई कार्रवाई/ वर्तमान स्थिति सहित का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

1.7. आईसीईएस अनुप्रयोग में आयात और निर्यात के लिए प्रक्रिया प्रवाह को समझना

1.7.1. आयात के लिए प्रक्रिया प्रवाह:

प्रवाह चार्ट 1

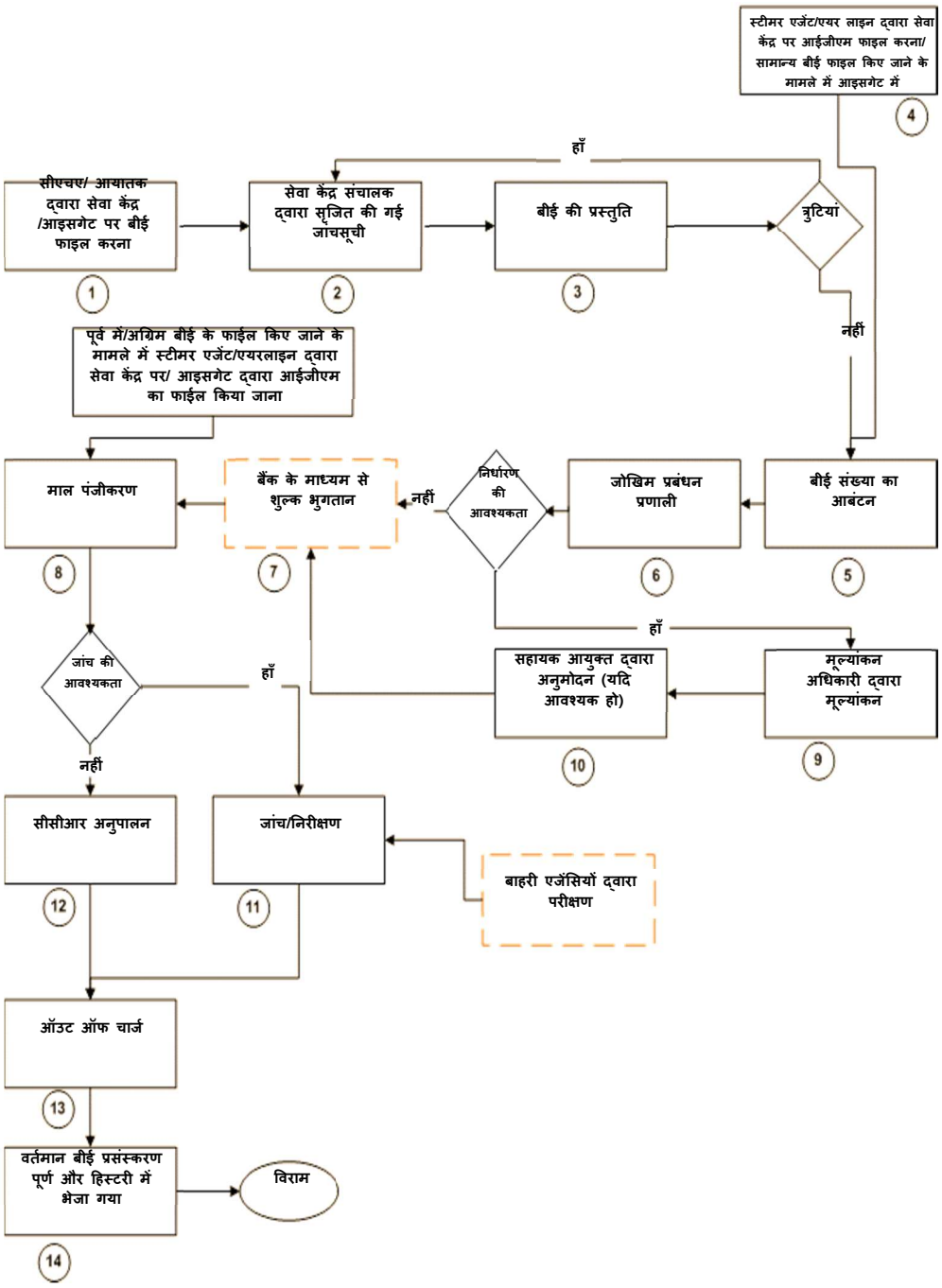

1.7.2. निर्यात के लिए प्रक्रिया प्रवाह:

प्रवाह चार्ट 2

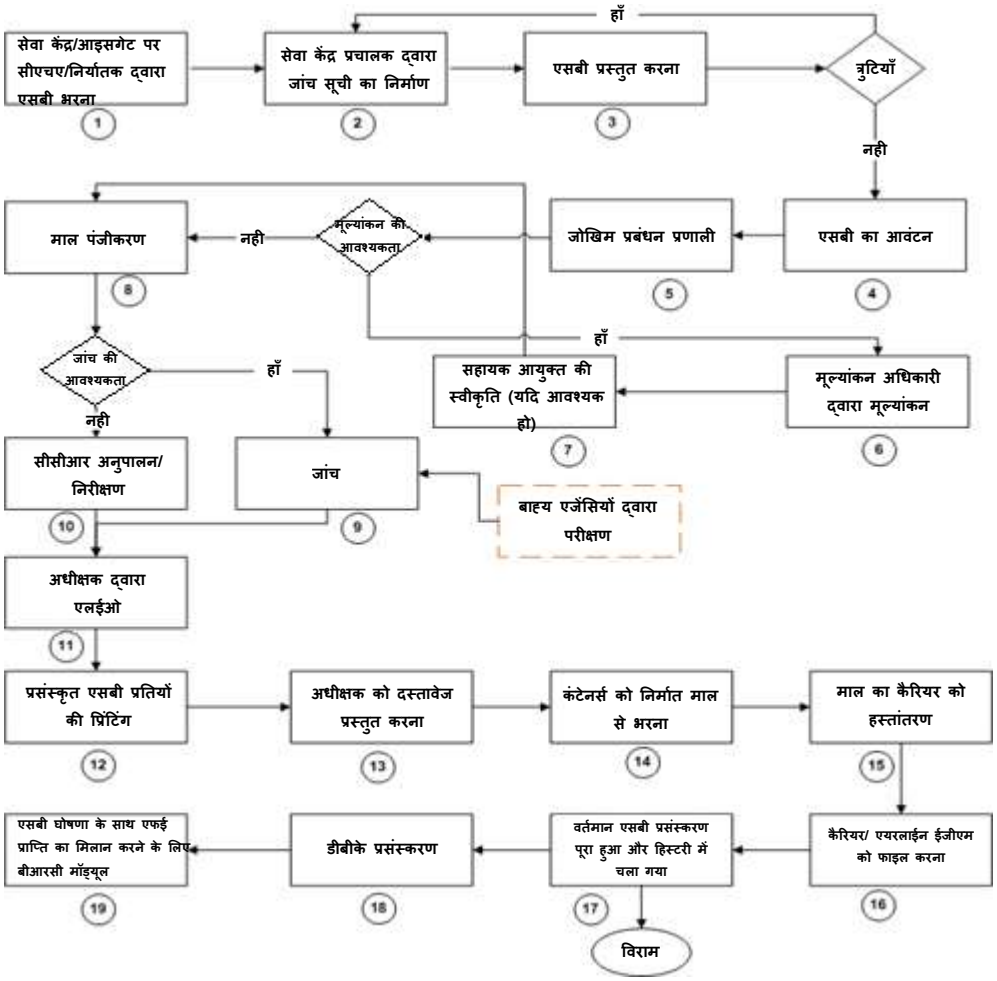

1.8. लेखापरीक्षा के सामने आयी बाधाएं

1.8.1 दस्तावेजों का अद्यतन न होना

लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए एसआरएस और एसडीडी जैसे बुनियादी दस्तावेज वर्ष 2010 के थे और उसके बाद उन्हें अद्यतित नहीं किया गया था। कुल 16 में से केवल 9 हितधारकों (सी लाइन/पोर्ट्स, एयर/एयरलाइन-कंसोल, डीजीएफटी, डीजीओवी, सेज, बैंक, आरबीआई, सीआरसीएल, पीएओ, आईसीडी, सीएचए, प्र. सीसीए, डीआरआई, डीजीसीआईएस, ई-संचित और पीजीए) के संबंध में एसडीडी अब तक महानिदेशक (सिस्टम) से प्राप्त हुए हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए अगस्त 2013 में प्रकाशित नियम-पुस्तिका, जो आईसीईएस सिस्टम को संचालित करने के तरीके का विवरण देती है और सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए एक गाइड/ नियम-पुस्तिका के रूप में कार्य करती है को भी अगस्त 2013 से अद्यतित नहीं किया गया है, जबकि शुल्क

संरचना और प्रक्रिया प्रवाह में पर्याप्त बदलाव हुए हैं, विशेष रूप से भारत में जीएसटी व्यवस्था लागू (जुलाई 2017) होने के बाद।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए एसडीडी में विभिन्न संदेशों के लिए डेटा तालिकाओं और नियंत्रण तालिकाओं की केवल संरचनात्मक जानकारी होती है। तालिकाओं के फ़ील्ड का विस्तृत विवरण और प्रत्येक संदेश की विशेषताएं और कार्याक्षमता तथा संदेशों के लिए विशिष्ट अनिवार्यता दिए गए एसडीडी में उपलब्ध नहीं थी।

परिणामस्वरूप, इसने इस लेखापरीक्षा के संचालन और उससे उत्पन्न निष्कर्षों को बाधित किया।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि एमओयू के संदर्भ में दस्तावेज़ीकरण को जल्दी पूरा करने के लिए एनआईसी के साथ इस मुद्दे को पहले ही उठाया जा चुका है। उक्त कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम संसाधनों की टीम को नियुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जैसे ही दस्तावेज पूरे हो जाएंगे, उन्हें साझा किया जाएगा।

1.8.2 नए मॉड्यूल/कार्याक्षमताओं के प्रलेखन की अनुपलब्धता

विभाग आदि द्वारा परीक्षण के विवरण सहित प्रत्येक परिवर्तन/मॉड्यूल के लिए संपूर्ण विकास चक्र से संबंधित अभिलेखों के संबंध में, महानिदेशक (सिस्टम) द्वारा यह कहा गया था कि हितधारकों अर्थात् महानिदेशक (सिस्टम), एनआईसी, तकनीकी टीम और संचालन टीम आदि के बीच संचार ई-मेल का उपयोग करके किया जा रहा है और इसलिए कोई भौतिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है। तथापि, यहां तक कि ई-मेल ट्रेल भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया है। आईसीईएस में जोड़े गए नए मॉड्यूल और कार्याक्षमताओं के एसआरएस और एसडीडी एवं इन परिवर्तनों के संपूर्ण विकास के विभिन्न चरणों से संबंधित अभिलेख के अभाव में, लेखापरीक्षा में बाधा पहुंची थी।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि बिंदु अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

1.8.3 निर्देशिकाओं को अद्यतन करने से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना

शुल्क/छूट और विनिमय दर आदि में परिवर्तन से संबंधित विभिन्न अधिसूचनाएं जारी किए जाने के परिणामस्वरूप निर्देशिकाओं को अद्यतन करने से संबंधित अभिलेख डेटा प्रबंधन साइटों (डीएमएस) द्वारा और पीयर

रिव्यू साइटों द्वारा की गई पीयर रिव्यू को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसलिए, शुल्क/छूट और विनिमय दर में परिवर्तन के समय पर अद्यतन की जांच करने के लिए, लेखापरीक्षा ने कुछ अधिसूचनाओं से संबंधित डेटा प्रश्न जारी किए।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि जैसा कि पहले ही प्रस्तुत किया गया है, महानिदेशक (सिस्टम) की भूमिका तब सामने आती है जब डीएमएस को सिस्टम त्रुटि के कारण अधिसूचना के अद्यतन में कोई तकनीकी कठिनाई होती है। अधिसूचना के अद्यतन में अशुद्धि पीयर रिव्यू साइट (पीआरएस) द्वारा डीएमएस को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित की जाती है। अधिसूचना के अद्यतन में विलंब/अशुद्धि के मामले में उपचारात्मक उपाय सिस्टम मैनेजर (डीएमएस) द्वारा किए जाते हैं।

मंत्रालय ने आईसीईएस में अधिसूचना की तारीख और दर्ज की गई तारीख के साथ केवल अधिसूचना की एक सूची प्रस्तुत की है, लेकिन निर्देशिका प्रबंधन साइटों द्वारा निर्देशिकाओं के अद्यतन और पीयर रिव्यू साइट्स द्वारा की गई समीक्षा से संबंधित ई-मेल के अभिलेख निर्धारित एसओपी के अनुसार लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे। इसने इस लेखापरीक्षा के संचालन को बाधित किया।

1.8.4 आईसीईएस उपयोगकर्ताओं और हितधारकों द्वारा सामना की गई शिकायतों/समस्याओं से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना

आईसीईएस एप्लीकेशन के अंतिम उपयोगकर्ता, सीमा शुल्क हाउस एजेंटों, आयातकों, निर्यातकों, सीमा शुल्क अधिकारियों और हितधारकों से प्राप्त सुझावों/समस्याओं से संबंधित कोई भौतिक अभिलेख और महानिदेशक (सिस्टम)/बोर्ड द्वारा उस पर की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने उठाए गए टिकटों की संख्या, हल किए गए टिकटों की संख्या, अगले स्तर तक बढ़ाए गए टिकटों की संख्या और समाधान में लिए गए औसत समय का विवरण प्रस्तुत किया।

हालांकि, मंत्रालय ने एल1, एल2 और एल3 सहायता के तहत उठाए गए टिकटों के समाधान के लिए निर्धारित समय के लिए निर्धारित ब्यौरा/मानक

प्रस्तुत नहीं किए। इसके अभाव में, लेखापरीक्षा सहायता डेस्क और उपयोगकर्ता समर्थन प्रणाली की दक्षता को सत्यापित नहीं कर सकता है।

1.8.5 डेटा डंप प्रस्तुत करने और डेटा प्रश्नों के धीमे निष्पादन से संबंधित बाधाएं

एंट्री कॉन्फ्रेंस (जुलाई 2020) में लेखापरीक्षा द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि डेटा डंप (कम से कम एक वर्ष की अवधि वाले) नियंत्रण और सत्यापन की जांच के लिए महत्वपूर्ण होगा और जब तक डेटा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक लेखापरीक्षा ज्यादा प्रगति नहीं कर सकता है।

जवाब में, एडीजी (सिस्टम) ने कहा कि डेटा डंप प्रदान करने में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि लेखापरीक्षा सरल अंग्रेजी में डेटा प्रश्न प्रदान करेगी और इसे लेखापरीक्षा कर्मियों की उपस्थिति में लेखापरीक्षा के लिए प्रदान किए गए प्रश्नों के परिणामों की उपस्थिति में पूरे डेटा (अखिल भारत आधार पर) पर लागू किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने डीजी (सिस्टम) को कुल 81 डेटा प्रश्न जारी किए, उनमें से जून 2022 तक केवल 55 प्रश्नों के परिणाम/उत्तर प्रदान किए गए। लेखापरीक्षा केवल उन सीमा शुल्क साइटों के बीई/एसबी के परिणामों को प्रति-सत्यापित कर सकती है जिनके लिए उनके पास पहुंच है क्योंकि लेखापरीक्षा टीम के पास सभी स्थानों के लिए एसबी /बीई देखने की सुविधा नहीं थी और ऐसे अभिलेख को सत्यापित करने के लिए पूरी तरह से डीजी (सिस्टम) पर निर्भर थी। सितंबर 2022 में 26 प्रश्नों (जो लेखापरीक्षा की उपस्थिति में नहीं किए गए थे) के परिणाम/उत्तर प्रदान किए गए थे।

डेटा लॉग, जो हितधारकों के बीच डेटा प्रवाह का अध्ययन/विश्लेषण करने में हमारी सहायता करता और हमें विभिन्न हितधारकों के साथ संचरण तंत्र की कमियों को उजागर करने में सक्षम बनाता, न तो स्थानीय स्तर पर सीमा शुल्क विभाग के पास और न ही विभिन्न हितधारकों के पास उपलब्ध था। आईसीईएस और सभी हितधारकों के बीच मार्च 2021 के महीने के लिए संदेश विनिमय से संबंधित डेटा का नमूना मांगा गया था, लेकिन यह उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

1.8.6 उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) वातावरण में सीमित सीमा

बीई और एसबी दाखिल करने से संबंधित विभिन्न सत्यापनों और नियंत्रणों की जांच करने के लिए डीजी (सिस्टम) ने यूएटी वातावरण में एकल साइन-ऑन आईडी (एसएसओआईडी) प्रदान किए जो परीक्षण उद्देश्य के लिए पूर्व-उत्पादन वातावरण है। वातावरण पर एसआरएस और एसडीडी के वर्ष 2010 के संस्करण के अनुसार सत्यापन का परीक्षण किया गया था।

तथापि, निम्नलिखित बाधाओं के कारण पूर्व-उत्पादन वातावरण में बीई और एसबी प्रक्रियाओं को दाखिल करने का कार्य पूरा नहीं किया जा सका:

- यूएटी में बीई के लिए दाखिल आईजीएम और एसबी के लिए दाखिल ईजीएम को सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
- ई-संचित दस्तावेजों (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों) की अनुपस्थिति।

इसके अलावा, आवश्यक इनपुट के साथ आइसगेट में समुद्री बंदरगाहों से संबंधित मॉड्यूल की भी जांच की गई। हालांकि, पहले चरण में ही त्रुटि (सूची के लिए गलत टर्मिनल ऑपरेटर कोड - एफ 7) के कारण बंदरगाह के बीई की जांच नहीं की जा सकी यानी, टर्मिनल ऑपरेटर कोड की सूची सृजित नहीं की जा सकी, जिसके कारण बीई की फाइलिंग की आगे की प्रक्रिया नहीं की जा सकी। इसके अलावा, बीई के निम्नलिखित मॉड्यूल भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे:

(i) मद_निर्यात- जिसमें आईजीएम एयरलाइंस, स्थिति तिथि, एसआईओएन समूह, आईटीसी एचएस कोड आदि शामिल हैं।
(ii) मद_आयात - जिसमें लाइसेंस विवरण, आईजीएम एयरलाइंस, स्थिति तिथि, आईटीसी एचएस कोड आदि शामिल हैं।
(iii) सहायक निर्माता - जिसमें स्थिति तिथि, निर्माता विवरण आदि शामिल हैं।

मैनुअल बीई के मूल आंकड़ों को कैप्चर करने के लिए अनुप्रयोग/मॉड्यूल से संबंधित दस्तावेज, जो जीएसटीएन वाले आयात के सत्यापन के लिए आवश्यक हैं, लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे।

इसके अलावा, आईसीईएस डेटाबेस के उपलब्ध तालिकाओं और विभिन्न फील्ड से संबंधित डेटा शब्दकोश लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन दस्तावेजों के अभाव और लेखापरीक्षा में आई बाधाओं के कारण लेखापरीक्षा

बीई/एसबी दाखिल करते समय सत्यापन नियंत्रण के संबंध में केवल सीमित आश्वासन ही दे सकी।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि एमओयू के संदर्भ में दस्तावेजों को जल्द पूरा करने के लिए एनआईसी के साथ इस मुद्दे को पहले ही उठाया जा चुका है। उक्त कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम संसाधनों की टीम को नियुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जैसे ही दस्तावेज पूरे हो जाएंगे, उन्हें साझा किया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उल्लिखित बाधा लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा के लिए प्रदान किए गए उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) वातावरण में सीमा के बारे में है।

1.8.7 लेखापरीक्षा द्वारा मांग-पत्रों पर उत्तर/अभिलेख प्रदान करने में धीमी गति

लेखापरीक्षा मांग-पत्रों के उत्तर/अभिलेख प्रदान करने की गति बहुत धीमी थी। लेखापरीक्षा ने डीजी (सिस्टम) को 81 डेटा प्रश्न जारी किए, जून 2022 तक 55 प्रश्नों के परिणाम/उत्तर प्रदान किए गए। लेखापरीक्षा केवल उन सीमा शुल्क साइटों के बीई/एसबी के परिणामों को प्रति-सत्यापित कर सकती है जिनके लिए उनके पास पहुंच है क्योंकि लेखापरीक्षा टीम के पास सभी स्थानों के लिए एसबी/बीई देखने की सुविधा नहीं थी और ऐसे अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए पूरी तरह से डीजी (सिस्टम) पर निर्भर थी।

लेखापरीक्षा ने समय-समय पर विभिन्न पत्र जारी किए और विभिन्न स्तरों पर अभिलेख/उत्तर प्रस्तुत करने के संबंध में डीजी (सिस्टम) के साथ बैठकें कीं, तथापि, बार-बार अनुसरण कराए जाने के बाद भी, हमारे अनुरोधों पर प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी। लंबे समय तक अनुसरण के बाद शेष 26 प्रश्नों (जो लेखापरीक्षा की उपस्थिति में नहीं किए गए थे) के परिणाम/उत्तर सितंबर 2022 में ही प्रदान किए गए थे। इन्हें आगामी लेखापरीक्षा में सत्यापित किया जाएगा।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि वे आवश्यक डेटा प्राप्त करने के लिए एनआईसी, आइसगेट, सिस्टम इंटीग्रेशन आदि जैसे अन्य कार्यक्षेत्रों के समक्ष इस मामले को उठा रहे हैं। इसलिए, शेष सभी लेखापरीक्षा मांग या तो पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं

या प्रक्रियाधीन हैं। यह कार्यालय लेखापरीक्षा मांगों को अंतिम रूप देने के लिए वांछित डेटा प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यक्षेत्र/एजेंसी के साथ प्राथमिकता पर निरंतर संपर्क में है।

1.8.8 आइसगेट से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने से संबंधित बाधाएं

आइसगेट परियोजना, नए विक्रेता (मैसर्स इन्फोसिस लिमिटेड) के चयन से लेकर विक्रेता के परिवर्तन के प्रस्ताव से संबंधित अभिलेख, आइसगेट के लिए विक्रेता को अंतिम रूप दिए जाने तक आरएफपी जारी करने के अभिलेखों की मांग की गई थी, लेकिन ये लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

हालांकि, विभाग ने आरएफपी (सीआईएस चरण 1 - आइसगेट आरएफपी संस्करण 1, 2 और 3) की प्रति प्रस्तुत (नवंबर 2022) की। तथापि, संबंधित अभिलेख जैसे मैसर्स विप्रो लिमिटेड का मानक स्तर सेवा करार, विक्रेताओं के बीच सफल ज्ञान हस्तांतरण पर साइन-ऑफ से संबंधित दस्तावेज जिनमें ज्ञान अंतरण, प्रणाली और अनुप्रयोगों पर क्लास रूम प्रशिक्षण, व्यक्तिगत प्रशिक्षण, अनुप्रयोग प्रलेखन सौंपना, अंतरण के दौरान हैंड-होल्डिंग आदि शामिल हैं, को प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

अध्याय 2
लेखापरीक्षा परिणाम: कोर आईसीईएस

2.1. आईसीईएस की कार्याक्षमताओं/मॉड्यूल की लेखापरीक्षा जांच

आईसीईएस 1.5 में वर्तमान में कार्यरत कार्याक्षमताओं/मॉड्यूल की जांच करने और समझने के लिए, डीजी (सिस्टम) से डेटा डंप (कम से कम एक वर्ष की अवधि) की मांग (जुलाई 2020) की गई थी। लेखापरीक्षा को यह प्रदान नहीं किया गया था। फरवरी 2021 में, विभाग ने आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में किए गए परिवर्तनों की एक सूची जो वर्ष 2017 से 2020 के दौरान सलाह के साथ जारी की उपलब्ध कराई गई, और अक्टूबर 2021 में वर्ष 2015 से 2016 की अवधि के दौरान अनुप्रयोग में लागू पैच (हालांकि, परिवर्तनों के बहुत कम विवरण के साथ) की सूची प्रदान की। तथापि, आज की तिथि तक लेखापरीक्षा के लिए कोई संगत और नवीनतम एसआरएस और एसडीडी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए आधार दस्तावेज - एसआरएस और एसडीडी 2010 के थे। इसके अतिरिक्त, डीजी (सिस्टम) द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए यूएटी वातावरण (एनएसीईएन प्रशिक्षण मॉड्यूल), जो एक पूर्व-उत्पादन वातावरण है, में कोई परीक्षण डेटा नहीं था।

इसलिए, आईसीईएस के सत्यापन नियंत्रणों/कार्याक्षमताओं का परीक्षण करने के लिए, एसआरएस वर्ष 2010 के डेटा फ़ील्ड के आधार पर निर्यात के लिए कुछ परीक्षण शिपिंग बिल और आयात के लिए बिल ऑफ एंट्री दर्ज करके लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण डेटा बनाया गया था। इस प्रकार यह अध्ययन सीमित था और उपलब्ध जानकारी पर आधारित था, क्योंकि नवीनतम आईसीईएस संस्करण में कैप्चर किए जाने वाले फील्ड के डेटा शब्दकोश और संरचनाओं को लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था।

यह जांचने के लिए कि आईसीईएस अनुप्रयोग डेटा प्रविष्टि को सुविधाजनक बनाने और त्रुटियों को कम करने के लिए उपयुक्त अवसरों पर संकेत देता है, निर्यात/आयात के लिए आईसीईएस में उपलब्ध और पहले से मौजूद विभिन्न सत्यापनों को यूएटी वातावरण का उपयोग करके जांचा गया और लेखापरीक्षा ने देखा कि अनिवार्य फ़ील्ड और उचित सत्यापन के इनपुट के बिना, सिस्टम उपयोगकर्ता को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता है।

यह भी देखा गया कि सीटीएच इनपुटों, यूनिट मूल्य, सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचना विवरण, मात्रा, यूनिट मात्रा कोड दर्ज करने पर प्रणाली ने आयात के मामले में मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) आईजीएसटी, एंटी-डंपिंग प्रभार और निर्यात के मामले में और आरआईटीसी (संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण), प्रतिअदायगी क्रम संख्या, योजना कोड, चालान मूल्य आदि की सही दर को स्वचालित रूप से और सही ढंग से लिया था। इसके अतिरिक्त, अनिवार्य दस्तावेजों जैसे चालान, पैकिंग सूची आदि को आइसगेट के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सिस्टम में अपलोड किया जा रहा है और स्कैन किए गए / पीडीएफ दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षर गुणवत्ता की वैधता की जांच स्वचालित रूप से ई-संचित (अप्रत्यक्ष कर दस्तावेजों का ई-स्टोरेज और कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन) अनुप्रयोग में की जाती है।

यूएटी पर्यावरण (एनएसीईएन प्रशिक्षण मॉड्यूल) के माध्यम से यह भी देखा गया कि विभिन्न सीमा शुल्क अधिकारियों को आवंटित सभी भूमिकाएं और कार्यक्षमताएं जैसे मूल्यांकन, जांच, स्टफिंग, प्रतिअदायगी संसाधन, सीमा शुल्क गणना, बीआरसी संचालन, मैनुअल चालान के माध्यम से भुगतान किए गए शुल्क को अभिलेख करने के लिए डीटीआर मॉड्यूल और अखिल भारतीय लाइसेंस दृश्य के माध्यम से पेपरलेस लाइसेंस/प्राधिकरण कार्य कर रहे थे।

संसाधन से संबंधित सत्यापन, जिसे यूएटी वातावरण के माध्यम से जांचा नहीं जा सकता था या प्रक्रिया नियंत्रणों की फिर से पुष्टि करने के लिए, डीजी (सिस्टम) को सरल अंग्रेजी में निर्यात और आयात से संबंधित कुल 81 डेटा प्रश्न (फरवरी-जून 2021) भी जारी किए गए थे। डीजी (सिस्टम्स) ने बदले में इन डेटा प्रश्नों को एसक्यूएल प्रारूप में प्रश्न बनाने के लिए एनआईसी को अग्रेषित किया और सीबीआईसी के डेटा सेंटर में उपलब्ध सिस्टम पर विभाग द्वारा प्रश्न प्रचालित किए गए थे।

जून 2022 में केवल 55 प्रश्नों के परिणाम/उत्तर प्रदान किए गए थे। लेखापरीक्षा केवल उन सीमा शुल्क साइटों के बीई/एसबी के परिणामों को प्रति-सत्यापित कर सकती थी जिनके लिए उनके पास पहुंच है क्योंकि लेखापरीक्षा टीम के पास सभी स्थानों के लिए एसबी /बीई देखने की कोई सुविधा नहीं थी और ऐसे अभिलेख को सत्यापित करने के लिए पूरी तरह से डीजी (सिस्टम) पर निर्भर थी। सितंबर 2022 में 26 प्रश्नों (जो लेखापरीक्षा की उपस्थिति में नहीं चलाए गए थे) के परिणाम/उत्तर प्रदान किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क हाउस एजेंटों, आयातकों, निर्यातकों और सीमा शुल्क अधिकारियों, जो आईसीईएस आवेदन के अंतिम उपयोगकर्ता हैं से प्राप्त सुझावों/समस्याओं से संबंधित वर्ष 2015-2020 की अवधि के अभिलेख (दिसंबर 2020) भी मांगे, और डीजी (सिस्टम)/बोर्ड द्वारा उस पर की गई कार्रवाई की भी मांग की। ये अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

एसआरएस/एसडीडी के अद्यतन दस्तावेजों के अभाव में, वर्ष 2010 के बाद आईसीईएस में जोड़े गए या हटाए गए नए मॉड्यूलों और कार्याक्षमताओं के एसआरएस/एसडीडी की अनुपलब्धता, यूएटी वातावरण में पर्याप्त आंकड़ों की अनुपलब्धता और आईसीईएस अनुप्रयोग उपयोगकर्ताओं से प्राप्त सुझावों/समस्याओं से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना आदि से लेखापरीक्षा बाधित हुई थी।

2.2. लेखापरीक्षा परिणाम

आईसीईएस आयात मॉड्यूल में कुछ सत्यापन नियंत्रण बाधयताओं की कमी

2.2.1 विलंब शुल्क गलत तरीके से लगाया गया, एकत्र किया गया और माफ किया गया

मौजूदा नियमों के अनुसार, अधिकृत व्यक्ति को उस दिन (छुट्टियों को छोड़कर) के बाद अगले दिन के अंत से पहले बीई दर्ज करना होगा, जिस दिन माल ले जाने वाला विमान या पोत या वाहन सीमा शुल्क स्टेशन पर आता है, जिस पर ऐसे सामान को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए निकासी दी जानी है। जहां बीई निर्दिष्ट समय के भीतर दर्ज नहीं की जाता है और यदि सीमा शुल्क के उचित अधिकारी संतुष्ट हैं कि इस तरह के विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था, आयातक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 (3) के तहत बीई विलंब से प्रस्तुति के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, दिनांक 11.05.2018 की अधिसूचना 36/2018 के पैरा 4 (3) के अनुसार, विलंब शुल्क प्रभार चूक के शुरुआती तीन दिनों के लिए ₹5,000 प्रति दिन की दर से और उसके बाद चूक के प्रत्येक दिन के लिए ₹10,000 प्रति दिन की दर से देय होगा, बशर्ते कि जहां उचित अधिकारी विलंब के कारणों से संतुष्ट है, वह धारा 46 की उप-धारा (3) के दूसरे परंतुक में उल्लिखित प्रभारों को माफ कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, किसी बीई के संबंध में विलंब से प्रस्तुति पर शुल्क उस विशेष बीई के संबंध में देय शुल्क से अधिक नहीं होगा और जहां किसी बीई के संबंध में प्रभार या कोई अन्य शुल्क छूट या अन्य किसी कारण से देय नहीं है, तो विलंब से प्रस्तुति शुल्क ₹50,000 से अधिक नहीं होगा।

बीई को देर से दर्ज करने के लिए 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए आयात डेटा प्रश्नों की मांग की गई थी, जिसके लिए विभाग ने 83,884 अभिलेखों के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। उक्त आंकड़ों के विश्लेषण पर, निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ की गई हैं:

(क) 1,354 बीई के संबंध में आंकड़ों से पता चलता है कि विलंब शुल्क के रूप में ₹19.29 करोड़ की राशि वसूली गई थी जिसमें से ₹3.39 करोड़ का भुगतान आयातकों द्वारा किया गया था और ₹15.90 करोड़ माफ कर दिए गए थे। इसी प्रकार, 3,659 बीई के संबंध में विलंब शुल्क के रूप में ₹9.55 करोड़ की राशि वसूली गई और विलंब शुल्क की पूरी राशि माफ कर दी गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि छूट के कारणों को डेटा के ''कारण'' फील्ड के तहत दर्ज नहीं किया गया था और केवल ''विलंब से फाइल बीई'' का उल्लेख किया गया था।

(ख) 854 बीई के संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि भुगतान किया गया कुल शुल्क शून्य था जो छूट या अन्यथा के कारण हो) (सकता है, आईसीईएस ने उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत ₹50,000/ से अधिक का विलंब शुल्क लगाया है। 854 बीएसई के संबंध में, लगाए गए विलंब शुल्क की राशि सीमा ₹55,000 और ₹20,95,000 के बीच थी।

(ग) 3,507 बीई के संबंध में, यह देखा गया कि विलंब शुल्क प्रावधान के विपरीत शुल्क से अधिक वसूल किया गया है क्योंकि विलंब शुल्क देय शुल्क से अधिक नहीं हो सकता है। इस तरह का अतिरिक्त विलंब शुल्क ₹6.47 करोड़ तक वसूला गया था।

(घ) पांच मामलों (बीई सं. 6340683 दिनांक 3 जनवरी 2020, 5641358 दिनांक 11 नवंबर 2019, 7366935 दिनांक 28 मार्च 2020, 7367077 दिनांक 28 मार्च 2020 और बीई संख्या 7363793 दिनांक 27 मार्च

2020) में, जहां विलंब शुल्क ₹11,323 था, कारणों से संबंधित फील्ड खाली पाया गया।

यह विलंब शुल्क लगाने के लिए आईसीईएस आयात मॉड्यूल में कतिपय सत्यापनों में कमियों को दर्शाता है।

देर से शुल्क की गणना आईसीईएस सिस्टम द्वारा की जा रही है और छूट के कारणों को सिस्टम में दर्ज किया जाना है और संयुक्त आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है। यदि ऊपर बताए गए अनुसार आवश्यक सत्यापन नियंत्रण डाले जाते हैं, तो वे त्रुटियों की संभावना को कम करने की संभावना रखते हैं। उचित सत्यापन की कमी से आयातकों और निर्यातकों के लिए अनावश्यक कठिनाइयाँ और उत्पीड़न हो सकता है, और दस्तावेजों के प्रसंस्करण में देरी की संभावना और धन की लॉकिंग हो सकती है।

विशेष रूप से, बीई को तब तक आगे संसाधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसी छूट के मामले में देरी शुल्क की छूट का कारण सक्षम अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया जाता है।

इस विलंब में बताए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने (नवंबर 2022) कहा कि इसकी तकनीकी टीम इस मुद्दे पर आवश्यक जांच / सत्यापन के विकास पर काम कर रही है और जल्द ही लेखापरीक्षा को इस मुद्दे पर अद्यतित किया जाएगा।

सिफारिश 1: मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विलंब शुल्क लगाने, संग्रह करने और माफ करने के संबंध में आईसीईएस में आवश्यक सत्यापन जांच लागू की जाए, विधिवत मैप की जाए और सही तरीके से काम किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विलंब शुल्क छोड़ने के मामले में, कारण भी दर्ज किए गए है।

2.2.2 अधिसूचना 46/2011 के तहत शुल्क का कम / अधिक उद्ग्रहण

समय-समय पर संशोधित दिनांक 1 जून, 2011 की अधिसूचना सं.46 के अनुसार, अधिसूचना के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध देशों (अर्थात् मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि) से आयातित वस्तुओं को अधिसूचना में तालिका के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट दर पर परिकलित राशि से अधिक सीमा शुल्क के इतने अधिक कर लगाए जाने वाले शुल्क से छूट दी गई है

और अधिसूचना के परिशिष्ट II में सूचीबद्ध, फिलिपिन्स जो अधिसूचना में तालिका के कॉलम (5) में निर्दिष्ट दर पर गणना की गई राशि से अधिक है।

अधिसूचना 46/2011 के तहत आयातित वस्तुओं पर 2019-20 की अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण से लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(क) ₹1.86 करोड़ के मूल्य निर्धारण योग्य वाली 18 मदें (छह खेपों के माध्यम से) फिलीपींस से आयात की गई थीं और बीसीडी को उपर्युक्त अधिसूचना के कॉलम (5) के बजाय कॉलम (4) में उल्लिखित दर पर निर्धारण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ख) इंडोनेशिया और वियतनाम से 15 मदों (छह खेपों द्वारा) का ₹ 1.40 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य के साथ आयात किया गया था और बीसीडी का निर्धारण पूर्वोक्त अधिसूचना के कॉलम (4) के बजाय कॉलम (5) में उल्लिखित दर पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क की अधिक वसूली हुई।

उपर्युक्त मामलों में अधिसूचना सं 46/2011 के अंतर्गत सीमा शुल्क लगाने के संबंध में आईसीईएस में वैधीकरण नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क का कम/अधिक उद्ग्रहण हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022) मंत्रालय ने (नवंबर 2022) कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार, शुल्क लगाना आयातक की स्व-घोषणा पर आधारित है और स्व-घोषणा के दौरान दावा की गई छूट अधिसूचना सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17 में परिकल्पित सत्यापन के अधीन है। आईसीईएस लेनदेन मौजूदा कानूनी प्रावधानों पर आधारित है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शुल्क लगाने में अंतर केवल आयात के देश के कारण उत्पन्न होता है। देशों को आईसीईएस में कोड के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया है। तदनुसार, दर को केवल स्व-घोषणा पर निर्भर होने के बजाय छूट अधिसूचना के साथ पठित देश कोड के आधार पर लागू किया जाना चाहिए था। यदि इस तरह के मापदंड सिस्टम में शामिल नहीं किए जाते हैं, तो शुल्क के गलत अधिरोपण की संभावना होगी।

सिफारिश 2: मंत्रालय को आईसीईएस में आवश्यक सत्यापन जांच सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि सीमा शुल्क दरें छूट अधिसूचनाओं के साथ पठित देश कोड के आधार पर सही ढंग से परिलक्षित हों, न कि केवल स्व-घोषणा पर आधारित।

2.2.3 आयात के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्य

आयात में जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) शुरू करने के संबंध में बोर्ड (सीबीआईसी) के दिनांक 24 नवम्बर, 2005 के परिपत्र 43/2005 के अनुसार, सेवा केन्द्र अथवा आइसगेट के माध्यम से आईसीईएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए गए बीई और आईजीएम आईसीईएस द्वारा आरएमएस को प्रेषित किए जाएंगे। आरएमएस चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से डेटा को संसाधित करेगा और आईसीईएस के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट का सृजन करेगा। यह आउटपुट निर्धारित करेगा कि बीई को कार्रवाई (मूल्यांकन या परीक्षा या दोनों) के लिए लिया जाएगा या बिना किसी निर्धारण और परीक्षा के सीधे प्रभार और आउट ऑफ चार्ज के या भुगतान के बाद निकासी दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, जहां आवश्यक हो, आरएमएस मूल्यांकन अधिकारी, परीक्षा अधिकारी या आउट ऑफ चार्ज अधिकारी को निर्देश प्रदान करेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निर्धारण और/या परीक्षा की आवश्यकता पर आरएमएस द्वारा सूचित निर्णय और आरएमएस द्वारा सूचित मूल्यांकन और परीक्षा निर्देशों का क्षेत्र संरचनाओं द्वारा अनुपालन किया गया है।

इसका तात्पर्य यह है कि, यदि बीई को जांच के लिए आरएमएस द्वारा चुना जाता है, तो जांच प्रतिवेदन से संबंधित फील्ड शून्य नहीं होना चाहिए।

आरएमएस द्वारा जांच के लिए चयनित बीई के लिए 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए आयात डेटा मांगा गया था और जहां जांच प्रतिवेदन से संबंधित फील्ड शून्य है। विभाग ने इस प्रश्न के लिए छह अभिलेखों के आंकड़े प्रस्तुत किए। इन छह बीई का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका संख्या 2.1: जांच के लिए चयनित बीई जहां जांच प्रतिवेदन शून्य है, का विवरण

क्र. सं.	सीमा शुल्क साइट	बीई_संख्या	बीई_दिनांक	प्रकार	कुल निर्धारण मुल्य (₹ में)	कुल शुल्क (₹ में)
1	आईएनडब्ल्यूएफडी6	5179475	04.10.2019	एच	3,4532,686	1,93,93,556
2	आईएनएफबीडी6	5337697	17.10.2019	एच	13,88,036	5,81,769
3	आईएनसीसीयू1	5500992	31.10.2019	एच	1,30,84,625	8,33,797
4	आईएनपीएवी1	6114210	17.12.2019	एच	87,38,633	15,72,954
5	आईएनसीबीडीबी	7124340	05.03.2020	एच	21,96,673	2,63,601
6	आईएनएनएसए1	7142830	06.03.2020	एच	82,90,376	0

स्रोत: डीजी (सिस्टम्स) द्वारा प्रस्तुत डेटा

उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मामले जांच प्रतिवेदन की अनिवार्यता से संबंधित आईसीईएस में सत्यापन की कमी को दर्शाते हैं यदि बीई को जांच के लिए आरएमएस द्वारा चुना जाता है।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022) मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि तकनीकी टीम द्वारा यह पुष्टि की गए है कि सिस्टम में मापदंड मौजूद है यदि आरएमएस निर्देश के मद्देनजर सिस्टम में जांच प्रतिवेदन दर्ज नहीं की जाती है, तो बीई अगले अधिकारी तक आगे नहीं बढ़ेगा। तकनीकी टीम को अनियमित संचालन के कारण की जांच करने और इसे सुधारने के लिए कार्य सौंपा गया है।

सिफारिश 3: मंत्रालय को आईसीईएस में उचित सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन मामलों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा बिल ऑफ एंट्री को जांच के लिए लिया जाता है, जांच प्रतिवेदन से संबंधित फील्ड शून्य नहीं होना चाहिए।

2.2.4 प्रवेश की तिथि से पहले दर्ज बीई के मामले में शुल्क लगाने के संबंध में आईसीईएस में नियंत्रण की कमी

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15 के अनुसार, शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर, यदि कोई है, किसी भी आयातित माल पर लागू होती है, तो धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग के लिए दर्ज की गई वस्तुओं के मामले में लागू दर और मूल्यांकन होगा, जिस तिथि को उस धारा के तहत ऐसे सामानों के संबंध में बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत किया जाता है; बशर्ते कि यदि

जहाज के अंदर प्रवेश की तिथि या विमान के आगमन से पहले बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत की गई हो, जिसके द्वारा माल आयात किया जाता है, तो बिल ऑफ एंट्री ऐसी प्रविष्टि की तिथि या आगमन की तिथि को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून 2017, दिनांक 15 जून 2019 की अधिसूचना संख्या 17/2019-सीमा शुल्क द्वारा संशोधित की गई थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में उत्पन्न या निर्यात किए गए सामानों से संबंधित तीन नए क्रम संख्या (24एए, 32 बी और 177 ए) डाले गए थे। यह अधिसूचना 16 जून 2019 से प्रभावी थी।

15 जून 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 17/2019 के तहत आयातित वस्तुओं से संबंधित 13 जून 2019 से 17 जून 2019 की अवधि के लिए आयात डेटा की मांग की गई थी और जहां उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका था, जिसके लिए विभाग ने 345 अभिलेखों के डेटा प्रस्तुत किए थे। उक्त आंकड़ों के विश्लेषण पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि छह आयातकों ने 9 बीई के माध्यम से अमेरिका से सीटीएच 08081000 के तहत 33 वस्तुओं का आयात किया। ये बीई 12 जून 2019 से 15 जून 2019 के दौरान दर्ज किए गए थे और इन बीई की प्रवेश आवक तिथि 16 जून 2019 और 19 जून 2019 के बीच थी। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 के परंतुक के अनुसार इन बीई को 16 जून 2019 से 19 जून 2019 के दौरान प्रस्तुत माना जाता है और इन वस्तुओं पर बीसीडी को 50 *प्रतिशत* की दर के बजाय 70 *प्रतिशत* (सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 17/2019 की एसएल संख्या 32 बी के अनुसार) पर लगाया जाना था, जिसके परिणामस्वरूप ₹38.17 लाख का कम शुल्क उद्ग्रहण हुआ।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त मामलों से यह भी पता चलता है कि प्रवेश की तिथि से पहले दर्ज बीई के मामले में शुल्क लगाने के संबंध में आईसीईएस में नियंत्रण की कमी है। यदि इस तरह के मापक सिस्टम में शामिल नहीं किए जाते हैं, तो शुल्क के गलत उद्ग्रहण की संभावना होगी। उक्त मामले में, विभाग ने 70 *प्रतिशत* के बजाय 50 *प्रतिशत* शुल्क लगाया। डीएमएस साइटों के अपडेशन में देरी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022) मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि आईसीईएस सिस्टम में यह तर्क मौजूद है कि अधिसूचना के कारण जब भी शुल्क में बदलाव होता है तो बीई को पुनर्मूल्यांकन के लिए ले जाया जाता है। हालांकि, यदि अनजाने में अधिसूचना अद्यतन प्रभावी तिथि के बाद होती है तो अधिसूचना के अद्यतन से पहले की प्रभार संरचना लागू होगी। संबंधित डीएमएस साइटों को एसओपी का पालन करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है।

विभाग ने अधिसूचना संख्या 17/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 15 जून 2019 के अद्यतन की वास्तविक तिथि और लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों (नौ बीई) पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं दी है।

सिफारिश 4: मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिसूचनाओं को समय पर और अनिवार्य रूप से प्रभावी तिथि से पहले अद्यतन किया जाए। डीएमएस साइटों द्वारा अपडेशन में देरी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और देरी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। डीएमएस साइटों को मौजूदा एसओपी का पालन करना चाहिए और इसे डीजी (सिस्टम) द्वारा सत्यापित और सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.2.5 उद्गम देश बीई स्तर और मद स्तर पर समान नहीं है

बिल ऑफ एंट्री (बीई) के लिए जिसमें एकल चालान होता है और जिसमें एकल मद होती है, तार्किक रूप से दोनों क्षेत्रों, बीई स्तर पर उद्गम देश और मद स्तर पर उद्गम देश समान होना चाहिए।

1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 (6 महीने) की अवधि के लिए आयात डेटा क्वेरी मांगी गई थी, जो ऐसी आयातित वस्तुओं से संबंधित थी, जहां एकल वस्तु वाला एकल चालान है और जहां उद्गम देश बीई स्तर और मद पर भिन्न है, जिसके लिए विभाग ने 38,930 अभिलेख के डेटा प्रस्तुत किए हैं। उक्त आंकड़ों के विश्लेषण पर, निम्नलिखित अभ्युकतियाँ की गई हैं:

(क) इन 38,930 बीई में से, एकल चालान और एकल मद वाले 28,758 बीई के संबंध में, बीई स्तर पर उद्गम देश और मद स्तर पर उद्गम देश अलग-अलग हैं।

(ख) अन्य 10,172 बीई के संबंध में, मद स्तर पर उद्गम देश "रिक्त" पाया गया था।

यह आईसीईएस में सत्यापन की कमी को दर्शाता है जहां एक ही डेटा अर्थात उद्गम देश को कैप्चर करने के लिए डेटा फ़ील्ड अलग-अलग तालिकाओं में अलग-अलग डेटा रखते हैं, जिससे विभिन्न उद्गम देश आधारित छूट अधिसूचनाओं के तहत रियायतों का गलत लाभ उठाने या एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाने की गुंजाइश होती है।

विभिन्न आईसीईएस तालिका में " उद्गम देश" डेटा के बेमेल होने से संबंधित एक समान अभ्युक्ति पहले 2009-10 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 24 के पैरा 3.11.4 और 2014 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 11 के पैरा 3.9 में सूचित किया गया था।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार, शुल्क का उद्ग्रहण आयातक की स्व-घोषणा पर आधारित है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17 में परिकल्पित सत्यापन के अधीन है। आईसीईएस लेन-देन मौजूदा कानूनी प्रावधानों पर आधारित है। बिल ऑफ एंट्री की एकल मद के मामले में प्रणाली में दिनांक 07-10-2022 के पैच नंबर 113 को लागू किया गया है। आगामी लेखापरीक्षा में इसकी समीक्षा की जाएगी।

यदि उद्गम देश पर सही ढंग से दर्ज नहीं किया जाता है, तो विभिन्न आईसीईएस तालिकाओं में 'उद्गम देश' के बेमेल होने के कारण एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का जोखिम हो सकता है। इसके अलावा, उद्गम आधारित छूट अधिसूचनाओं के विभिन्न देश के तहत रियायत का गलत लाभ उठाने की गुंजाइश हो सकती है।

2.3 आईसीईएस निर्यात मॉडयूल में सत्यापन की कमी

2.3.1 आरआईटीसी (निर्यात सत्यापन) के साथ डीबीके क्रम संख्या का संरेखण न करना

भारत सरकार समय-समय पर प्रतिअदायगी अनुसूची जारी करके विभिन्न निर्यातित वस्तुओं पर प्रतिअदायगी शुल्क की सभी उद्योग दरों का निर्धारण करती है। प्रतिअदायगी अनुसूची में वस्तुओं की प्रशुल्क मदों और विवरणों को

केवल चार अंकों के स्तर पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आरआईटीसी) के साथ टैरिफ मदों और वस्तुओं के विवरणों के साथ संरेखित किया गया है। उक्त अनुसूची में छह अंकों या आठ अंकों या संशोधित छह या आठ अंकों में दिए गए माल के विवरण कई मामलों में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में दिए गए माल के विवरण के साथ संरेखित नहीं हैं।

सीमा शुल्क बंदरगाहों पर एसबी की नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि ऐसे मामले थे जहां निर्यात किए गए माल की प्रतिअदायगी अनुसूची के अनुसार प्रतिअदायगी क्रम संख्या सीमा टैरिफ शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अनुसार आरआईटीसी के साथ चार अंकों के स्तर तक मेल नहीं खाता था, हालांकि वे दो अंकों के स्तर तक मेल खा रहे थे।

इससे पता चलता है कि आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन में इनपुट नियंत्रण/ सत्यापन का अभाव था ताकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में माल के विवरणों और टैरिफ मदों के साथ प्रतिअदायगी शुल्क अनुसूची के अनुसार प्रतिअदायगी शुल्क क्रम संख्या की घोषणा का चार अंकों के स्तर तक मिलान सुनिश्चित किया जा सके। इससे प्रतिअदायगी शुल्क की गलत गणना हो सकती है और निर्यातकों को प्रतिअदायगी शुल्क का कम/अधिक भुगतान किया जा सकता है।

इन तथ्यों को महानिदेशक (सिस्टम्स) को सूचित किया गया था (सितम्बर 2020 तथा मई 2021) और एसबी के मामलों के लिए डेटा मांगा गया था, जिसमें वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए चार अंकों के स्तर तक आरआईटीसी कोड के साथ प्रतिअदायगी शुल्क क्रम संख्या मेल नहीं खाती है। विभाग ने 3,25,005 अभिलेखों के आंकड़े प्रस्तुत किए (मार्च 2022), जिसमें प्रतिअदायगी शुल्क क्रम संख्या आरआईटीसी कोड के चार अंकों के स्तर से मेल नहीं खाती है।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने (नवंबर 2022) कहा कि आईसीईएस सिस्टम में 07-01-2022 को आरआईटीसी और डीबीके क्रम संख्या दोनों का चार अंकों तक संरेखण सक्षम किया गया है।

2.3.2 निर्यातित वस्तुओं के नकारात्मक एफओबी मूल्य की स्वीकृति

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 75 के तहत दावों के लिए, निर्यात किए गए माल के एफओबी मूल्य पर यथामूल्य आधार पर वापसी की अनुमति है। जहां भी लेनदेन मूल्य में माल ढुलाई और बीमा लागत शामिल होती है, माल ढुलाई और बीमा घटक लेनदेन मूल्य से कम हो जाता है और एफओबी मूल्य पर प्रतिअदायगी शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, एफओबी मूल्य केवल एक सकारात्मक आंकड़ा हो सकता है क्योंकि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से कुछ मूल्य होगा।

दिनांक 01.10.2019 से 31.03.2020 की अवधि के लिए उन एसबी के लिए डेटा क्वेरी मांगी गई थी जहां निर्यात किए गए माल का एफओबी मूल्य शून्य या नकारात्मक है। डीजी (सिस्टम्स) ने इसके लिए 14 अभिलेखों (सितंबर 2021) के आंकड़े प्रस्तुत किए। ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका संख्या 2.2: नकारात्मक एफओबी मूल्य वाले एसबी का विवरण

एसबी संख्या	एसबी तिथि	आईईसी	निर्यातक का नाम	पोर्ट कोड	एफओबी मूल्य ₹ में
7408006	05.10.2019	388215747	मै. ए सिल्क मिल्स लिमिटेड	आईएनबीओएम4	-1,530.79
7420634	05.10.2019	397015283	मै. बी इंटरनेशनल प्रा. लि.	आईएनवीटीजेड़1	-8,27,083
7520298	11.10.2019	588107760	मै. सी फेरो एलोय एलएलपी	आईएनवीटीजेड़1	-1,74,152
7634052	16.10.2019	314065458	मै. डी फ़ाइन फूड्स एलएलपी	आईएनवीटीजेड़ 1	-2,15,647
7758461	22.10.2019	314065458	मै. डी फ़ाइन फूड्स एलएलपी	आईएनवीटीजेड़ 1	-4,32,284
7750743	22.10.2019	899007473	मै. ई केमिकल	आईएनएसबीआई6	-5,996.76
7893762	26.10.2019	388066415	मै. एफ इंडस्ट्रीज लि.	आईएनएसबीआई6	-72,021.90
7945429	31.10.2019	593046765	मै. जी बायोटेक लि.	आईएनडीईएल4	-7,031.76
8500488	25.11.2019	2214005889	मै. एच लाइफ साइंस प्रा. लि.	आईएनडीईएल4	-81,800.70

एसबी संख्या	एसबी तिथि	आईईसी	निर्यातक का नाम	पोर्ट कोड	एफओबी मूल्य ₹ में
9407439	03.01.2020	391146670	मै. आई एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्रा.लि.	आईएनएलकेओ4	-60,669.30
9721763	17.01.2020	488025702	मै. जे मरीन प्रोडक्ट्स प्रा.लि.	आईएनटीयूटी1	-1,39,890
1662444	25.02.2020	888038241	मै. के फार्मास्यूटिकल्स लि.	आईएनडीईएल4	-3,57,983
1715839	27.02.2020	388061111	मै. एल नेचुरल फाइबर एंड फैब्रिक्स इंडिया प्रा. लि.	आईएनबीओएम4	-5,453.01
1799897	29.02.2020	डीएलजीपीए1579जी	मै. एम इम्पोर्टस् एंड एक्सपोर्टस्	आईएनसीजेबी4	-2,412.30

स्रोत: डीजी (सिस्टम) द्वारा प्रस्तुत डेटा

तालिका में उल्लिखित 14 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने आईएनडीईएल 4 बंदरगाह से संबंधित तीन एसबी का सत्यापन किया और यह देखा गया कि इन एसबी में चालान की शर्तें सीआईएफ थीं। एफओबी के नकारात्मक मूल्य का कारण यह था कि निर्यातकों ने दो एसबी में माल भाड़ा मूल्य 97 *प्रतिशत* और एक एसबी में सीआईएफ मूल्य और बीमा मूल्य का 98 *प्रतिशत* घोषित किया था, जो निर्यात किए गए माल के सीआईएफ मूल्य से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को शून्य प्रतिअदायगी शुल्क मिला।

निर्यात किए गए माल के नकारात्मक एफओबी मूल्य की स्वीकृति इंगित करती है कि एफओबी मूल्य की गणना के संबंध में आईसीईएस में नियंत्रण की कमी है।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022) मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि मूल निरूपण पहले के जवाब "जहां चालान सीआईएफ आधार पर है, ऐसे एफओबी मूल्य की गणना चालान मूल्य से माल ढुलाई और बीमा लागत की राशि को काटकर प्राप्त करके की जाती है। प्रतिअदायगी शुल्क, जहां इसे मूल्यानुसार आधार पर अनुमति दी जाती है, निर्यात किए गए माल के एफओबी मूल्य पर भी इसी तरह गणना की जाती है। यह नीतिगत प्रावधानों के अनुरूप है" में बताया गया है। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि

जहां तक आईसीईएस लेन-देन डिजाइन का संबंध है, संदर्भाधीन 14 मामलों पर उपर्युक्त सूत्रीकरण लागू नहीं होगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सीआईएफ आधार पर चालान मूल्य से माल ढुलाई और बीमा लागत राशि की कटौती करने के बाद भी एफओबी मूल्य नकारात्मक नहीं हो सकता है। आईसीईएस में उचित सत्यापन किया जाना चाहिए ताकि राजस्व निहितार्थों की रक्षा के लिए विस्तृत जांच के लिए नकारात्मक एफओबी मूल्य को सीमा शुल्क अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके। निर्यात किए गए माल के नकारात्मक एफओबी मूल्य की स्वीकृति निर्यातकों को विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लाभों से वंचित कर सकती है। यदि ऐसे किसी मामले में कोई प्रतिअदायगी शुल्क दिया गया है, तो आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

सिफारिश 5: मंत्रालय को आईसीईएस निर्यात मॉड्यूल में आवश्यक सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बीमा और माल ढुलाई में कटौती के बाद भी एफओबी मूल्य नकारात्मक न हो।

2.4 धारा 74 के तहत शिपिंग बिलों और प्रतिअदायगी दावों का आंशिक स्वचालन

सीबीआईसी, एनआईसी और एनआईसीएसआई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) जिस पर 21 दिसंबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे, के अनुलग्नक-एफ के अनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (पुन: निर्यात) की धारा 74 के तहत शिपिंग बिलों और दावों का स्वचालन समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान विकास और कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित मॉड्यूलों में से एक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (पुन निर्यात) की धारा 74 के तहत प्रतिअदायगी शुल्क दावों के साथ शिपिंग बिलों को आईसीईएस के माध्यम से योजना कोड 19 के तहत प्रतिअदायगी क्रम संख्या 9801 के साथ आयात के शिपिंग बिलों के फील्ड में "मद विवरण", बिल और तारीख, आयातित मात्रा, मूल्य, भुगतान किए गए शुल्क आदि का विवरण प्रस्तुत करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जा रहा है (एसीसी (निर्यात)/एनसीएच नई दिल्ली द्वारा जारी की गई सुविधा संख्या 09/2019 दिनांक 3 सितंबर 2019 देखें)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि धारा 74 के

तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिपिंग बिल दाखिल करने के बाद, प्रतिअदायगी शुल्क के निपटान को हस्त रूप से संसाधित किया जा रहा है। इसलिए, धारा 74 के तहत शिपिंग बिलों का पूर्ण कार्यप्रवाह स्वचालन और प्रतिअदायगी शुल्क दावों का संसाधन नहीं हुआ है। यह आईसीईएस 1.5 में शिपिंग बिलों के पर्याप्त स्वचालन की कमी को दर्शाता है।

डीजी (सिस्टम्स) ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि धारा 74 के तहत एसबी का स्वचालन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिअदायगी शुल्क अनुसूची और ब्रांड दर के संबंध में वापसी के स्वचालित अनुदान की तरह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धारा 74 के लिए कोई दर अनुसूची निर्धारित नहीं है क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं कानूनी रूप से अलग हैं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के तहत संसाधित एसबी डेटाबेस में रहता है और यह "प्रतिअदायगी शुल्क अभी भी लंबित है" नहीं दिखाता है। वस्तुत, किसी भी अन्य निकासी कार्रवाई की तरह, संसाधित एसबी को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के तहत प्रतिअदायगी शुल्क दावों के लिए लिया जाता है, ऐसे मामलों में प्रतिअदायगी प्रदान करने के लिए श्रेणीबद्ध प्रणाली का पालन करते हुए, जिस अवधि के लिए माल का उपयोग किया गया है, चाहे माल का उपयोग किया गया हो या अप्रयुक्त आदि। इसके अतिरिक्त, जैसा कि सूचित किया गया है, माल के मूल्यह्रास मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना है जिसके लिए सिस्टम में एक सामान्य तर्क लागू नहीं किया जा सकता है।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने प्रयुक्त/अप्रयुक्त माल, उपयोग की अवधि, मूल्यह्रास मूल्य आदि से संबंधित सभी क्षेत्रों का चित्रण करके धारा 74 के अंतर्गत प्रतिअदायगी शुल्क के दावे और प्रसंस्करण के लिए एक अलग कार्यप्रवाह स्वचालन मॉडयूल तैयार नहीं किया है। योजना कोड 19 के तहत आईसीईएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावे दायर किए जा रहे हैं, जिसमें शिपिंग बिलों के ‘‘मद विवरण’’ के फील्ड में आयात के विवरण जैसे बिल संख्या और तारीख, आयातित मात्रा, मूल्य, भुगतान किए गए शुल्क आदि प्रस्तुत करके प्रतिअदायगी शुल्क क्रम संख्या 9801 शामिल है। जो विशेष रूप से धारा 75 के तहत निर्यात किए गए माल की प्रतिअदायगी शुल्क का दावा करने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन दावों के प्रसंस्करण को मैनुअल रूप से व्यवस्थित किया जा रहा है।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022) मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि इस तरह के परिदृश्य के लिए प्रसंस्करण आईसीईएस लेन-देन मंच पर सक्षम है। एक अलग मॉडयूल के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की जांच की जाएगी।

2.5 निर्यात के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्य

राजस्व विभाग, सीबीआईसी ने दिनांक 24 जून, 2013 के सीमा शुल्क परिपत्र सं.23/2013 के तहत निर्यात में जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) शुरू की थी। निर्यातों में आरएमएस की शुरूआत के साथ, स्व-मूल्यांकन के नियमित सत्यापन और एसबी की जांच की प्रथा बंद कर दी गई थी और जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा चयनित एसबी के गुणवत्ता मूल्यांकन, जांच और निकासी के बाद लेखापरीक्षा (पीसीए) पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

उक्त परिपत्र के अनुसार, बोर्ड ने दो चरणों में निर्यात में आरएमएस को लागू करने का निर्णय लिया था। पहले चरण में, आरएमएस डेटा को संसाधित करेगा और आईसीईएस को केवल माल जांच चरण तक आउटपुट प्रदान करेगा। दूसरे चरण में, आरएमएस निर्यात सामान्य घोषणापत्र (ईजीएम) इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाने के बाद शिपिंग बिल डेटा को भी संसाधित करेगा और प्रतिअदायगी शुल्क जांच और निकासी के बाद लेखापरीक्षा (पीसीए) के लिए शिपिंग बिलों के चयन के लिए आईसीईएस को आउटपुट प्रदान करेगा।

बोर्ड द्वारा वर्ष 2013 में शुरू किए गए आरएमएस निर्यात मॉडयूल की प्रभावशीलता को जानने के लिए, लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क साइटो जिन पर निर्यात के लिए आरएमएस चालू है, आरएमएस की सुविधा वाले एसबी की अखिल भारतीय आधारित संख्या, एसबी की सुविधा के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित संबंधित लक्ष्यों और निर्यातों के लिए आरएमएस की दक्षता का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन / विश्लेषण, यदि कोई किया है। आरएमएस के विवरणों से संबंधित सूचना मांगी थी। सुविधाजनक एसबी से संबंधित सूचना, एसबी की सुविधा के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित संबंधित लक्ष्य और अध्ययन/विश्लेषण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

डीजी (सिस्टम) ने कहा (जून 2021) कि 252 ईडीआई परिचालन सीमा शुल्क साइटों में से, 250 सीमा शुल्क साइटों में, निर्यात के लिए आरएमएस काम कर रहा था।

इसके अलावा, डीजी (सिस्टम) ने यह भी कहा कि आरएमएस निर्यात के दूसरे चरण का विकास प्रतिअदायगी शुल्क की प्रक्रिया के लिए पूरा हो गया है और आरएमएस और आईसीईएस के बीच परीक्षण चल रहा है। एक बार लागू होने के बाद, निर्यात पीसीए के लिए विकास कार्य आरएमएस के साथ समन्वय में शुरू किया जाएगा और कहा कि आरएमएस एक अलग अनुप्रयोग है और एक अलग इकाई या टीम द्वारा बनाए रखा जाता है। निर्यात के लिए आरएमएस की दक्षता के लिए अध्ययन/विश्लेषण का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2021) डीजी (सिस्टम) ने (जुलाई 2022) कहा कि निर्यात में आरएमएस दो साइटों (पीसीसीसी, मुंबई - आईएनपीडीसी 4 और सूरत हीरा बोर्स -आईएनएचआईआर 6) को छोड़कर सभी ईडीआई साइटों पर उपलब्ध है, जहां आरएमएस सक्षम नहीं है। ये दोनों साइट कीमती कार्गो को संभालते हैं, और ऐसे कीमती कार्गो का मूल्यांकन और जांच नीति के अनुसार विभिन्न मानदंडों के तहत की जाती है, इसलिए, वर्तमान में, इन साइटों पर आरएमएस निर्यात शुरू नहीं किया गया है। आरएमएस के दूसरे चरण के विकास/प्रगति के संबंध में, जो आरएमएस और आईसीईएस के बीच परीक्षण चरण में था, डीजी (सिस्टम) ने कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ड्यूटी प्रतिअदायगी शुल्क दावों का प्रसंस्करण, जो दूसरे चरण का हिस्सा था, जुलाई 2021 में आरएमएस के माध्यम से लागू किया गया था।

इस प्रकार, बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय से आठ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद, प्रतिअदायगी शुल्क जांच के लिए शिपिंग बिलों के चयन के संबंध में आरएमएस का दूसरा चरण लागू किया गया था। तथापि, निर्यातों के लिए निकासी पश्चात लेखापरीक्षा (पीसीए) कार्यान्वित नहीं की गई है।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022) मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि निर्यात के लिए आरएमएस शिपिंग बिल प्रसंस्करण और प्रतिअदायगी

शुल्क प्रसंस्करण के लिए सक्षम है और आयात पीसीए के समान आरएमएस के उत्पादन के आधार पर, निर्यात पीसीए कार्य करेगा।

आम तौर पर, निर्यात के लिए आरएमएस आधारित चयन के अभाव में, पीसीए के लिए मैनुअल चयन के माध्यम से स्वैच्छिकता और पारदर्शिता की कमी है।

सिफारिश 6: निकासी पश्च लेखापरीक्षा (पीसीए) के लिए शिपिंग बिलों के चयन के लिए निर्यात में आरएमएस को जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके पारदर्शिता और लक्ष्य बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए।

2.6 विनिमय दर के दैनिक अद्यतन के लिए मॉड्यूल के कार्यान्वयन में अत्यधिक देरी

सीएजी की वर्ष 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 11 सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा, के पैरा 3.4 के जवाब में - बोर्ड ने (फरवरी 2014) कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ संदेश विनिमय के माध्यम से विनिमय दर के दैनिक अद्यतन के लिए एक मॉडयूल का परीक्षण पूरा हो गया है और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ तकनीकी मुद्दों के समाधान के बाद ही इसे चालू करने का निर्णय लिया जा सकता है।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2022) मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि बोर्ड के निर्देशानुसार, आईसगेट ने आईसीईएस और सीबीआईसी/आईसगेट वेबसाइट में विनिमय दर निर्देशिका के सुरक्षित और स्वचालित अद्यतन के लिए मॉडयूल विकसित किया है। 27 जुलाई 2021 को बोर्ड के समक्ष मॉडयूल का प्रदर्शन किया गया था। बोर्ड ने कुछ बदलावों का सुझाव दिया और माडयूल के नये स्वरूप का निर्देश दिया। तदनुसार, मॉडयूल को फिर से डिज़ाइन किया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार एपीआई 1[9] और एपीआई 2[10] दोनों के

[9]भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयात और निर्यात के लिए आइसगेट पर विनिमय दरों को प्रदर्शित किया जाता है।

[10]एपीआई 1 के माध्यम से प्राप्त विनिमय दरें आईसीईएस द्वारा राउंडऑफ के लिए प्राप्त - की जाएंगी और बाद में आइसगेट वेबसाइट और आईसीईएस निर्देशिका को अद्यतित किया जाएगा।

लिए यूएटी परीक्षण पूरा हो गया है। एसबीआई द्वारा अंतिम गो-लाइव शर्तों को पूरा किया जा रहा है।

सीबीआईसी नियमित आधार पर प्रत्येक 14 दिनों के बाद आम तौर पर प्रमुख लेनदेन विदेशी मुद्राओं के रूपांतरण की विनिमय दर निर्धारित करता है और अधिसूचना (गैर-टैरिफ) जारी करता है। इन विनिमय दर अधिसूचनाओं के आधार पर, डायरेक्टरी मैनेजमेंट साइट के डायरेक्टरी मैनेजर (जो आईसीडी, पटपड़गंज है) का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद डायरेक्टरी ऑफिसर आईसीईएस में बदलाव करता है।

यदि आयात और निर्यात अधिसूचना में उल्लिखित विदेशी मुद्राओं के अलावा अन्य दरों पर किया जाता है, तो आयातक/निर्यातक को बैंक (एसबीआई) से बीई/एसबी दाखिल करने के दिन विनिमय दर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।

एक प्रणाली का कार्यान्वयन जो विनिमय दर में दैनिक उतार-चढ़ाव को दर्ज है, आयातकों और निर्यातकों को अनुचित लाभ या हानि को कम करेगा और तदनुसार विभाग को भी।

सिफारिश 7: विनिमय दर के दैनिक अद्यतन के लिए मॉडयूल को जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए।

2.7 आईजीएम के निष्पादन का गैर-स्वचालन

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 30 के अंतर्गत दर्ज करने हेतु आवश्यक इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट (आईजीएम) एक वैधानिक घोषणा है तथा प्रत्येक पोत, विमान या वाहन, जो आयातित लदे हुए माल को उतारने के इरादे से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट या कोई अन्य व्यक्ति इस दस्तावेज को दर्ज करने के लिए बाध्य है। आईजीएम दर्ज करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहक में लाए गए सभी आयातित सामानों का विधिवत हिसाब रखा गया है। इस धारा के तहत घोषणा दर्ज करने वाले व्यक्ति को सामग्री के विवरण की सत्यता की घोषणा करनी होती है क्योंकि इसके वैधानिक परिणाम है जो वाहक को बाध्य करते है। इस दस्तावेज में किसी भी गलत घोषणा पर धारा 111 (एफ) और धारा 112 के दंडात्मक प्रावधान लागू होते हैं। आईजीएम में वाहक / शिपिंग लाइनों को कार्गो, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, पैकेजों की संख्या, पैकेजों के प्रकार, माल का विवरण,

माल-भार बिल की संख्या और तारीख, पोत आदि के विवरण घोषित करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, कार्यालय सीमा शुल्क प्रधान आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 30.1.2018 के स्थायी आदेश संख्या 2/2018 के अनुसार, अभिरक्षक आयातित वस्तुओं के आईजीएम (आयात सामान्य मैनिफेस्ट) का विवरण, जिसमें एक या एक से अधिक लाइनें हो सकती हैं मैनिफेस्ट क्लीयरिंग विभाग (एमसीडी) सेक्शन में दर्ज होने के सात दिनों के भीतर प्रदान करेगा। इस आदेश के अनुसार आयातित वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित मामले उत्पन्न हो सकते हैं:

तालिका संख्या 2.3: आईजीएम के संबंध में आवश्यक कार्रवाई से संबंधित विवरण

क्रम संख्या	मामलें	की जाने वाली कार्रवाई
(i)	जहां आईजीएम की लाइन संख्याओं के सापेक्ष बिल्स ऑफ एंट्री दर्ज की गई है और माल का निपटान पूर्ण मालसूची के अनुसार हुआ।	आईजीएम की संबंधित लाइन संख्या को बंद माना जाए।
(ii)	जहां आईजीएम की लाइन संख्याओं के सापेक्ष बिल्स ऑफ एंट्री दर्ज की गई है और माल का निपटान आंशिक मालसूची के अनुसार हुआ।	इसके लिए उपयुक्त कारणों और विवरणों का पता लगाया जाए और आईजीएम में संशोधन या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45 (3) या धारा 116 के अनुसार क्रमशः आगमन के बाद माल की चोरी या कम उतराई वाले माल के लिए कार्रवाई की जाए।
(iii)	जहां बिल्स ऑफ एंट्री दर्ज की गई, लेकिन घरेलू खपत के लिए माल की निकासी नही हुई।	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के अनुसार सीमा शुल्क से एनओसी प्राप्त करने के बाद माल के निपटान के लिए अभिरक्षक द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
(iv)	जहां कोई बिल्स ऑफ एंट्री दर्ज नहीं की गई है और माल की निकासी नही हुई।	
(v)	जहां वेयरहाउस बिल्स ऑफ एंट्री दर्ज की गई है।	सीमा शुल्क हाउस के बॉन्ड अनुभाग से डब्ल्यूएच बीई के संदर्भ में एक्स-बॉन्ड बीई के विवरण की पुष्टि करें। यदि पूर्ण मालसूची/आयातपत्र के माल का लेखांकन वेयरहाउस की सूची से मिलता है तो संबंधित लाइन संख्या को बंद माना जाए।
(vi)	जहां माल के पोतांतरण की अनुमति दी गई हो।	लाइन संख्याएं, जिसे अभिरक्षक द्वारा पोतांतरण के रूप में संदर्भित किया जाता है, को बंद माना जाएगा।

स्रोत: कार्यालय सीमाशुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.1.2018 को जारी स्थायी आदेश संख्या 2/2018

एक बार आईजीएम की सभी लाइन संख्याओं का लेखांकन करने के बाद, निरीक्षक (एमसीडी) आईजीएम के निपटान हेतु आवश्यक अनुमोदन का प्रस्ताव करेगा और इसे अधीक्षक/मूल्यांकनकर्ता (एमसीडी) के समक्ष रखेगा, जो इसकी जांच करने के बाद आईजीएम के निपटान का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सहायक आयुक्त/उप आयुक्त (एमसीडी) के समक्ष मामले को रखेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भले ही वर्ष 1998 में शुरू किए गए सीमा शुल्क के आईसीईएस आवेदन में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आईजीएम दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई थी, आईसीईएस आवेदन में आईजीएम के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निपटान की कार्यक्षमता नहीं थी और इसे वर्ष 2015-16 से 2019-20 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मैनुअल रूप से किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान सम्पूर्ण भारत में 16,82,734 आईजीएम दर्ज किए गए थे। डीजी (सिस्टम) को जनवरी 2021 में पैन-इंडिया आधार पर इस अवधि के दौरान दर्ज आईजीएम का विवरण प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था, जिसके विपरीत आईजीएम अभी भी बंद होने हैं, लेकिन लेखापरीक्षा को कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि दर्ज आईजीएम के विपरीत आईजीएम के निपटान का विवरण एक क्षेत्राधिकार का मामला है क्योंकि वर्तमान मॉड्यूल में, आईजीएम के निपटान के कारण आईजीएम में शामिल माल की आवाजाही की जटिलता के कारण दर्ज आईजीएम के साथ सही मिलान नहीं होता है। यह पता चला है कि निगरानी और निपटान से संबंधित कार्रवाई वर्तमान में आईजीएम सेल या आयुक्तालय विभाग द्वारा की जाती है। विभाग इस मुद्दे से अवगत है और उपर्युक्त मॉड्यूल के साथ-साथ समुद्री-कार्गो मैनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट विनियमों (एससीएमटीआर) के लागू होने पर, सही मिलान का वांछित उद्देश्य प्राप्त होने की उम्मीद है।

आईजीएम को बंद करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहक के माध्यम से लाए गए सभी आयातित सामानों का विधिवत लेखांकन किया गया है और लागू शुल्क लगाए गए हैं। आईजीएम को बंद करने के गैर-स्वचालन से वाहक के माध्यम से लाए गए सभी आयातित सामानों के लिए उचित मिलान और लेखांकन की कमी होती है और पेंडेंसी बढती जाती है जिसे समय बीतने के साथ हल करना मुश्किल होगा। सभी आईजीएम को बंद करने के लिए क्षेत्राधिकार के अधिकारियों पर कोई बाध्यता नहीं है।

सिफारिश 8: मंत्रालय आवश्यक कदम उठाए ताकि आईसीईएस में दर्ज आईजीएम इलेक्ट्रॉनिक रूप से बंद कर दिया जाए और सभी सामानों का विधिवत लेखांकन किया जाए। सभी खुले आईजीएम को मैन्युअल रूप से बंद करने के प्रयास भी किए जाएं। मंत्रालय को आईजीएम को बंद करने के लिए एक समय सीमा भी तय करनी चाहिए और निर्धारित करनी चाहिए क्योंकि अनुचित देरी / गैर-समाधान राजस्व रिसाव के जोखिम से भरा है।

2.8 शुल्क की वापसी प्रक्रिया का गैरस्वचालन-

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (सीए) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसने सीमा शुल्क का भुगतान किया है या किसी भी ब्याज का भुगतान किया है, निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने शुल्क की वापसी के लिए दावा कर सकता है:

(क) जब निर्यात शुल्क/उपकर के भुगतान के बाद माल का निर्यात किया जाता है और निर्यातित माल पुनर्विक्रय के माध्यम द्वारा भिन्न प्रकार से निर्यातक को वापस कर दिया जाता है और माल को एक वर्ष के भीतर पुनः आयात किया जाता है (सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 26)।

(ख) जब आयातित माल दोषपूर्ण पाया जाता है या अन्यथा माल के आयातक और आपूर्तिकर्ता के बीच सहमत विनिर्देश के अनुरूप नहीं होता है और आयातित माल को उसी रूप में हो जैसा निर्यात किया जाता है (सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 26 ए)।

(ग) कोई भी व्यक्ति जिसने आयातित वस्तुओं के मूल्यांकन पर शुल्क का भुगतान किया हो और इसके परिणामस्वरूप शुल्क की वापसी के लिए

आवेदन करता है i) माल की चोरी, माल की क्षति, और माल के मूल्य में गिरावट, माल के खो जाने या नष्ट हो जाने के कारण शुल्क में छूट /कमी ii) अनंतिम मूल्यांकन का अंतिम रूप जहां शुल्क प्रतिदेय है iii) प्रोजेक्ट आयात के अंतिम रूप पर नकद प्रतिभूति जमा, iv) अपील के मामले या पुनरीक्षण में निचले प्राधिकारी के निर्णय या अधिनिर्णय आदेश में संशोधन,v) शुल्क की दर के गलत अनुप्रयोग, गलत वर्गीकरण, उच्च मूल्यांकन को अपनाने के कारण पुनर्मूल्यांकन पर शुल्क में कमी (सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27)|

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि वर्ष 1998 में शुरू किए गए सीमा शुल्क के आईसीईएस अनुप्रयोग में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बीई और शिपिंग बिल को दर्ज करने और संसाधित करने की सुविधा प्रदान की गई थी, लेकिन आज तक, आईसीईएस अनुप्रयोग में सीमा शुल्क की वापसी के लिए कार्याक्षमता नहीं है और यह मैनुअल रूप से किया जा रहा है।

यह पूछे जाने पर कि क्या इलेक्ट्रॉनिक रूप की प्रक्रिया और सीमा शुल्क की वापसी के संबंध में सीमा शुल्क क्षेत्र गठन से कोई आवश्यकता/अनुरोध प्राप्त हुए हैं, डीजी (सिस्टम) ने कहा (जून 2021) कि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है और यह भी बताया कि सीमा शुल्क कानून के तहत ऑनलाइन धनवापसी को सक्षम करने की आवश्यकता एक नीतिगत मामला है।

इसके अतिरिक्त, आईसीईएस में वर्तमान में विशेष बीई/एसबी के प्रति किए गए सीमा शुल्क की वापसी के विवरण के संबंध में आंकड़े प्राप्त करने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि आईसीईएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन वापसी की प्रक्रिया के लिए सीमा शुल्क की वापसी के लिए मॉड्यूल को शामिल करने से धनवापसी आवेदन के साथ बीई की एक प्रति दर्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और साथ ही विभाग को उन बीई के रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी, जिनके लिए धनवापसी दी गई है और धनवापसी के मामलों की निगरानी तंत्र को अधिक कुशल बना देगा। इसके अलावा, यह धनवापसी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाएगा।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि आईसीईएस लेन-देन मंच को कालानुक्रमिक तरीके से रैखिक प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन किया गया है और वर्तमान डिजाइन आउट ऑफ चार्ज के बाद बिल ऑफ एंट्री के आगे और पीछे जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह दोहराया जाता है कि धनवापसी प्रक्रिया को स्वचालित नहीं किया जा सकता है क्योंकि धनवापसी की प्रक्रिया निर्णय के बाद, अपील के बाद आदि से संबंधित हो सकती है और यदि गलत तरीके से वृद्धि आदि होती है तो राशि को कम किया जा सकता है या उपभोक्ता संरक्षण कल्याण कोष में स्वीकृत किया जा सकता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनवापसी ज्यादातर एक विशेष बीई से जुड़ा होता है और कम से कम धनवापसी प्रक्रिया के ऑनलाइन कार्य प्रवाह से बढ़ी हुई पारदर्शिता के साथ अधिक इष्टतम स्वचालन हो सकता है।

लेखापरीक्षा की राय में, धनवापसी दावों को दर्ज करने और संसाधित करने से संबंधित कार्य प्रगति को जीएसटीएन सिस्टम की तर्ज पर स्वचालित करने की आवश्यकता है। कार्य प्रगति स्वचालन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभिन्न कारकों जैसे अधिनिर्णय के बाद, अपील के बाद, दोहरी शुल्क वापसी, शुल्क के पुनर्मूल्यांकन के कारण धनवापसी आदि को ध्यान में रखते हुए धनवापसी का निर्णय लिया जा सकता है। इससे प्रभावी निगरानी होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

सिफारिश 9: मंत्रालय प्रतिदाय को संकलित और संसाधित करने के लिए ऑनलाइन कार्यप्रवाह रखने पर विचार कर सकता है ताकि विभाग इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन बीई पर नज़र रखने में सक्षम हो, जिनके सापेक्ष प्रतिदाय दिया गया है। इससे प्रतिदाय मामलों की निगरानी को अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी हो जाएगी।

2.9 दोहरे भुगतान के मामले में शुल्क का स्व-वापसी न होना

आईसीईगेट आंतरिक रूप से आरबीआई, बैंकों, डीजीएफटी, डीजीसीआईएस, इस्पात मंत्रालय, मूल्यांकन निदेशालय और आयात-निर्यात व्यापार में शामिल अन्य विभिन्न भागीदार सरकारी एजेंसियों सहित तेजी से सीमा शुल्क निकासी को सक्षम बनाने वाली कई साझेदार एजेंसियों के साथ जुड़ा हुआ है। आईसीईगेट द्वारा संभाले जा रहे सभी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों/संदेशों को

भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस) के सीमा शुल्क द्वारा संसाधित किया जाता है। नामित बैंक में नेट बैंकिंग सुविधा रखने वाला कोई भी व्यक्ति आईसीईगेट के माध्यम से सीमा शुल्क का भुगतान कर सकता है।

धनवापसी के दावों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि शुल्क के भुगतान के समय तकनीकी त्रुटि के कारण कई बार शुल्क राशि डेबिट हो जाती है लेकिन यह आईसीईगेट पर परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में, पार्टी को फिर से शुल्क भुगतान करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप दो बार सीमा शुल्क का भुगतान होता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आईसीईगेट/आईसीईएस आयातक के बैंक खाते में स्वचालित रूप से शुल्क धनवापसी नहीं करता है, जहां से गलती से शुल्क का भुगतान किया गया था और आयातक को मैनुअल रूप से दो बार भुगतान किए गए शुल्क धनवापसी का दावा करना पड़ता है क्योंकि धनवापसी मॉड्यूल अभी भी स्वचालित नहीं है। इसके अतिरिक्त, दोहरे शुल्क का भुगतान आईसीईएस में परिलक्षित नहीं होता है जिसके लिए ई-पीएओ कार्यालय से दोहरे शुल्क भुगतान की पुष्टि मांगी जाती है।

इसलिए, दोहरी शुल्क धनवापसी की मैन्युअल प्रक्रिया और ई-पीएओ कार्यालय के साथ इसकी दोबारा जांच के लिए आयातकों की पूंजी के अवरोध के अलावा अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा ने विभाग से जनवरी 2021 में आईसीईएस/आईसीईगेट में दोहरे शुल्क के प्रतिबिंबित न होने के कारणों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करने तथा वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान तकनीकी त्रुटि के कारण सीमा शुल्क के दोहरे भुगतान से संबंधित मामलों की कुल संख्या की मांग की गई थी, लेकिन जून 2021 तक कोई जवाब नहीं मिला।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने (अगस्त 2022) पर मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि दोहरे शुल्क भुगतान से बचने के लिए आईसीईगेट के लिए एपीआई आधारित सीमा शुल्क भुगतान मॉड्यूल में एक कार्यक्षमता विकसित की जा रही है। प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(i) एक बार नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान शुरू हो जाने के बाद, चयनित चालान (चालानों) को 2 घंटे की अवधि के लिए दूसरे लेनदेन की शुरुआत के लिए लॉक कर दिया जाएगा। 2 घंटे की अवधि के बाद, चालान का लॉक हटा दिया जाएगा और उपयोगकर्ता अवैतनिक चालान के उसी सेट या चालानों के एक नए समूह के साथ एक नया लेनदेन शुरू कर सकता है।

(ii) प्रत्येक लेनदेन के बाद, आईसीईगेट पर लेनदेन विवरण को अपडेट करने से पहले लेनदेन की स्थिति की पुन: पुष्टि करने के लिए एक दोहरा सत्यापन एपीआई लागू किया जाएगा। दोहरे सत्यापन एपीआई की प्रतिक्रिया को अंतिम और वैध प्रतिक्रिया के रूप में माना जाएगा।

(iii) ये लेन-देन वास्तविक समय में पूरे हो जाते हैं। ब्राउज़र आधारित अनुरोध और दोहरे सत्यापन एपीआई के पूरा होने के बाद, लेनदेन को पूरा माना जाता है।

आगामी लेखापरीक्षा में इसका सत्यापन किया जाएगा।

2.10 ड्वेल टाइम

ड्वेल टाइम बंदरगाह में कार्गो के आने के समय से लेकर सभी अनुमतियों और मंजूरी प्राप्त होने के बाद माल बंदरगाह परिसर छोड़ने तक बीत चुके समय का माप है। इसकी (निर्यात और आयात खेप के ड्वेल टाइम) जांच करने के लिए, लेखापरीक्षा ने (सितंबर 2020) वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए बीई और एसबी की विभिन्न श्रेणियों के आयात कार्गो और निर्यात कार्गो के लिए वर्ष-वार टाइम रिलीज़ डेटा से संबंधित जानकारी मांगी, जिसमें खेप के विभिन्न चरणों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, संबंधित सूचना भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

डीजी (सिस्टम) ने (जून 2022) उत्तर दिया कि टाइम रिलीज स्टडी (टीआरएस) बोर्ड द्वारा अनिवार्य रूप से व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीटीएफ) सचिवालय द्वारा आयोजित की जाती है। डीजी (सिस्टम) राष्ट्रीय समिति को 15 बंदरगाहों के संबंध में आंकड़े प्रदान करता है और भेजे गए प्रारूप में लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध किया गया डेटा एनआईसी के परामर्श से निकाला जा रहा है।

लेखापरीक्षा में वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए खेप के विभिन्न चरणों का उल्लेख करते हुए बीई और एसबी की विभिन्न श्रेणियों के आयात कार्गो और निर्यात कार्गो के लिए वर्ष-वार टाइम रिलीज़ डेटा से संबंधित पैन इंडिया जानकारी मांगी। हालांकि, संबंधित अवधि की सूचना लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

विभाग ने वर्ष 2022 हेतु टाइम रिलीज स्टडी (टीआरएस) आयोजित करने वाली राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ) सचिवालय की रिपोर्ट की प्रति प्रदान की है। इस अध्ययन में 15 प्रमुख सीमा शुल्क संरचनाओं के माध्यम से कार्गो निकासी के लिए जनवरी 2022 के पहले सप्ताह के दौरान दर्ज, बिल ऑफ एंट्री (आयात के लिए) और शिपिंग दस्तावेज (निर्यात के लिए) शामिल हैं, जिन्हें 7 फरवरी, 2022 तक ट्रैक किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि वर्ष 2022 के लिए टीआरएस पर समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं:

i. एनटीआरएस 2022 ने दो 'प्रभाव विघटनकारी' कार्रवाइयों की पहचान की थी, अर्थात् मूल्यांकन के बाद शुल्क के भुगतान में देरी और संशोधन से जुड़े प्रवेश बिलों में वृद्धि, जिन्हें नीति-सह-प्रशासनिक कार्यों के उचित मिश्रण के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है, जिन्हें समयबद्ध तरीके से एनटीएफएपी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक बहु-आयामी पहल द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है (टीआरएस का उप-पैरा 12.3)।
ii. अध्ययन में आईईसी स्तर पर बारीक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उच्च सुविधा और कम औसत रिलीज समय के संदर्भ में इसके लाभों के स्पष्ट सबूत के बावजूद, दायर बिल्स ऑफ एंट्री के भाग के संदर्भ में अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) कार्यक्रम के लिए व्यापार द्वारा रुचि की कमी पर भी प्रकाश डाला गया है (टीआरएस के उप-पैरा 12.4)।
iii. मूल्यांकन चरण पर लगने वाले समय को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन को सरल बनाने के लिए, जिसे एनटीआरएस 2021 से एनटीआरएस 2022 तक बढ़ाया गया है, को नोट कर लिया गया है (टीआरएस का उप-पैरा 12.5)।
iv. यह महसूस किया गया कि अधिक जटिल उपकरणों का उपयोग करके निजी टर्मिनल ऑपरेटरों, आईसीडी और सीएफएस सहित विभिन्न संरक्षकों के

प्रदर्शन का आकलन करने के लिए टीआरएस टूल का उपयोग करना संभव है। इस तरह के मात्रात्मक विश्लेषण से सरकार को एक साक्ष्य-आधारित योजना तैयार करने में मदद मिलेगी ताकि संबंधित हितधारकों को अपने व्यापार सुविधा प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके (टीआरएस का उप-पैरा 12.6)।

v. निर्यात के सन्मुख, भले ही अध्ययन हेतु नमूना आकार सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली और संबंधित संरक्षकों से डेटा एकत्र करने में काफी वृद्धि हुई है, कई शिपिंग बिलों के मामले में डेटा अपर्याप्तता और मिलान से संबंधित मुद्दे पाए गए। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में शिपिंग बिलों को नमूने से बाहर रखा गया। उम्मीद है कि अगले एनटीआरएस के संचालन से पहले इन मुद्दों को और सुलझा लिया जाएगा (टीआरएस का उप-पैरा 12.7)।

vi. जहां तक औसत निर्यात रिलीज समय का संबंध है, बड़े लॉजिस्टिक मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो एलईओ देने के बाद भी काफी समय लेते हैं, जो विनियामक स्वीकृति में लगने वाले समय के दबाव के बावजूद उच्च बना रहता है, जैसा कि कार्गो के आगमन से लेकर एलईओ प्रदान करने तक लगने वाले समय में कमी से परिलक्षित होता है (टीआरएस का उप-पैरा 12.8)।

vii. देश भर में और बंदरगाहों, आईसीडी और विशेष रूप से अंतर्देशीय सीमा बंदरगाहों (आईसीपी) के करीब, अधिक और आधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और जनशक्ति को मजबूत करने से निर्यात कार्गो को सुविधाजनक बनाने में एक लंबा रास्ता तय करना है। (टीआरएस का उप-पैरा 12.9)।

टीआरएस समिति 2022 द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति पर मंत्रालय/सीबीआईसी/डीजीएफटी के जवाब की प्रतीक्षा की जा रही थी (जनवरी 2023)।

अध्याय 3
अन्य अनुप्रयोगों के साथ इंटरफेस

3. अन्य अनुप्रयोगों के साथ इंटरफेस

आईसीईएस निर्यात और आयात से संबंधित आंकड़ों का अधिग्रहण करता है। अन्य विभिन्न सूचना प्रोद्यौगिकी अनुप्रयोग आवधिक आधार पर आईसीईएस के साथ अन्तः क्रिया करते हैं। यहां लेखापरीक्षा का दायरा विभिन्न हितधारकों के अन्य अनुप्रयोगों के साथ आईसीईएस के इंटरफेस की प्रभावशीलता पर आश्वस्त होना था। सॉफ्टवेयर अभिकल्प दस्तावेज (एसडीडी), जोकि 2010 संस्करण के थे, 16 हितधारकों[11] में से केवल 9 के संबंध में डीजी (सिस्टम) से प्राप्त हुए थे। फिर भी, संबंधित कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश (एफआरएस)/एसआरएस और सेवा स्तर समझौते एवं आईसीईएस और सभी हितधारकों के बीच संदेश विनिमय के परीक्षण के लिए नवीनतम उपयोगकर्ता नियमावली, लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

आगे, लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए एसडीडी में विभिन्न संदेशों के लिए डेटा तालिकाओं और नियंत्रण तालिकाओं की केवल संरचनात्मक जानकारी होती है। तालिकाओं के लिए फ़ील्ड का विस्तृत विवरण और प्रत्येक संदेश की सुविधाएँ और कार्यक्षमता, संदेशों के लिए विशिष्ट आवश्यकता दिए गए एसडीडी में उपलब्ध नहीं थी।

नमूना डेटा अभिलेख, जो हितधारकों के बीच डेटा प्रवाह का अध्ययन /विश्लेषण करने में हमारी मदद कर सकता है और हमें विभिन्न हितधारकों के साथ संचरण तंत्र की कमियों को उजागर करने में सक्षम बनाता है, स्थानीय स्तर पर, सीमा शुल्क विभाग के पास या विभिन्न हितधारकों के पास उपलब्ध नहीं था।

[11]सी लाइन/ पोर्ट्स, एयर /एयरलाइन-कंसोल, डीजीएफटी, डीजीओवी, एसईजेड, बैंक, आरबीआई, सीआरसीएल, पीएओ, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो(आई.सी.डी), सीमा शुल्क हाउस एजेंट(सी.एच.ए), प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक(प्री.सी.सी.ए), राजस्व आसूचना निदेशालय (डी.आर.आई), केंद्रीय आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई.एस), ई-संचित और साझेदार सरकारी एजेंसी (पी.जी.ए.)

आईसीईएस और सभी हितधारकों के बीच मार्च 2021 महीने के लिए संदेश विनिमय से संबंधित आंकड़ों का नमूना मांगा गया था, लेकिन प्रदान नहीं किया गया था।

प्रमुख हितधारकों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श का विवरण नीचे दिया गया है:

3.1 सीमा शुल्क और डीजीएफटी के मध्य संदेश विनिमय

डीजीएफटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यालयों से आंकड़े एकत्र करते हैं और इसे आईसीईगेट के माध्यम से केंद्रीय रूप से सीमा शुल्क को प्रेषित करते हैं। तब संदेशों को आईसीईएस 1.5 के साथ एकीकृत किया जाता है। आईसीईएस और डीजीएफटी अनुप्रयोगों के बीच डेटा का विनिमय सभी डीजीएफटी निर्यात संवर्धन योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण है। एसडीडी, *खंड* VI - *भाग* 6 (ईडीआई डीजीएफटी, संस्करण 1.0 सितंबर 2010) ने ईडीआई के माध्यम से आईसीईएस 1.5 और डीजीएफटी के मध्य कुल 13 संदेशों का विनिमय किया।

डीजी(सिस्टम) ने पुष्टि की (मार्च 2021) कि वर्ष 2019-20 के दौरान आईसीईएस और डीजीएफटी के मध्य विनिमय के लिए सूचीबद्ध 13 संदेशों में से केवल 5 संदेश, जैसा कि नीचे दिया गया है, परिचालन / कार्यात्मक थे:

तालिका सं.3.1*:* आईसीईएस और डीजीएफटी के बीच प्रचालित संदेश

क्रं सं.	संदेश विवरण	से	तक
1	आईई (आयात/निर्यात) कोड निर्देशिका	डीजीएफटी	सीमा-शुल्क
2	आईई कोड पावती	सीमा-शुल्क	डीजीएफटी
3	लाइसेंस सूचना	डीजीएफटी	सीमा-शुल्क
4	लाइसेंस पावती	सीमा-शुल्क	डीजीएफटी
5	शिपिंग बिल डेटा	सीमा-शुल्क	डीजीएफटी

स्रोत: एसडीडी, खंड VI -भाग 6 (ईडीआई। डीजीएफटी, संस्करण 1.0, सितंबर 2010)

वर्ष 2019-20 के दौरान, आईसीईएस और डीजीएफटी के बीच विनिमय कुल 8 संदेश प्रचालित/कार्यात्मक नहीं थे, जैसा कि अगले पृष्ठ पर उल्लिखित है:

तालिका संख्या 3.2: आईसीईएस और डीजीएफटी के बीच अप्रचालित संदेश

क्रम सं.	संदेश विवरण	से	तक
1.	अधिसूचना निर्देशिका	सीमाशुल्क	डीजीएफटी
2.	निर्यात दायित्व निर्वहन (ईओडीसी) प्रमाण पत्र	डीजीएफटी	सीमा-शुल्क
3.	ईओडीसी प्रमाण पत्र की पावती	सीमा-शुल्क	डीजीएफटी
4.	एसबी पावती	डीजीएफटी	सीमा-शुल्क
5.	एसबी संदेश की अप्राप्ति	सीमा-शुल्क	डीजीएफटी
6.	डीजीएफटी से पावती की गैर प्राप्ति	सीमा-शुल्क	डीजीएफटी
7.	बिल्स ऑफ एंट्री का डेटा	सीमा-शुल्क	डीजीएफटी
8.	बीई पावती	डीजीएफटी	सीमा-शुल्क

स्रोत: एसडीडी, खंड VI -भाग 6 (ईडीआई। डीजीएफटी, संस्करण 1.0, सितंबर 2010) और डीजी (सिस्टम) का उत्तर

आईसीईएस 1.5 में प्रमुख लाभों के रूप में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई थी:

i) केंद्रीकृत निर्देशिका प्रबंधन, केंद्रीकृत लाइसेंस और बॉन्ड प्रबंधन, अधिकारियों और व्यापार के बीच कम इंटरफ़ेस,

ii) मैन्युअल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कमी, जिसके परिणामस्वरूप कम त्रुटियां होती हैं और कोई दोहराव नहीं होता है,

iii) आयातकों/निर्यातकों आदि को दस्तावेज की स्थिति पर एसएमएस/ईमेल आधारित अद्यतन।

समय पर लाइसेंस जारी करने के लिए एसबी, बीई डेटा और इसकी पावती का स्वचालित पारेषण आवश्यक है, शुल्क छूट के आधार पर निर्यात दायित्वों की गणना और ईओडीसी के स्वचालित संदेश पारेषण से चूककर्ताओं से शुल्क की वसूली समय पर होगी और डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा।

अधिसूचना निर्देशिका के अभाव में व्यापारियों को अनियमित लाभ हो सकता है और निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र के मैनुअल निर्वहन के परिणामस्वरूप चूककर्ताओं से शुल्क की वसूली में अनुचित विलंब हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि सभी संदेश प्रचालित या कार्यात्मक होते हैं, तो सीमा शुल्क और डीजीएफटी के बीच बेहतर समन्वय होगा।

इस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि एसएलए, एसआरएस, एफआरएस जैसे आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में, आईसीईएस और डीजीएफटी अनुप्रयोगों के बीच संदेशों के विनिमय के किसी भी नमूना डेटा और यूएटी के माध्यम से संदेशों के विनिमय को सत्यापित करने की संभावना न होने के कारण, संदेश विनिमय की प्रभावशीलता पर आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका।

सीमा शुल्क ईडीआई प्रणालियों के साथ गैर-एकीकरण का उल्लेख करने वाली पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/ अनुच्छेदों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

i) वर्ष 2015 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 13 में विभिन्न हितधारकों ईडीआई अनुप्रयोगों जैसे आईसीईएस, डीजीएफटी ईडीआई सिस्टम, एसईजेड ऑनलाइन के एकीकरण का उल्लेख किया गया था, जिसमें अन्य एजेंसियों के साथ परस्पर सुधार करने की सिफारिश की गई थी और विभाग ने उत्तर दिया कि डीजीएफटी से ईओडीसी की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए संदेश प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए डीजीएफटी के साथ ऑनलाइन ईओडीसी का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक परिणामों को जांचा नहीं गया हैं।

ii) उसी प्रतिवेदन का पैरा 2.3 दर्शाता है कि विनिमय दरों को गलत तरीके से अपनाया गया था जोकि अधिसूचनाओं के अद्यतनीकरण में विलंब का परिणाम था।

iii) वर्ष 2020 के एमईआईएस/एसईआईएस पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-5 के पैरा 2.1.2 में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्क्रिप्स जारी करने में अधिकांश विलंब सीमा शुल्क आईसीईएस नेटवर्क के साथ एसईजेड निर्यात मॉड्यूल के एकीकरण नहीं होने के कारण हुआ था। एकीकरण न होने के परिणामस्वरूप डीजीएफटी शिपिंग बिल रिपॉजिटरी में एसईजेड के एसबी डेटा प्राप्त नहीं हुए।

iv) वर्ष 2017 की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 41 का पैरा 2.1.2 दर्शाता है कि मानक इनपुट आउटपुट (एसआईओएन) मानदंडों के बिना आयात के लिए लाइसेंस के गैर नियमित पंजीकरण के परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान हुआ था।

v) इसी प्रकार, वर्ष 2017 की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 के पैरा 4.1 में स्क्रिप के पंजीकरण/स्क्रिप के उपयोग में हेरफेर के माध्यम से विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के संबंध में शुल्क क्रेडिट के अधिक उपयोग का पता चला है। डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच एक मजबूत ईडीआई संचार से सरकारी खजाने को राजस्व के भारी नुकसान से रोका जा सकता था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने अधिसूचना निर्देशिका के संबंध में कहा (नवंबर 2022) कि एपीआई विकसित नहीं किया जाना था, जैसा कि 11.12.2020 को डीजीएफटी के साथ आयोजित हुई बैठक में चर्चा की गई थी और अधिसूचना निर्देशिका विभागों को ईमेल पर साझा की जाएगी। निर्यात दायित्व निर्वहन (ईओडीसी) प्रमाणपत्र और एपीआई को एसीके पर लाइव किया गया है, जिसके माध्यम से डीजीएफटी को दिसंबर 2020 से ईओडीसी विवरण प्राप्त हुए हैं। एसबी पावती पर, मंत्रालय ने कहा कि एसबी एपीआई डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच लाइव है और इसके लिए एसीके दिसंबर 2020 से एसबी एपीआई के लिए डीजीएफटी की प्रतिक्रिया के रूप में साझा किया जाता है।

एपीआई की अप्राप्ति के संबंध में, यह कहा गया था कि यह तकनीकी दस्तावेज चरण 1 या 2 का हिस्सा नहीं था। बिल ऑफ एंट्री एपीआई और एसीके के बिल हेतु, एपीआई को लाइव किया गया है, जहां सीमा शुल्क पोस्ट बीई एपीआई के माध्यम से टी -1 दिन तक जारी लाइसेंस के लिए बीई सूची साझा करता है और डीजीएफटी कॉल को बीई नंबर के साथ बीई एपीआई मिलता है ताकि किसी विशेष बीई के लिए बीई विवरण प्राप्त किया जा सके।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने सीमा शुल्क और डीजीएफटी के बीच संदेश एक्सचेंजों की स्थिति के संबंध में, जो डीजी (सिस्टम) द्वारा लाइव किए जाने के लिए निर्दिष्ट किए गए थे, कहा (मार्च 2023) कि चार[12] अतिरिक्त संदेशों सहित 17 संदेश एक्सचेंजों में से, शेष तीन संदेशों {(i) अधिसूचना निदेशालय, (ii) एसबी संदेश की गैर-प्राप्ति और (iii) डीजीएफटी से पावती प्राप्त न होना} को

[12] चार अतिरिक्त संदेश एक्सचेंज)i) पोर्ट विवरण, (ii) ईडीपीएमएस डेटा)iii) बिल ऑफ एंट्री प्राप्त करें और)iv) शिपिंग बिल प्राप्त करें।

छोड़कर 14 सक्रिय हैं । हालांकि, डीजीएफटी ने आगे कहा (मार्च 2023) कि नीचे दिए गए पांच सक्रिय संदेशों के संबंध में मुद्दे थे:

तालिका 3.3: मौजूदा संदेशों के साथ डीजीएफटी द्वारा सामना किए गए मुद्दे

क्र.सं	संदेश विवरण	से	को	मुद्दे
1	शिपिंग बिल डेटा	सीमा शुल्क	डीजीएफटी	1. एमएफटीपी के माध्यम से पुराने रिकॉर्ड अभी भी सेट किए जा रहे हैं। 2. रिकॉर्ड डीजीएफटी को प्रेषित नहीं किए जाते हैं लेकिन सार्वजनिक जांच में दिखाया गया है कि डेटा भेजा गया है। 3. शिपिंग बिल में संशोधन डीजीएफटी को प्रेषित नहीं किया गया। यह भौतिक पत्र में जारी किया जाता है, जिसे तब डीजीएफटी सिस्टम में मैनुअल रूप से अपडेट किया जाता है।.
2	शिपिंग बिल डेटा	सीमा शुल्क	डीजीएफटी	एपीआई दो सप्ताह से अधिक पुराने रिकॉर्ड को आउटपुट नहीं देता है।
3	बिल ऑफ एंट्री डेटा	सीमा शुल्क	डीजीएफटी	1. ईपीसीजी लाइसेंस के मामले में ड्यूटी सेव वैल्यू नहीं आ रहा है। 2. मद वार आईटीसीएचएस कोड डेबिट किए गए आइटम के लिए उपलब्ध नहीं है। 3. टीआरक्यू लाइसेंस के लिए डेबिट अनुमत मात्रा से अधिक है। 4. ईडीआई बंदरगाहों के लिए पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी का ऑनलाइन डेबिट नहीं हो रहा है। 5. टीआरक्यू योजनाओं के लिए बिल ऑफ एंट्री एपीआई में बिल ऑफ एंट्री मात्रा अनुपस्थित पाई गई है।
4	पोर्ट विवरण	सीमा शुल्क	डीजीएफटी	ईडीआई/गैर-ईडीआई बंदरगाहों को साझा किया जाता है लेकिन एसईजेड बंदरगाहों को इस संदेश एक्सचेंज के हिस्से के रूप में साझा नहीं किया जाता है।
5	लाइसेंस की जानकारी	डीजीएफटी	सीमा शुल्क	एसईआईएस और एमईआईएस अभी भी एपीआई के बजाय फ़ाइल आधारित विधि के माध्यम से भेजे जा रहे हैं।
6	ईओडीसी	डीजीएफटी	सीमा शुल्क	सार्वजनिक पूछताछ पोर्टल आइसगेट में उपलब्ध नहीं है; इसलिए निर्यातकों के लिए बंदरगाह अधिकारी को ईओडीसी स्थिति दिखाना कठिन हो जाता है।

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीजीएफटी, नई दिल्ली पत्र दिनांक 27 मार्च 2023

3.2 आईसीईएस को बैंकों के साथ जोड़ना

किसी भी नामित बैंक शाखा के माध्यम से ई-भुगतान और भुगतान के विकल्प सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध हैं। आयातक/निर्यातक शुल्क/उपकर का भुगतान नामित बैंक शाखाओं के माध्यम से या किसी भी नामित बैंक शाखा के माध्यम से कर सकता है। बीई/एसबी के आकलन के बाद, चालान की जानकारी बैंक, सीमा शुल्क हाउस और ईडीआई तंत्र को उपलब्ध कराई जाती है। एसडीडी, खंड VI -भाग 5 (ईडीआई-बैंक, संस्करण 1.0 सितंबर 2010) ने ईडीआई (आईसीईएस 1.5) के माध्यम से सीमा शुल्क और बैंकों के बीच विनिमय किए जाने वाले कुल 13 संदेशों को सीमांकित किया।

बैंक और आईसीईएस के बीच विनिमय किए गए 13 संदेशों में से डीजी (सिस्टम) ने कहा (दिसंबर 2020) कि आईसीईएस और बैंक के बीच केवल पांच संदेशों का विनिमय किया जाता है जैसा कि नीचे बताया गया है। यह नोट किया गया था कि एसडीडी में उल्लिखित के अलावा संदेशों की एक अतिरिक्त दो संख्या (क्रम सं. 6 और 7) आईसीईएस और बैंक के बीच विनिमय किया जा रहा था।

तालिका संख्या 3.4: आईसीईएस और बैंक के बीच संचालित संदेश

क्रम.सं.	संदेश विवरण	से	तक
1.	चालान संदेश	सीमाशुल्क	बैंक
2.	शुल्क प्राप्ति के पश्चात चालान संदेश	बैंक	सीमाशुल्क
3.	दिवस की समाप्ति पर चालान सारांश विवरण	बैंक	सीमाशुल्क
4.	दिन की समाप्ति पर चालान सारांश संदेश	सीमाशुल्क	बैंक
5.	आयात कर वापसी स्क्रॉल	सीमाशुल्क	बैंक
6.	उपकर चालान संदेश	सीमाशुल्क	बैंक
7.	उपकर भुगतान की प्राप्ति	बैंक	सीमाशुल्क

स्रोत: एसडीडी, खंड VI -भाग 5 (ईडीआई बैंक, संस्करण 1.0, सितंबर 2010)

आईसीईएस और बैंकों के बीच कुल छः संदेश विनिमय होते हैं, वर्ष 2019-20 के दौरान संचालित /कार्यात्मक नहीं थे, जैसा कि अगले पृष्ठ पर बताया गया है:

तालिका सं 3.5: आईसीईएस और बैंक के बीच अप्रचालित संदेश

क्रम सं.	संदेश विवरण	से	तक
1.	दिन की समाप्ति पर उपकर सारांश संदेश	सीमा शुल्क	बैंक
2.	आईई कोड सूचना	सीमा शुल्क	बैंक
3.	बैंक द्वारा चालान सूचना की गैर प्राप्ति	सीमा शुल्क	बैंक
4.	शुल्क के गैर भुगतान की पुष्टि	बैंक	सीमा शुल्क
5.	प्रतिअदायगी राशि के प्रेषण के बाद स्क्रॉल	बैंक	सीमा शुल्क
6.	स्क्रॉल की अस्वीकृति	बैंक	सीमा शुल्क
7.	प्रतिअदायगी शुल्क का जमा न करना	बैंक	सीमा शुल्क
8.	खाता संख्या का आवंटन	बैंक	सीमा शुल्क

स्रोत: एसडीडी, खंड VI -भाग 5 (ईडीआई। बैंक, संस्करण 1.0, सितंबर 2010) और डीजी (सिस्टम) का उत्तर

'प्रतिअदायगी राशि के प्रेषण के बाद का स्क्रॉल', 'प्रतिअदायगी का क्रेडिट न होना', आईईसी, शुल्क का भुगतान न करने की पुष्टि आदि जैसे संदेशों का आईसीईएस के माध्यम से विनिमय नहीं किया जाता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की हस्तचालित जांच हेतु मैनुअल प्रशासनिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप त्रुटि का खतरा बढ़ जाता है, प्रसंस्करण में विलंब होता है, निर्यातकों और सरकारी अभिकरणों के मध्य अन्तः क्रिया में कमी होती है जोकि सभी आईसीईएस के माध्यम से कम करने के लिए अभिकल्पित किए गए थे। इससे प्रतिअदायगी की गलत गणना, निर्यातकों को प्रतिअदायगी शुल्क का अल्प/अधिक भुगतान और चूककर्ता निर्यातकों को दिए गए निर्यात लाभ की वसूली न होने से सरकारी खजाने को राजस्व हानि भी हो सकती है।

इस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि एसएलए, एसआरएस, एफआरएस जैसे आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में आईसीईएस और बैंक अनुप्रयोगों के मध्य संदेशों के विनिमय के किसी भी नमूना डेटा और यूएटी के माध्यम से संदेशों के विनिमय को सत्यापित करने की असंभाव्यता के कारण, संदेश विनिमयता की प्रभावशीलता पर आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका।

यह इंगित किए (अगस्त 2022) जाने पर, मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि आईसीईएस एपीआई के माध्यम से आईसीईगेट के साथ चालान/लेन-देन विवरण साझा करेगा जोकि वास्तविक समय पर आधारित होगा। इन एपीआई

को आईसीईएस और आइसगेट द्वारा विकसित किया जाना है और इस पर चर्चा चल रही है।

सिफारिश 10: मंत्रालय समयबद्ध तरीके से आईसीईएस और आइसगेट के बीच चालान/वेयरहाउस विवरण साझा करने के लिए एपीआई के विकास में तेजी ला सकता है।

3.3 आईसीईएस के साथ आरबीआई निर्यात बकाया विवरण (एक्सओएस) डेटा/सावधानी सूची साझा करना

निर्यात डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (ईडीपीएमएस) एक ऑनलाइन सिस्टम है, जिसे आरबीआई द्वारा *1* मार्च, *2014* को भारत में सभी निर्यात गतिविधियों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। इस प्रणाली के साथ, सभी बैंक एक ही मंच पर आ गए हैं, इस प्रकार भारत में निर्यात से संबंधित लेन-देन पर कार्यप्रणाली में एकरूपता आई है। ईडीपीएमएस के लाभों में से एक आरबीआई प्रणाली के साथ बैंकों का एकीकरण है, जिससे निम्नलिखित में आसानी होती है:

क. शिपिंग बिलों का प्रबंधन

ख. निर्यात के लिए प्राप्त अग्रिम राशि के विलंबित उपयोग का पता लगाना

ग. निर्यात बकाया विवरण (एक्सओएस)/सावधानी (निर्यात बकाया) सूची का पता लगाना

घ. समग्र प्रक्रिया को सरल बनाना क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है।

एसबी डेटा/बीई डेटा का निर्यातकों से निर्यात आय के आवक प्रेषण के आंकड़ों के साथ मिलान किया जाता है ताकि सभी उपकरणों के साथ निर्यात की गई प्रत्येक खेप की स्थिति का तुरंत पता लगाया जा सके और निर्यातकों को तेजी से लाभ के दावे की अनुमति मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है कि जिन निर्यातकों के आंकड़े सॉफ्टवेयर द्वारा प्रग्रहित नहीं किए गए हैं, वे एक चेतावनी सूची में शामिल होंगे और उन्हें पैकिंग क्रेडिट से वंचित किया जाएगा जो उनके निर्यात को बाधित करता है और इससे 'गैर-क्रेडिट बिल' पर बातचीत नहीं होती है। भले ही सामान खरीदार तक समय पर पहुंच जाए, बैंकिंग दस्तावेजों में देरी हो जाती है जिससे निर्यातकों द्वारा अतिरिक्त लागत और विलंब शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

आईसीईएस में सीमा शुल्क और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बीच सात संदेश विनिमय हैं जोकि नीचे दर्शाई गई तालिका के अनुसार कार्यात्मक / संचालित हैं।

तालिका संख्या 3.6: आईसीईएस और आरबीआई के बीच संचालित संदेश

क्रम सं.	संदेश आईडी	विवरण
1	सीएचआरबीई01	निर्यात आदेश (एलईओ) पर एसबी सूचना
2	आरबीसीएचई01ए	एसबी - पावती
3	सीएचआरबीई02	एसबी रद्दीकरण
4	आरबीसीएचई02ए	एसबी रद्दीकरण -पावती
5	आरबीसीएचई03	एफई प्रस्तुति प्रतिवेदन
6	सीएचआरबीई03ए	एफई प्रस्तुति प्रतिवेदन-पावती
7	सीएचआरबीआई01	बीई सूचना

स्रोत: वर्ष 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 11 के संदर्भ में डीजी (सिस्टम) से प्राप्त उत्तर

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई एक्सओएस डेटा/सूचना और सावधानी सूची के सृजन के संबंध में आईसीईएस के साथ कोई संदेश विनिमय नहीं होता है।

इस प्रकार, आईसीईएस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की एक्सओएस सूचना/सावधानी सूची में शामिल निर्यातक/आयातक द्वारा और अधिक निर्यात/आयात को चिह्नित करने और उन चूककर्ता निर्यातकों का पता लगाने में असमर्थ है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में आवंटित निर्धारित समय के भीतर निर्यात आय प्राप्त नहीं की है जिसके परिणामस्वरूप प्रदान किए गए निर्यात लाभों की वसूली नहीं हुई है।

यह इंगित किए (अगस्त 2022) जाने पर, मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि एक्सओएस डेटा/सूचना के सृजन से संबंधित आईसीईएस के साथ संदेश विनिमय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखी गई चेतावनी सूची के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

सिफारिश 11: मंत्रालय निर्यात आय प्राप्ति की प्रभावी निगरानी के लिए चूक वाले मामलों की पहचान करने के लिए सीबीआईसी द्वारा तैयार की गई सावधानी सूची के साथ आरबीआई एक्सओएस डेटा के साथ मानचित्रित/प्रति-सत्यापित किया जा सकता है।

3.4 सीमा शुल्क आईसीईएस के साथ विशेष ऑनलाइन आर्थिक क्षेत्रों (सेज) का एकीकरण

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सीमा शुल्क विभाग के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देते हैं और जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। सेज के विभिन्न लाभ हैं जैसे कि वे विदेशी बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए एक आर्थिक विदेशी अंतःक्षेत्र बनाते हैं, घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश को बढ़ावा देते हैं, निर्यात के माध्यम से महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद करते हैं और विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने में मदद कर सकते हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से, अगस्त 2015 से भारत भर के हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों पर शुरू की गई सीबीआईसी की ईडीआई सिस्टम के साथ सेज ऑनलाइन सिस्टम को एकीकृत करने की पहल की गई थी, ताकि सेज इकाइयों के लिए कार्गो की सुचारू निकासी की सुविधा मिल सके, मानवीय हस्तक्षेप को कम किया जा सके, सेज में कार्गो की प्राप्ति की स्वचालित प्राप्ति सूचना प्राप्त की जा सके। आईजीएम लाइनों का सिस्टम आधारित निपटान और माल प्रेषण का अंकन किया जा सके इत्यादि एवं जिसके द्वारा इस प्रकार सेज और सीमा शुल्क पोर्ट के बीच माल की आवाजाही पर समन्वय और नियंत्रण विकसित किया जा सके। इसके अलावा ईडीआई सिस्टम में ईजीएम के सृजन की स्वचालित प्रक्रिया के साथ, जो सेज निर्यात के लिए सेज ऑनलाइन सिस्टम के लिए ईजीएम जानकारी प्रदान करता है, पोर्ट से ईजीएम लाने की मैनुअल प्रक्रिया की आवश्यकता, सीमा शुल्क द्वारा निर्यात के प्रमाण के सत्यापन और सत्यापन के लिए सीमा शुल्क को शिपमेंट स्थिति प्रस्तुत करना समाप्त हो सकती है।

यह भी नोट किया गया कि सेज ऑनलाइन सिस्टम में बीएसई के संबंध में आंकड़े आईजीएम डेटा के साथ सहसंबंधित नहीं है। डीजी (सिस्टम) द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार (मार्च 2021), आईसीईएस से सेज ऑनलाइन को 5,90,253 आईजीएम डेटा प्रेषित किए गए थे, लेकिन 2019-20 की अवधि के लिए आईसीईएस को प्रेषित आईजीएम डेटा के साथ केवल 2,13,699 बीई को एकीकृत किया गया था।

आईसीईएस अनुप्रयोग में आईजीएम को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बंद करने की कार्यक्षमता भी नहीं है और यह मानवीय रूप से किया जा रहा है, जो अन्यथा प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता था। मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आईजीएम को समय पर बंद नहीं किया जा सकता है, जिससे उन आयातकों से शुल्क/प्रभारों की वसूली नहीं हो सकती है जिन्होंने अनुमेय समय के पश्चात बीई दर्ज किया है।

डीजी (सिस्टम) ने यह भी उल्लेख किया कि आईसीईएस 1.5 में एसबी और 'लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर' (एलईओ) के लिए कोई डेटा संचरण नहीं था। यानी, सेज ऑनलाइन से आईसीईएस तक एसबी डेटा के संबंध में कोई संदेश आदान-प्रदान नहीं था।

सेज से एसबी के स्वचालित संचरण के अभाव में निर्यात प्रक्रिया में विलंब हो सकता है अर्थात कार्गो मंजूरी की प्रक्रिया में विलंब, प्रसंस्करण समय में वृद्धि, त्रुटि की संभावनाओं में वृद्धि और बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा प्रभारित शुल्क, किराया और दरों के रूप में निर्यात लागत में वृद्धि हो सकती है। मानवीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं से निर्यातकों को प्रतिअदायगी शुल्क के भुगतान में भी विलंब हो सकता है।

एमईआईएस/एसईआईएस पर वर्ष 2020 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 5 के पैरा 2.1.2 में लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्क्रिप्स जारी करने में अधिकांश देरी सीमा शुल्क आईसीईएस नेटवर्क के साथ सेज निर्यात मॉड्यूल के गैर-एकीकरण के कारण हुई थी।

इसके अलावा वर्ष 2016 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 5 के पैरा 1.20.1 में, यह उल्लेख किया गया था कि सेज ऑनलाइन सिस्टम अनुप्रयोग की लेखापरीक्षा से पता चला है कि आच्छादित किया गया डेटा अधूरा, असंगत और कई बार सीबीआईसी की आईसीईएस सिस्टम के साथ सम्बद्ध हुए बिना गलत था। सेज के विकास आयुक्त और डीओसी भी इसके डैशबोर्ड और एमआईएस के रूप में सिस्टम का लाभ नहीं उठा सके।

यद्यपि विभाग सिस्टम में खामियों/कमियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, अनुवर्ती लेखापरीक्षा से पता चला है कि कमियां अभी भी बनी हुई हैं।

यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने बताया (नवंबर 2022) कि सेज संचालन का सीमा शुल्क में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव किया गया है।

सेज इकाइयों के लिए पंजीकरण मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसका परीक्षण किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा ने अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2022 के पीए संख्या 19 'सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस और मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र का कार्यचालन' में सेज के साथ आईसीईएस के एकीकरण/मिलान के लिए एक आईटी कार्यनीति तैयार करने के लिए समयबद्ध योजना बनाने के बारे में सिफारिश की थी।

सिफारिश 12: मंत्रालय को सेज संचालन (एक्सिम और डीटीए लेन-देन दोनों) की बेहतर निगरानी और सेज में व्यापार सुगमता के लिए सेज ऑनलाइन को आईसीईएस के साथ यथाशीघ्र एकीकृत करना चाहिए।

अध्याय 4
आईटी अभिशासन और प्रबंधन

4.1 आईसीईएस परियोजना का सिस्टम प्रलेखन

समझौता ज्ञापन के भाग ए के पैरा 3 के अनुसार, आईसीईएस की परियोजना के अंतर्गत कार्यक्षेत्र में आईसीईएस के लिए प्रलेखन स्पष्ट रूप से बताया गया है जिसमें आवश्यकता विनिर्देश, तकनीकी दस्तावेज, उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका और परीक्षण मामले शामिल हैं। तदनुसार, कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सीमा शुल्क कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस), सॉफ्टवेयर अभिकल्प दस्तावेज़ (एसडीडी) और उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका तैयार करना शामिल था:

(i) सेवा केंद्र (आयात और निर्यात);

(ii) आयात घोषणा प्रसंस्करण;

(iii) निर्यात घोषणा प्रसंस्करण;

(iv) आंतरिक और बाहरी हितधारकों (डीजीएफटी, सीएचए, बैंक, आरबीआई, अभिरक्षक, डीजीसीआईएस, आदि) के बीच सूचना/संदेश आदान-प्रदान;

(v) बाहरी अनुप्रयोगों (आइसगेट, अरएमएस) के साथ इंटरफ़ेस आवश्यकता

इस पहलू पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैं:

4.1.1 एसआरएस और एसडीडी का अद्यतनीकरण

सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस) सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग - आईसीईएस के विभिन्न मॉड्यूल/कार्यक्षमताओं के माध्यम से सीमा शुल्क व्यवसाय प्रक्रियाओं का विस्तृत चित्रण प्रदान करता है। इसी तरह, सॉफ्टवेयर अभिकल्प दस्तावेज़ (एसडीडी) आईसीईएस के आर्किटेक्चर और सिस्टम डिज़ाइन का वर्णन करता है और उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका अंतिम उपयोगकर्ताओं को 'उत्पाद का उपयोग कैसे करें' पर जानकारी का वर्णन करती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एसआरएस और एसडीडी को आखिरी बार वर्ष 2010 में प्रलेखित किया गया था। इन दस्तावेजों को अद्यतन नहीं किया

गया था, जबकि तब से बहुत से बदलाव हो चुके थे। जैसाकि समझौता ज्ञापन में परिकल्पित आईटी परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य दस्तावेज में नियमित अंतराल पर ऐसे परिवर्तनों का प्रलेखन महत्वपूर्ण है।

यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि समझौता ज्ञापन के संदर्भ में दस्तावेजों को जल्द पूरा करने के लिए एनआईसी के साथ इस मुद्दे को पहले ही उठाया जा चुका है। उक्त कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम संसाधनों की टीम को काम पर रखने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जैसे ही दस्तावेज पूरे हो जाएंगे, उन्हें साझा किया जाएगा।

एमओयू के भाग ए के पैरा 3 के अनुसार, आईसीईएस की परियोजना के तहत कार्य का दायरा स्पष्ट रूप से आईसीईएस के लिए दस्तावेज़ीकरण बताता है जिसमें आवश्यकता विनिर्देश, तकनीकी दस्तावेज, उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका और परीक्षण मामले शामिल हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2012 के समझौता ज्ञापन के बिंदु 11 के खंड ए के साथ पठित बिंदु 12 के खण्ड बी के पैरा 2 के संदर्भ में, एनआईसी एसआरएस, एसडीडी आदि के दस्तावेज़ीकरण को तैयार/अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार है। और एनआईसीएसआई को दस्तावेज़ीकरण असाइनमेंट के लिए एनआईसी विकास टीम के मार्गदर्शन में कुशल तकनीकी संसाधन प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अद्यतन और पूर्ण प्रलेखन अनुप्रयोग के सभी पहलुओं पर नज़र रखने में मदद करता है और सॉफ्टवेयर में परिवर्तनों की पहचान और ट्रैक करने में मदद करता है।

सिफ़ारिश 13: एसआरएस और एसडीडी को तत्काल अद्यतन करने के अलावा, मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एसआरएस और एसडीडी को नियमित अंतराल पर अद्यतित रखा जाए ताकि अनुप्रयोग में किए गए सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाया जा सके।

4.1.2 उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका का अद्यतनीकरण न होना

इसी तरह, वर्ष 2010 से 2013 में प्रकाशित आईसीईएस के उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका को उसके बाद भी अद्यतन नहीं किया गया था, जबकि डेटाबेस और शुल्क घटक की संरचना में पर्याप्त बदलाव हुए थे, विशेषकर

भारत में जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत (जुलाई 2017) के बाद, इन नियम-पुस्तिका का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका संख्या 4.1: **उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका की सूची और उनके प्रकाशन की नवीनतम तिथि**

क्रम संख्या	उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका	अंतिम बार प्रकाशित	लक्ष्य
1.	आईसीईएस सेवा केंद्र - आयात संस्करण 1.1	1 जून 2013	यह दस्तावेज़ आयात से संबंधित दस्तावेजों जैसे बिल ऑफ एंट्री (बीई), आयात जनरल मैनिफेस्ट (आईजीएम) और कंसोल मैनिफेस्ट को दर्ज करने / संशोधित करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है।
2.	आईसीईएस सेवा केंद्र - निर्यात संस्करण 1.1	1 जून 2013	यह दस्तावेज़ निर्यात से संबंधित दस्तावेजों को दर्ज करने /संशोधित करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है।
3.	आईसीईएस प्राथमिक प्रसंस्करण - आयात संस्करण 1.1	11 मई 2013	यह दस्तावेज़ आयात से संबंधित दस्तावेज़ों अर्थात् बीई, आयात जनरल मैनिफेस्ट (आईजीएम) और कंसोल मैनिफेस्ट को दर्ज करने/संशोधित करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है।
4.	आईसीईएस प्राथमिक प्रसंस्करण - निर्यात संस्करण 1.1	15 जुलाई, 2011	इस दस्तावेज का उद्देश्य निर्यात से संबंधित दस्तावेजों अर्थात् शिपिंग बिल (एसबी) और एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट (ईजीएम) को दर्ज करने/संशोधित करने की प्रक्रिया का वर्णन करना है।
5.	निर्देशिका प्रबंधन संस्करण 1.0	20 नवंबर, 2010	इस दस्तावेज़ का उद्देश्य निर्देशिका प्रबंधन की प्रक्रिया का वर्णन करना है।

स्रोत: डीजी (सिस्टम्स) द्वारा प्रदान किया गया उपयोगकर्ता- नियम-पुस्तिका

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, डीजी (सिस्टम) ने कहा (मार्च 2021) कि ये दस्तावेज (एसआरएस, एसडीडी और नियम-पुस्तिका) तब तैयार किए गए थे जब पूरे आईसीईएस एप्लिकेशन में 1.0 से 1.5 संस्करण तक जांच और स्थानांतरण चल रहा था। बाद के सभी परिवर्तनों को पैच फ़ाइल, पैच मेल के साथ-साथ एक विस्तृत पैच ट्रैकर में प्रलेखित किया जाता है, जबकि एसडीडी या एसआरएस जैसी शब्दावली का उपयोग इस तरह से नहीं किया गया हो। तथापि, उक्त पैच फाइल/पैच मेल और संबंधित अभिलेखों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

डीजी (सिस्टम) ने लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए (जून 2021), यह पुष्टि की कि ये एसआरएस, एसडीडी और उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका के नवीनतम

संस्करण हैं, कि समझौता ज्ञापन के खंड बी के बिंदु संख्या 12 के साथ पठित खंड ए के बिंदु संख्या 11 के पैरा 2 के संदर्भ में, एनआईसी एसआरएस, एसडीडी आदि के प्रलेखन को तैयार करने/अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है, और एनआईसीएसआई को प्रलेखन कार्य के लिए एनआईसी विकास टीम के मार्गदर्शन में कुशल तकनीकी संसाधन प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

आईसीईएस 1.5 जैसी विशाल और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के लिए, जो दैनिक आधार पर बड़े पैमाने पर जानकारी से संबंधित है, एसआरएस, एसडीडी और उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका के दस्तावेज़ का अद्यतनीकरण आवश्यक है। अद्यतन प्रलेखन की उपस्थिति एप्लिकेशन के सभी पहलुओं पर नज़र रखने में मदद करती है और एक सॉफ्टवेयर उत्पाद की गुणवत्ता में परिवर्तन की पहचान करने में मदद करती है। सफल प्रलेखन जानकारी को आसानी से सुलभ बना देगा, नए उपयोगकर्ताओं को जल्दी से सीखने में मदद करेगा, उत्पाद को सरल बनाएगा और समर्थन लागत में कटौती करने में मदद करेगा।

अपडेट किए गए उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका उपयोगकर्ताओं को आईसीईएस अनुप्रयोग में परिवर्तन का विवरण भी प्रदान करते हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

यह इंगित (अगस्त 2022) किए जाने पर, मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) कि एमओयू के संदर्भ में दस्तावेजों को जल्द पूरा करने के लिए एनआईसी के साथ इस मुद्दे को पहले ही उठाया जा चुका है। उक्त कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम संसाधनों की टीम को काम पर रखने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जैसे ही दस्तावेज पूरे हो जाएंगे, उन्हें साझा किया जाएगा।

सिफारिश 14: आवश्यकताओं के संचय से बचने के लिए परिवर्तनों के अनुरूप उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका का अद्यतन नियमित रूप से समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

4.2 परिवर्तन प्रबंधन

आईसीईएस अनुप्रयोग में, परिवर्तनों को वर्गीकृत किया जा सकता है:

(i) बीसीडी, आईजीएसटी, पाटनरोधी शुल्क, उपकर आदि की शुल्क दरों में परिवर्तन से संबंधित अधिसूचनाएं जारी किए जाने के कारण नियमित परिवर्तन। **(निर्देशिका परिवर्तन प्रबंधन)**

(ii) नए मॉड्यूल और कार्यक्षमताओं की शुरूआत के कारण आईसीईएस अनुप्रयोग में संरचनात्मक परिवर्तन। **(संरचनात्मक परिवर्तन प्रबंधन)**

4.2.1 निर्देशिका परिवर्तन प्रबंधन

मास्टर डेटा जानकारी आईसीईएस के विभिन्न मॉड्यूल के लिए आम है; इसलिए निर्देशिका के रूप में संदर्भित अलग-अलग तालिकाएं हैं। सीबीआईसी की केंद्रीकृत सिस्टम पर कार्यान्वित सभी अनुप्रयोग, अर्थात् आईसीईएस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन (एसीईएस) और आरएमएस इसके प्रसंस्करण के लिए ये निर्देशिका प्राप्य हैं। निर्देशिका प्रबंधन को संक्षेप में निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है:

(i) उच्चतम स्तर पर राष्ट्रीय सिस्टम प्रबंधक (एनएसएम) विभिन्न साइटों को निर्देशिकाएं प्रदान करता है जो इन निर्देशिकाओं के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं।

(ii) प्रत्येक साइट पर सिस्टम प्रबंधक उपयोगकर्ताओं को उनकी साइट को सौंपी गई निर्देशिकाओं पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशिका अधिकारी (डीआईआरओएफएफ) और निर्देशिका प्रबंधक (डीआईआरएमजीआर) की भूमिकाएँ प्रदान करता है।

(iii) डीआईआरओएफएफ: निर्देशिका अधिकारी को भूमिका के लिए सौंपी गई निर्देशिकाओं में नई प्रविष्टियां करने, इन प्रविष्टियों को संशोधित करने, चेकलिस्ट उत्पन्न करने और इन प्रविष्टियों को अनुमोदन के लिए निर्देशिका प्रबंधक को प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार है।

(iv) डीआईआरएमजीआर: निर्देशिका प्रबंधक के पास प्रविष्टियों को अनुमोदित करने का विशेषाधिकार है, जिससे उन्हें बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जा सके, प्रविष्टियों के सही नहीं होने की स्थिति में डीआईआरओएफ में वापस कर दिया जाए, और यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टियों को संशोधित किया जाए।

बोर्ड ने किसी भी परिवर्तन के अनुसरण में निर्देशिकाओं के अद्यतन के लिए निर्देशिका प्रबंधन साइट (डीएमएस) को एक मानक संचालन प्रक्रिया (जून 2015) जारी की है और इस तरह की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के बाद निर्देशिका अपडेशन की समकक्ष समीक्षा की एक सिस्टम

(मार्च 2017) भी अनुमोदित की है। इस एसओपी के अनुसार, संबंधित पीयर रिव्यू साइट (पीआरएस) के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशिका की समीक्षा करेंगे कि अधिसूचना सही ढंग से और समय पर अपडेट की गई है। इस आशय की ई-मेल सूचना बोर्ड में नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सिस्टम प्रबंधक, डीजी (सिस्टम) और डीएमएस को भेजी जाएगी।

यदि पीआरएस अधिसूचना के अपडेशन में किसी भी अशुद्धि की पहचान करता है, तो नोडल कार्यालय इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत डीएमएस से संपर्क करेगा। यदि यह मुद्दा अनसुलझा रहता है, तो इसे एनएसएम, डीजी (सिस्टम) और बोर्ड में नोडल अधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा।

अपडेशन में देरी के मामले में, पीआरएस उसी प्रक्रिया का पालन करेगा और डीएमएस को देरी के बारे में सिस्टम प्रबंधकों को सूचित करने की सलाह देगा ताकि बाद में सुधार कार्रवाई की जा सके।

जब कभी किसी कारण से आईसीईएस निर्देशिका के अपडेशन में विलंब/अशुद्धि होती है, तो प्रभावित बीएसई/एसबी की सूची अपडेशन के तुरंत बाद ली जाती है और राजस्व की कमी, यदि कोई हो, की वसूली के लिए सीमा शुल्क स्थलों को परिचालित की जाती है।

प्रविष्टियों के अपडेशन, संशोधन और हटाने आदि के लिए राष्ट्रीय सिस्टम प्रबंधक द्वारा विभिन्न साइटों को सौंपी गई विभिन्न निर्देशिकाओं का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका संख्या 4.2: निर्देशिका प्रबंधन साइट (डीएमएस) और पीयर रिव्यू साइट (पीआरएस) का विवरण

डीएमएस	निर्देशिकाओं का नाम	पीआरएस
चेन्नई कस्टम हाउस (आईएनएमएए1)	एंटीडंपिंग निर्देशिका, टैरिफ मूल्य, अधिसूचना निर्देशिका, सेफगार्ड ड्यूटी, आरआईटीसी (एचएस) निर्देशिका	विशाखापत्तनम कस्टम हाउस (आईएनवीटीजेड1)
जेएनसीएच, न्हावा शेवा (आईएनएसए 1)	बीसीडी निर्देशिका, कस्टम उपकर, सीवीडी निर्देशिका, सीई उपकर, आरएसपी निर्देशिका	एसीसी, दिल्ली (आईएनडीईएल4)
आईसीडी, पटपड़गंज (आईएनपीपीजी6)	उपकर निर्देशिका, विनिमय दर निर्देशिका, प्रतिअदायगी निर्देशिका	बेंगलुरु कस्टम हाउस (आईएनबीएलआर4)

स्रोत: डीजी (सिस्टम) द्वारा प्रस्तुत उत्तर

एक लेखापरीक्षा प्रश्न (दिसंबर 2020) के उत्तर में, डीजी (सिस्टम) ने सूचित किया (मार्च 2021) कि सामान्य छूटों, मुक्त व्यापार समझौतों और निर्यात संवर्धन योजनाओं, प्रतिपाटन शुल्क और सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी सीमा शुल्क अधिसूचनाएं आईसीईएस में प्रतिचित्रित की गई हैं और पीआरएस द्वारा विनिमय दर/सीमा शुल्क/आईजीएसटी/केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचनाओं और शुल्क दर निर्देशिकाओं आदि के अद्यतन में कोई विलंब और अशुद्धि नहीं प्राप्त हुई है।

डीएमएस द्वारा निर्देशिकाओं के अद्यतन और पीआरएस द्वारा की गई समीक्षा से संबंधित ई-मेल के अभिलेख लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए थे (मार्च 2021), लेकिन लेखापरीक्षा को यह प्रदान नहीं किए गए थे। डीजी (सिस्टम) के इस दावे को सत्यापित करने के लिए कि विभिन्न प्रकार की निर्देशिकाओं के अद्यतन में कोई देरी नहीं हुई और कोई अशुद्धि नहीं थी, लेखापरीक्षा ने कम से कम एक वर्ष के डंप-डेटा की मांग की, जो लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था।

यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने अधिसूचना की तिथि और आईसीईएस (नवंबर 2022) में इन अधिसूचनाओं को दर्ज करने की तिथि के साथ केवल अधिसूचनाओं की सूची प्रस्तुत की।

तथापि, निर्देशिका प्रबंधन साइट्स द्वारा निर्देशिकाओं के अद्यतन और पीयर रिव्यू साइट्स द्वारा की गई समीक्षा से संबंधित ई-मेलों के अभिलेख निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके अभाव में लेखापरीक्षा निर्देशिकाओं के समय पर और सही अद्यतनीकरण के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकती है।

4.2.2 संरचनात्मक परिवर्तन प्रबंधन

दिनांक 21.12.2018 को सीबीआईसी, एनआईसी और एनआईसीएसआई के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले खंड 'ए' कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, (पैरा 2 के अंतर्गत) सीबीआईसी से प्राप्त विनिर्देशों और एनआईसी और सीबीआईसी के बीच सहमत परिवर्तन प्रबंधन नीति के अनुसार मौजूदा आईसीईएस मॉड्यूल के लिए इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट के साथ सॉफ्टवेयर अद्यतन प्रदान करके आईसीईएस अनुप्रयोग को बनाए रखना आवश्यक है।

इसके अलावा, उपर्युक्त समझौता ज्ञापन के पैरा 5 (डी) के अनुसार, आईसीईएस और सॉफ्टवेयर अद्यतन के सभी पहलुओं के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से अनुप्रयोग लेखापरीक्षा कराना और सिफारिशों का विश्लेषण करना और सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एनआईसी के साथ लिखित रूप में पत्राचार करना विभाग का दायित्व है।

परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया दस्तावेज के बारे में पूछे जाने पर (फरवरी 2021) डीजी (सिस्टम) ने सूचित किया (मार्च 2021) कि आईसीईएस अनुप्रयोग को सीबीआईसी, एनआईसी और एनआईसीएसआई के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसार डिजाइन, विकसित और अनुरक्षित किया गया है और सिस्टम में मॉड्यूल के डिजाइन, विकास, परीक्षण और कार्यान्वयन के चरण से अपनाई गई विस्तृत प्रक्रिया के बारे में बताया। हालांकि, लेखापरीक्षा के लिए परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया दस्तावेज़ प्रदान नहीं किए गए थे। डीजी (सिस्टम) द्वारा विस्तृत रूप से बताए गए इसके चरण निम्नानुसार हैं:

चरण 1: जब भी सीमा शुल्क अधिनियम/अधिसूचनाओं/विनियमों/ परिपत्रों/अनुदेशों जैसे परिवर्तनशील कानूनी अधिदेश के अनुसार आईसीईएस में किसी भी कार्यक्षमता को जोड़ने या बदलने की आवश्यकता होती है, तो विकास दल के साथ इस पर चर्चा की जाती है। मामले के महत्व और जटिलता के आधार पर, विकास दल को ईमेल के माध्यम से या सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं का वर्णन करने वाले दृष्टिकोण पत्र के माध्यम से एक दृष्टिकोण पत्र दिया जाता है।

चरण 2: तदनुसार, परिवर्तन/संशोधन विकास दल द्वारा किए जाते हैं। परिवर्तन एक सॉफ्टवेयर पैच के रूप में दिए जाते हैं। विकास दल के पास निर्माण से पूर्व या निर्माण के दैरान पैच को निष्पादित करने का कोई अधिकार या पहुंच नहीं है। उनके लिए केवल विकास का वातावरण उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर पैच को एफ़टीपी पर विकास दल द्वारा अपलोड किया जाता है जिसे ऑपरेशन दल द्वारा निष्पादित किया जाता है। प्रत्येक पैच फ़ाइल में एक रीडमी दस्तावेज़ भी होता है जो पैच द्वारा किए जा रहे परिवर्तनों को सूचीबद्ध करता है।

चरण 3*:* एक बार जब आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने वाला सॉफ्टवेयर पैच एफटीपी पर विकास दल द्वारा अपलोड किया जाता है, तो अनुमोदन के लिए डीजी (सिस्टम) अधिकारियों को एक ईमेल भेजा जाता है। डीजी (सिस्टम) (सहायक निदेशक या उससे ऊपर के रैंक के) अधिकारियों द्वारा ऑपरेशन दल को एफ़टीपी से पैच फ़ाइल डाउनलोड करने और इसे निष्पादित करने के लिए मंजूरी दी जाती है।

चरण 4: पैच को पहले निर्माण से पूर्व लागू किया जाता है और परीक्षण वातावरण में कुछ आईसीईएस उपयोगकर्ताओं द्वारा परीक्षण किया जाता है। इसके बाद, निर्माण में निष्पादन के लिए अनुमोदन दिया जाता है।

इसलिए, डीजी (सिस्टम) पैच फाइलों के माध्यम से परिवर्तनों को लागू करते हैं एवं उनके पास वर्ष 2010 के बाद आईसीईएस अनुप्रयोग में किए गए संरचनात्मक परिवर्तनों/संशोधनों का कोई एसआरएस/एसडीडी नहीं है।

डीजी (सिस्टम्स) ने यह भी कहा (मार्च 2021) कि वर्तमान में आईसीईएस के विकास दल में एनआईसी वैज्ञानिक और एनआईसीएसआई संसाधन शामिल हैं, जो सीबीआईसी, एनआईसी और एनआईसीएसआई के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसार लगे हुए हैं। इसके अलावा, आईसीईएस अनुप्रयोग में किसी भी बदलाव को पूरा करने के लिए निश्चित उत्तरदायित्वों और भूमिका-आधारित पहुंच के साथ एक मजबूत तंत्र है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह अनुमान लगाना गलत होगा कि 'एसआरएस/एसडीडी' की अनिवार्यता को लागू और पालन नहीं किया जा रहा है। डीजी (सिस्टम) ने कहा कि लेखापरीक्षा के साथ पहले से ही साझा किए गए एसआरएस/एसडीडी दस्तावेज तब तैयार किए गए थे जब पूरे आईसीईएस अनुप्रयोग में 1.0 से 1.5 संस्करण तक आमूल-चूल परिवर्तन और स्थानांतरण चल रहा था। बाद के सभी परिवर्तनों को पैच फ़ाइल, पैच मेल के साथ-साथ एक विस्तृत पैच ट्रैकर में प्रलेखित किया जाता है, भले ही एसडीडी या एसआरएस जैसी शब्दावली का उपयोग इस तरह से न किया गया हो। डीजी (सिस्टम) अधिकारियों की स्पष्ट मंजूरी के बिना पूर्व-निर्माण और निर्माण में कोई पैच लागू नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन दल द्वारा प्रत्येक पैच अनुमोदन और इसके निष्पादन को डीजी (सिस्टम) अधिकारियों और विकास दल के साथ दैनिक आधार पर ऑपरेशन दल द्वारा साझा किए गए पैच ट्रैकर में

दर्ज किया जाता है। आईसीईएस एक अत्यंत गतिशील अनुप्रयोग है जहां आवश्यक थे अधिकांश परिवर्तन संकुचित सामयिकता के साथ आए । उपरोक्त प्रक्रिया समय पर और त्वरित वितरण में मदद करते हुए उनके अनुमोदन के साथ-साथ सभी परिवर्तनों का ट्रैक सुनिश्चित करती है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान आईसीईएस में जोड़े गए नए कार्याक्षमताओं/मॉड्यूल के पूरे विकास चक्र से संबंधित विवरण/अभिलेख प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए लेखापरीक्षा की मांग की गई है (अगस्त 2020 और जनवरी 2021), जिसमें आईसीईएस के सभी पहलुओं पर तीसरे पक्ष के माध्यम से किए गए अनुप्रयोग लेखापरीक्षा के विवरण और विकास और कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित मॉड्यूल (अर्थात वर्तमान में निर्माणाधीन) और उनकी वर्तमान स्थिति के अभिलेख शामिल हैं।

संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में, डीजी (सिस्टम) ने (फरवरी 2021) वर्ष 2017-20 के दौरान 'आईसीईएस के संबंध में सिस्टम निदेशालय द्वारा जारी परामर्शिकाओं का एक सूचकांक' उपलब्ध कराया गया जिसमें 16 परिवर्तन[13] दिखाए गए थे। डीजी (सिस्टम) ने भी (अक्टूबर 2021) आईसीईएस पैच ट्रैकर की एक सूची प्रदान की जिसमें आयात मॉड्यूल में 10 परिवर्तन और निर्यात मॉड्यूल में 10 परिवर्तन शामिल थे

लेकिन नए मॉड्यूल/कार्याक्षमताओं के विकास चक्र से संबंधित कोई अभिलेख नहीं जोड़ा गया। इसके अलावा, प्रदान किए गए विवरण में डीजी (सिस्टम) द्वारा दर्शाए गए परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों का विवरण नहीं है। इसके अलावा, ट्रैल मेल भी लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। विभाग ने आईसीईएस के तीसरे पक्ष की लेखापरीक्षा और सॉफ्टवेयर अद्यतन का विवरण भी प्रदान नहीं किया है।

[13] इनमें आरओएसएल स्क्रॉल का कार्यान्वयन, देर से शुल्क के लिए आईसीईएस में परिवर्तनों का कार्यान्वयन, जीएसटीएन के साथ आईसीईएस के राज्य कोड का संरेखण, बीईएसबी में / परिवर्तन, गैरईडीआई साइटों के लिए आईजीएसटी रिफंड-, आईसीईएस में ईडीआई साइटों के लिए आईजीएसटी रिफंड, नए उपकर लागू किए गए, आईसीईजीएटीई पर माल पंजीकरण, यूक्यूसी, एससीएमटीआर, तुरांत सीमा शुल्क, ट्रांसशिप किए गए कार्गो के लिए एलसीएसएस में सीमा क्रॉसिंग रिपोर्ट, परियोजना आयात, कस्टोडियन कोड वेयरहाउस मैपिंग, ई-संचित और कंटेनर स्कैनिंग मॉड्यूल।

यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2022) समझौता ज्ञापन के संदर्भ में दस्तावेजीकरण को जल्द पूरा करने के लिए एनआईसी के साथ इस मुद्दे को पहले ही उठाया जा चुका है। उक्त कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम संसाधनों के दल को काम पर रखने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जैसे ही दस्तावेज पूरे हो जाएंगे, उन्हें साझा किया जाएगा।

सिफारिश 15: मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी परिवर्तन प्रबंधन के साइन ऑफ के समय प्रोटोकॉल का ठीक से और पूरी तरह से पालन किया जाए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे परिवर्तनों के परीक्षण और अनुमोदन सहित सभी परिवर्तनों को ठीक से प्रलेखित किया गया हो।

4.3 सहायता डेस्क और अंतिम उपयोगकर्ता समर्थन सिस्टम

एक हेल्प डेस्क एक महत्वपूर्ण घटक और एक बहु-आयामी संसाधन है, जिसे आईटी सेवाओं और कार्यों में रुके काम समय को कम करने और उन्हें अधिकतम समय के लिए उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए नामित किया गया है। यह विशेष रूप से अंतिम उपयोगकर्ता कार्यक्षमता पर केंद्रित है, और इस प्रकार, अंतिम उपयोगकर्ताओं की तत्काल आवश्यकताओं, घटनाओं और तकनीकी मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए उत्तरदायी है।

इसके अलावा, दिनांक 21.12.2018 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, खंड ए (7) के अंतर्गत, हेल्प डेस्क और अंतिम उपयोगकर्ता सहायता सिस्टम से संबंधित परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य का क्षेत्र स्तर -1 (उपयोगकर्ता को प्रथम स्तर की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा प्रबंधित हेल्पडेस्क को संदर्भित करता है) सहायता दल द्वारा बढ़ाई गई समस्याओं के समाधान के लिए आईसीईएस उपयोगकर्ताओं को स्तर -2 (स्तर -1 हेल्प डेस्क द्वारा अग्रेषित आईसीईएस से संबंधित समस्याओं के संबंध में क्षेत्रीय केंद्र दलों द्वारा प्रदान किया गया) और स्तर -3 (स्तर -2 दल द्वारा सुझाए गए और सीबीआईसी दल द्वारा अनुमोदित अनुप्रयोगों के संशोधनों के लिए आईसीईएस की एनआईसी दल द्वारा प्रदान किया गया) सहायता प्रदान करना है।

लेखापरीक्षा द्वारा डीजी (सिस्टम्स) से मांगे गए (दिसंबर 2020) विवरण के संदर्भ में:

(i) एल -1 सर्विस डेस्क द्वारा एल -2 सहायता दल को अग्रेषित तकनीकी सहायता के लिए दिए गए टिकटों की संख्या और एल-2 सहायता दल द्वारा एल -3 सहायता दल को अग्रेषित तकनीकी सहायता अनुरोधों के लिए, निपटान किए गए टिकटों की संख्या और समाधान के लिए लिया गया औसत समय,

(ii) एल -2 सहायता दल द्वारा सुझाए गए एल-3 सहायता दल द्वारा किए गए आईसीईएस अनुप्रयोग के संशोधन का विवरण, और,

(iii) आईसीईएस पर 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक दिए गए सभी टिकटों की सूची,

(iv) डीजी (सिस्टम्स) स्तर -1 सहायता दल द्वारा बढ़ाई गई समस्याओं के समाधान होने तक निगरानी कैसे की जाती है ?

यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने दिए गए टिकटों की संख्या, निपटान किए गए टिकटों की संख्या, और अगले स्तर तक गए टिकटों की संख्या और समाधान के लिए लिए गए औसत समय का विवरण प्रस्तुत किया।

तथापि, मंत्रालय ने एल1, एल2 और एल3 सहायता के अंतर्गत दिए गए टिकटों के समाधान के लिए निर्धारित समय के लिए निर्धारित विवरण/पैरामीटर प्रस्तुत नहीं किए। जिसके अभाव में लेखापरीक्षा हेल्प डेस्क और उपयोगकर्ता सहायता सिस्टम की दक्षता पर टिप्पणी नहीं कर सकता है।

एल1, एल2 और एल3 समर्थन टीमों द्वारा घटनाओं को हल करने में देरी के परिणामस्वरूप आयात/निर्यात प्रक्रियाओं में देरी हो सकती है अर्थात कार्गो रिलीज की प्रक्रिया में देरी, प्रसंस्करण समय में वृद्धि और बंदरगाह प्राधिकरण/कस्टोडियन आदि द्वारा लगाए गए विलंब शुल्क, किराए और दरों के रूप में निर्यात/आयात लागत में वृद्धि हो सकती है।

सिफारिश 16: मंत्रालय निर्धारित करे:

(क) शिकायतों को निपटान करने या आगे बढ़ाने के लिए समय सीमा,

(ख) टिकटों के उपयोगीउपयुक्त विवरणों के साथ समाधान के लिए औसत / समय, जिसमें अनावश्यक रूप से लंबा समय लगता है, को दर्ज किया जाए और निगरानी की जाए।

4.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

आईसीईएस 1.5 (वर्ष 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 11 के पैरा संख्या 2.6) में आंतरिक लेखापरीक्षा सिस्टम की कमी से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में, डीजी (सिस्टम) ने उत्तर दिया कि कमियों का पता लगाने और अनुप्रयोग में सुधार का सुझाव देने के लिए आईसीईएस 1.5 की कार्याक्षमता पर लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा निदेशालय और क्षेत्रीय संरचनाओं के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक "कार्य समूह" का गठन किया गया है।

डीजी (सिस्टम्स) से वर्ष 2015-2020 की अवधि के दौरान आईसीईएस की कार्याक्षमता पर उपरोक्त गठित "कार्य समूह" द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के विवरण के साथ-साथ कार्य समूह की तथ्यान्वेषी रिपोर्टों, पाई गई कमियों पर की गई कार्रवाई या इसके सुधार के लिए किए गए सुझावों के बारे में मांग की गई (दिसंबर 2020)।

यह बताए जाने पर (अगस्त 2022), मंत्रालय ने प्रस्तुत किया (नवंबर 2022):

क) कार्य समूह की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

ख) कार्य दल द्वारा पाई गई कमी पर की गई कार्रवाई

कार्य समूह की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीईएस अनुप्रयोग में सुधार का सुझाव देने के उद्देश्य से कमियों का पता लगाने के लिए आईटी सिस्टम के अनुप्रयोगों की लेखापरीक्षा कैसे की जाए, इसका अध्ययन किया गया था। पिछली सीएजी रिपोर्टों को अध्ययन और सिफारिशों के लिए बुनियादी बैक ग्राउंड सामग्री के रूप में लिया गया था।

कार्य समूह द्वारा पाई गई कमियों पर, सीबीआईसी को एक कार्रवाई रिपोर्ट भेजी गई थी (अगस्त 2018)।

अगस्त 2018 के डीजी (सिस्टम) के उत्तर से यह देखा गया है कि कार्य समूह द्वारा इंगित कुछ क्षेत्रों के प्रति, यह उल्लेख किया गया था कि ये नीतिगत मुद्दे हैं जिन पर आगे चर्चा की आवश्यकता है या ये मुद्दे आईसीईगेट से संबंधित हैं।

लेखापरीक्षा ने डीजी (सिस्टम)/सीबीआईसी से अनुरोध किया कि निम्नलिखित मुद्दों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति प्रदान की जाए। उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही थी (जनवरी 2023)।

कार्य दल को पाई गई कमियां		एटीएन स्थिति (अगस्त 2018)
व्यावसायिक प्रक्रियाओं की पर्याप्तता		
i.	**सीएफएस से बीई के लिए ओओसी** को केवल उस सीएफएस के अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए	ये नीतिगत मुद्दे हैं जिन पर आगे चर्चा की आवश्यकता है
ii.	**वर्तमान में सीएफएस कोड केवल शिपिंग विल** के सापेक्ष आईजीएम स्तर पर दिया जाता है, बीई में बीई स्तर पर सीएफएस कोड भी शामिल नहीं है।	
iii.	संरक्षक के साथ कोई प्रभावी संदेश विनिमय नहीं	
iv.	**आइसगेट पोर्टल पर शुल्क विलंब से प्रदर्शित होती** है और कभी-कभी दोहरे शुल्क भुगतान का कारण बनता है। आइसगेट पोर्टल पर शुल्क का दर्शाया जाना वास्तविक समय के आधार पर होना चाहिए।	यह मुद्दा आइसगेट से संबंधित है
v.	**अधिसूचनाओं का समय पर अद्यतन**: यह सुझाव दिया जाता है कि बोर्ड के अधिकारियों को आईसीईएस निर्देशिका में अधिसूचना को सीधे अपलोड करने के लिए कहा जा सकता है। निर्देशिका अद्यतन के अद्यतन और प्रति सत्यापन के लिए सिस्टम द्वारा एक तंत्र लागू किया जा सकता है।	यह एक नीतिगत मुद्दा है
सुधार और अतिरिक्त कार्यक्षमता		
vi.	**लाइसेंस से संबंधित मुद्दे:** कई मामलों में, विशेष रूप से लाइसेंस में संशोधन से जुड़े, डीजीएफटी से सही आंकड़ों के प्रसारण के बाद भी पुराने आंकड़ों को प्रेषित किया जाता है। यह व्यापार के साथ-साथ विभाग के लिए भी समस्या पैदा करता है।	मुद्दा आइसगेट से संबंधित है।

	कार्य दल को पाई गई कमियां	एटीएन स्थिति (अगस्त 2018)
vii.	टैरिफ में प्रदत्त मानक यूक्यूसी के बावजूद **एक और यूक्यूसी** की अनुमति दी जानी चाहिए।	नीतिगत मुद्दे को बोर्ड के साथ उठाया जाए।
viii.	सेज इकाइयों को **इन-बॉन्ड बिक्री** को आईसीईएस 1.5 में आज तक संसाधित नहीं किया गया है।	आगे चर्चा की आवश्यकता है।
ix.	**बीई के लिए पहचानकर्ता** जांच के अंतर्गत ।	नीतिगत मुद्दे को बोर्ड के साथ उठाया जाए।
x.	एसबी के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए निर्यात मॉड्यूल में **कोई प्रावधान नहीं है।**	विकास की प्रक्रिया चल रही है।

नई दिल्ली **(कार्तिकेय माथुर)**

दिनांक: 06 जून 2023 **प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 06 जून 2023 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक I

आईसीईएस पर पिछले लेखापरीक्षा परिणामों और की गई कार्रवाई/वर्तमान स्थिति

(संदर्भ पैरा 1.6 देखें)

वर्ष 2014 की आईसीईएस 1.5 पर सीएजी की रिपोर्ट संख्या 11			
क्र.सं.	**पैरा सं.**	**लेखापरीक्षा परिणाम**	**की गई कार्रवाई/वर्तमान स्थिति**
1	2.1	आईएस की रणनीतिक योजना दीर्घकालिक नहीं थी	सीबीआईसी (भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, गठित समिति के एफ.एन.296/33/2014 सीएक्स 9 दिनांक 27.02.2014 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन) के लिए एक आईटी रणनीति को परिभाषित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से फरवरी 2014 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया गया था। सीबीआईसी के आईटी रोड मैप और विभिन्न आईटी परियोजनाओं और उनके कार्यान्वयन से संबंधित दृष्टि (ड्राइविंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर होलिस्टिक टैक्स इनिशिएटिव्स) की सिफारिशों की बोर्ड द्वारा निगरानी की जा रही है।
2	2.2	वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुचित निगरानी	डीजी (सिस्टम) ने सिस्टम मॉनिटरिंग के दृष्टिकोण से 25 प्रमुख संकेतकों को अपनाया, जिनमें से कुछ अनुपालन संकेतक हैं और अन्य संख्यात्मक / *प्रतिशत* संकेतक हैं। इनमें उपलब्धता, घटनाएं, परिवर्तन, सुरक्षा, उपयोगकर्ता प्राप्य और व्यावसायिक निरंतरता शामिल हैं।
3	2.3	इसकी आईसीटी प्रणालियों के लिए कर्मियों के चयन, भर्ती और प्रतिधारण के लिए कोई रणनीतिक योजना नहीं थी	मंत्रालय (डीओआर) ने कहा कि डीजी (सिस्टम), सीबीआईसी के आईटी प्रबंधन के लिए संस्थानिक तकनीकी विशेषज्ञता के विकास के लिए आवश्यक बैकअप प्रदान कर रहे हैं। जब कभी आवश्यक होता है और कार्य की अनिवार्यता के लिए आवश्यक लगता है तो विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों के लिए कार्यबल को आउटसोर्स किया जा रहा है। भर्ती के माध्यम से आईएस प्रबंधन पदोन्नति, समामेलन आदि की संवर्ग संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है।
4	2.4	विभाग ने वर्ष 2010 के बाद से सीबीआईसी उपयोगकर्ताओं को सूचना सुरक्षा पर कोई आवधिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया है	सीबीआईसी ने कहा कि समय-समय पर उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हालांकि, उस समय लेखापरीक्षा के लिए कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था।

5	2.5	परिचालन पासवर्ड नीति की कुछ विशेषताएं प्रलेखित पासवर्ड नीति से भिन्न थीं	आईसीईएस सहित डीजी (सिस्टम) के सभी कार्यक्षेत्रों से संबंधित पासवर्ड नीति की आखिरी बार अगस्त 2019 में और फिर अगस्त 2020 में समीक्षा की गई थी। इसलिए, डीजी (सिस्टम) वार्षिक आधार पर पासवर्ड नीति का अद्यतन/समीक्षा कर रहा है।
6	2.6	आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा	मंत्रालय ने उत्तर दिया कि आईसीईएस 1.5 के कामकाज पर लेखापरीक्षा करने और अनुप्रयोग में सुधार का सुझाव देने के लिए लेखापरीक्षा निदेशालय और क्षेत्रीय संरचनाओं के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक कार्य समूह का गठन किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में गठित कार्य समूह ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसकी जांच की जा रही थी।
7	2.7	सीआरए मॉड्यूल लेखापरीक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं था	विभाग समय-समय पर सीआरए मॉड्यूल में परिवर्तन कर रहा है। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टें अभी भी लेखापरीक्षा की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हैं।
8	2.8	सिस्टम प्रबंधक द्वारा एसएसओआईडी गतिविधि की निगरानी नहीं की जा रही थी	सीबीआईसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक यूजर एक्सेस मैनेजमेंट (यूएएम) टूल विकसित किया गया है और इसका उपयोग सभी क्षेत्रीय संरचनाओं के सिस्टम प्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है।
9	2.9	आईसीईएस में कोई आरएमएस निर्यात मॉड्यूल न होना	जुलाई 2013 से, आरएमएस निर्यात मॉड्यूल लागू किया गया था। वर्तमान में, यह 252 ईडीआई सीमा शुल्क साइटों में से 250 में चल रहा है।
10	2.10	आयुक्तालय के पश्य निकासी लेखापरीक्षा (पीसीए) विंग का खराब कामकाज	मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्रीय संरचनाओं को पश्य निकासी लेखापरीक्षा और विशेष जांच और खुफिया शाखा (एसआईआईबी) के प्रदर्शन की समीक्षा करने और समग्र रिक्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करने के लिए कहा गया है। अप्रैल 2018 से, एक नया लेखापरीक्षा आयुक्तालय बनाया गया था, जो आरएमएस आयात के माध्यम से मंजूर किए गए बीई के पश्य निकासी लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।
11	2.11	लेखापरीक्षा ने आरएमएस और पीसीए के प्रदर्शन की निगरानी के लिए अपने कार्य का निर्वहन करने में लगभग सभी स्थानों पर	सीबीआईसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में कहा कि सीमा शुल्क कार्यालयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां एक स्थानीय जोखिम प्रबंधन सिस्टम होगी। स्थानीय जोखिम प्रबंधन सिस्टम, बीई और आईजीएम आदि को साक्षात संसाधित करेगी।

		एलआरएम के खराब कामकाज को पाया	
12	3.1	आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग 'डब्ल्यूएच ब्याज की गणना के लिए कार्यक्रम' में एक त्रुटि है, जिसे यदि ठीक नहीं किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूएच ब्याज के निरंतर कम उद्ग्रहण होंगे	पैरा को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि विभाग के तर्क के अनुसार गणना किया गया ब्याज एकत्र किए गए वास्तविक ब्याज के साथ मेल खा रहा है। चूंकि लेखापरीक्षा ने बिना किसी राउंड-ऑफ के शुल्क राशि से पीछे की ओर प्रतिदिन गणना किए गए ब्याज पर प्रत्यक्ष सूत्र लागू किया है, इसलिए यह कमी हुई है। लेखापरीक्षा द्वारा उत्क्रम गणना का यह फॉर्मूला गलत है और भ्रामक परिणाम उत्पन्न करता है। लोक लेखा समिति ने भी अपनी 50 वीं रिपोर्ट में कहा है कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर को ध्यान में रखते हुए इस पैरा का अनुसरण नहीं किया गया है।
13	3.2	आरएसपी आधारित निर्धारण वाले आयात के लिए आरएसपी घोषणा को लागू करने के लिए आरएसपी सत्यापन का अभाव	सीबीआईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में अभ्युक्ति को स्वीकार न करते हुए कहा कि आरएसपी अधिसूचना विशुद्ध रूप से सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) या केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीईटीएच) पर पूर्णत: आधारित नहीं है, अर्थात, ज्यादातर मामलों में विवरण कॉलम के तहत माल विवरण भी प्रासंगिक है। माल विवरण, एक गैर-संरचित क्षेत्र होने के नाते, स्वचालित सिस्टम में सत्यापन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। जीएसटी लागू होने के बाद आरएसपी आधारित निर्धारण समाप्त हो जाता है। इसलिए यह मामला वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।
14	3.3	आरएसपी की गलत घोषणा की जांच के लिए सत्यापन का अभाव	सीबीआईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में कहा कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो सीमा शुल्क अधिकारियों को लेनदेन मूल्य आधारित निर्धारण की तुलना में आरएसपी आधारित निर्धारण को अनिवार्य रूप से अस्वीकार करने का अधिकार देता हो। लागत से कम कीमत पर माल बेचना विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक निर्णय हो सकता है। जीएसटी लागू होने के बाद, आरएसपी आधारित निर्धारण समाप्त हो जाता है। इसलिए यह मामला वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।
15	3.4	अनुप्रयोग द्वारा विनिमय दरों की कई दरों की स्वीकृति	यह कहा गया था (फरवरी 2014) कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ संदेश विनिमय के माध्यम से विनिमय दर के दैनिक अद्यतन के लिए एक मॉड्यूल का परीक्षण पूरा हो गया था और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ तकनीकी मुद्दों को हल

			करने के बाद ही इसे चालू करने पर निर्णय लिया जा सकता है। डीजी (सिस्टम) ने मार्च 2021 में उत्तर दिया कि एसबीआई के साथ संदेश विनिमय के माध्यम से विनिमय दर के अद्यतन का विकास, विकास के अग्रिम चरण में है
16	3.5	केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क/विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) छूट अधिसूचनाओं और शुल्क दर निर्देशिकाओं का अद्यतन करने में विफलता/विलंब	बोर्ड ने किसी भी बदलाव के अनुसरण में निर्देशिकाओं के अद्यतन के लिए निर्देशिका प्रबंधन स्थल (डीएमएस) को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है (जून 2015) और इस तरह की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के बाद निर्देशिका अद्यतन की समकक्ष समीक्षा सिस्टम को भी मंजूरी दी है (मार्च 2017)। इस एसओपी के अनुसार, संबंधित पीयर रिव्यू साइट के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशिका की समीक्षा करेंगे कि अधिसूचना को सही ढंग से और समय पर अद्यतित किया गया है। इस आशय की ई-मेल, सूचनार्थ नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सिस्टम प्रबंधक, डीजी (सिस्टम) और डीएमएस को भेजी जाएगी।
17	3.6	विशिष्ट आईईसी/पैन की घोषणा सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन का अभाव	सीबीआईसी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2014) कि डीजीएफटी के पास आईईसी आंकड़ों का स्वामित्व है और इसकी सटीकता और वैधता का उत्तरदायित्व उनका है और इसे सीबीआईसी द्वारा डीजीएफटी को उनके स्तर पर सुधार के लिए भेजा गया था।
18	3.7	समान सीटीएच और सीईटीएच की घोषणा सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन का अभाव	सीबीआईसी ने सिफारिश को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2014 और फरवरी 2014) कि समान सीटीएच और सीईटीएच की घोषणा सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन अभी तक नहीं किया गया है। जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद सीईटीएच की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह मामला वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।
19	3.8	सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 98 के तहत आयातित वस्तुओं की घोषणा सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन का अभाव और सीईटीएच के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने की कोई सुविधा नहीं है।	सीबीआईसी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2014) कि लेखापरीक्षा से सीईटीएच पर आधारित रिपोर्ट तैयार करने के वर्तमान अनुरोध पर विचार हेतु जांच की जाएगी। जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद सीईटीएच की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह मामला वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।

20	3.9	बीई स्तर पर उद्गम देश और वस्तु स्तर पर उद्गम देश अलग-अलग थे	सीबीआईसी ने कहा कि मार्च 2013 से पहले, इस तरह के संयोजन के लिए निर्देशिका में सुविधा की अनुपस्थिति के कारण सिस्टम में देश कोड और अधिमान्य टैरिफ अधिसूचनाओं के बीच सीधा लिंकेज नहीं बनाया गया था। सिस्टम केवल पाटनरोधी अधिसूचनाओं के लिए उद्गम देश को लेने की सुविधा प्रदान कर रही थी और एंट्री बिल की संगत मद के विरुद्ध उपबंधित सीओओ के साथ इसे मान्य कर रही थी। 1 मार्च, 2013 से सभी उद्गम देश आधारित अधिसूचनाओं के लिए इस तरह के लिंकेज प्रदान किए गए हैं। इसके संबंध में एक पैरा जारी किया गया है क्योंकि सिस्टम में ऐसी विसंगति बनी हुई है।
21	3.10	प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण के लिए आईसीईएस में माल के उत्पादक का विवरण शामिल नहीं किए गए	निर्माता/विनिर्माता विवरणों के नाम से संबंधित क्षेत्र को आईसीईएस में प्रदर्शित किया जा रहा है।
22	3.11	आईसीईएस में, अधिसूचना की क्रम संख्या के साथ या तो सशर्त या बिना शर्त छूट के लिए सीटीएच का कोई सत्यापन या प्रतिचित्रण नहीं था	सीबीआईसी ने अपने उत्तर में कहा कि छूट अधिसूचना, विवरण, क्रम संख्या और शर्तों की सूची द्वारा योग्य सीटीएच के प्रति बीसीडी दरों को लागू करती है। शर्तों की सूची, साथ ही विवरण दोनों असंरचित क्षेत्र हैं, और स्वचालन के लिए अनुकूल नहीं हैं। सिस्टम में सही लाभ को तभी मान्य किया जा सकता है जब छूट अधिसूचना को सीटीएच के आधार पर परिभाषित किया गया हो। तथापि, चूंकि न तो शर्तों और न ही विवरण की मात्रा निर्धारित/संरचित की जा सकती है, इसलिए सीटीएच और अधिसूचना शुल्क दरों के संबंध में 100 *प्रतिशत* सत्यापन करना संभव नहीं है। यह सूचित किया जाता है कि 1 मार्च, 2013 से अधिसूचना निर्देशिका में छूट अधिसूचनाओं के साथ टैरिफ मदों का यथासंभव प्रतिचित्रण किया गया है।
23	3.12	आईसीईएस में, आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में अधिसूचना की क्रम संख्या के साथ सीटीएच का कोई सत्यापन या प्रतिचित्रण नहीं था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त अधिसूचना के तहत स्वीकार्य सीवीडी	जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद सीवीडी और अतिरिक्त सीमा शुल्क के बजाय आईजीएसटी का उद्ग्रहण किया जा रहा है। इसलिए यह मामला वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।

		से छूट सही ढंग से दावा किया गया था।	
24	3.13	माल को मंजूरी दी गई थी और कम शुल्क के भुगतान पर ओओसी दिया गया था। सिस्टम में जांच नहीं की गई थी	सीबीआईसी ने जनवरी 2014 की इस अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा कि शुल्क का भुगतान नकद भुगतान के साथ-साथ स्क्रिप्स के माध्यम से किया जा सकता है और लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए गए मामले वे थे जहां शुल्क को स्क्रिप के माध्यम से डेबिट किया गया था।
25	3.14	आयात दस्तावेज (बीई) के साथ-साथ निर्यात दस्तावेज (एसबी) इलेक्ट्रॉनिक रूप (ईडीआई सिस्टम के माध्यम से) के बजाय मैनुअल रूप से फाइल किए जाते हैं	मंत्रालय ने कहा कि मैन्युअल रूप से फाइल किए गए बीई और एसबी का *प्रतिशत* काफी कम है और बाधाओं को दूर करने और ईडीआई फाइलिंग को यथासंभव बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, बोर्ड ने जून 2017 में मैनुअल बीई मॉड्यूल और मैनुअल एसबी मॉड्यूल तैयार किया है और आईसीईएस 1.5 में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। इसलिए, इन मॉड्यूलों के माध्यम से आईसीईएस अनुप्रयोग में बीई/एसबी की मैन्युअल फाइलिंग भी संभरित की जा रही है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान मैनुअल रूप से संसाधित कुल बीई और एसबी, ईडीआई के माध्यम से संसाधित कुल बीई और एसबी का 0.086 *प्रतिशत* और 0.126 *प्रतिशत* थे।
26	3.15	एमओसी के 'एसईजेडऑनलाइन' पोर्टल के साथ संयोजन का अभाव	सरकार द्वारा स्वीकार किया गया {संदर्भ: एटीआर (2015-16) 50 वीं रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 01 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से अगस्त 2015 से सीईजेड ऑनलाइन सिस्टम को सीबीआईसी की ईडीआई सिस्टम के साथ एकीकृत करने की पहल की गई है। हालांकि, आईजीएम डेटा अभी तक एसईजेड ऑनलाइन में बिल ऑफ एंट्री डेटा के साथ सहसंबद्ध नहीं किया गया है और आईसीईएस 1.5 में शिपिंग बिल और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए कोई डेटा ट्रांसमिशन नहीं है।
27	3.16	आईसीईएस 1.5 में ट्रांसशिपमेंट पर जारी माल की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है	सीबीआईसी ने कहा कि आईसीईएस 1.5 में, गेटवे सी पोर्ट्स से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) में माल के ट्रांसशिपमेंट के लिए मॉड्यूल पिछले कुछ वर्षों से पहले से ही कार्यात्मक है। समुद्र से समुद्र ट्रांसशिपमेंट मॉड्यूल 7 फरवरी 2014 को लॉन्च किया गया है।

28	3.17	आईसीईएस के साथ एनआईडीबी और ईसीडीबी डेटा के एकीकरण का अभाव	आईसीईएस के किसी भी सक्रिय सर्वर और डीजीओवी के सर्वर और एनआईडीबी और ईसीडीबी के बीच कोई तालमेल नहीं है और यह आईसीईएस 1.5 के साथ एकीकृत नहीं हैं। अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया है।
29	3.18	आईसीईएस में शामिल नहीं की गई परियोजना के लिए आवश्यकता प्रमाण पत्र के प्रति आयात का विवरण	मंत्रालय ने दिनांक 3 सितंबर 2019 के परिपत्र सं 27/2019-सीमा शुल्क के माध्यम से आईसीईएस में एक परियोजना आयात मॉड्यूल शुरू किया है।
30	3.19.1	निर्यात दायित्व पूर्ति से संबंधित जानकारी अनुप्रयोग में किसी मॉड्यूल/ रिपोर्ट के माध्यम से विभाग द्वारा एकत्रित और उपयोग नहीं की जाती है	डीजी (सिस्टम) (सितंबर 2021) के उत्तर के अनुसार, आईसीईएस "ऑल इंडिया लाइसेंस व्यू" भूमिका के तहत लाइसेंस-वार जानकारी उत्पन्न करने में सक्षम है
31	3.19.2	अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं	डीजी (सिस्टम) ने अनंतिम रूप से निर्धारित बिलों को ऑनलाइन अंतिम रूप देने और अनंतिम रूप से निर्धारित बीई/एसबी को अंतिम रूप देने में लंबित मामलों की निगरानी करने के लिए अप्रैल, 2014 में आईसीईएस 15 में इंट्री पीए बिल ऑफ एंट्री को अंतिम रूप देने के लिए एक मॉड्यूल शुरू किया था। अनंतिम रूप से निर्धारण किए गए बीई को अंतिम रूप देने के लिए दो नई भूमिकाएं अर्थात निर्धारण अधिकारियों के लिए एफएओ और समूह सहायक/उप आयुक्त के लिए एफओसी बनाई गई हैं।
32	3.19.3	कम उदग्रहण मामलों में की गई कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है	बोर्ड ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में कहा कि ईडीआई सिस्टम पहले से ही बीई के ओओसी तक अपने संबंधित कॉलम में अर्थदंड और शास्ति का विवरण प्रग्रहण करने की सुविधा प्रदान करती है। फाइल संख्या, कारण बताओ नोटिस संख्या और अधिनिर्णयन आदेश का विवरण बीई की विभागीय टिप्पणियों में शामिल किया गया है।
33	3.19.4	मैनुअल चालान के माध्यम से जहां भी शुल्क डेबिट किया जाता है, ऐसे भुगतानों की जानकारी सिस्टम में अपलोड नहीं की जाती है	विभाग ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में कहा कि आईसीईएस में मैनुअल बीई के प्रति किए गए भुगतान को मैनुअल डीटीआर मॉड्यूल में कैप्चर करने का प्रावधान है जो सभी ईडीआई साइटों के पास उपलब्ध है।

34	3.19.5	आईसीईएस आवेदन के माध्यम से अतिरिक्त शुल्क जमा लगाने और एकत्र करने की कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण इसे मैनुअल रूप से अलग से एकत्र करना पड़ता है	ईडीडी की गणना 1 अगस्त 2015 से आईसीईएस में एकीकृत की गई थी। हालांकि, सीमा शुल्क परिपत्र 05/2016 द्वारा ईडीडी के उदग्रहण को बंद कर दिया गया है। इसलिए यह मामला वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।
35	4.1	थिन क्लाइंट टर्मिनलों का उपयोग	मंत्रालय ने कहा कि डीजी (सिस्टम) को सूचित किया गया है कि नई खरीद वास्तविक आवश्यकता और जनशक्ति की उपलब्धता के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी मुख्य आयुक्तालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सभी थिन क्लाइंट का उपयोग किया जाए।
36	4.2	आईसीडी, पीथमपुर में बिजली गिरने से ईडीआई हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कर्मचारियों की सुरक्षा	सीबीआईसी ने कहा (2014) कि मौजूदा अनुदेशों के अनुसार साइट तैयार करना अभिरक्षक की जिम्मेदारी है। स्थिति को हल करने के लिए की गई कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाएगी। अंतिम परिणाम ज्ञात नहीं है
37	4.3	आईसीडी, मंडीदीप (भोपाल) में ईडीआई सिस्टम के कार्य करने के लिए सीमित बिजली बैक अप	सीबीआईसी ने कहा (2014) कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क परियोजना के तहत केवल बिजली बैकअप प्रदान किया गया है। हालांकि, साइट विशिष्ट आवश्यकताओं की जांच की जाएगी और आवश्यक रूप से उचित कार्रवाई की जाएगी। अंतिम परिणाम ज्ञात नहीं है।
38	4.4	मैन्युअल रूप से फाइल किए गए बिलों का विवरण आईसीईएस में दर्ज नहीं किया गया था	सीबीआईसी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2014) कि इस तरह के डेटा दर्ज करने के लिए एक उपयोगिता उपलब्ध है। इसके अलावा, डीटीआर मॉड्यूल मैनुअल के माध्यम से बीई/ एसबी को आईसीईएस में दर्ज किया जा सकता है।
2009-10 की सीएजी प्रतिवेदन संख्या 24			
1	3.11.1	निर्यात शुल्क की गणना/ वर्गीकरण के प्रावधान का अभाव	सॉफ्टवेयर को तभी से संशोधित कर दिया गया है और सिस्टम द्वारा निर्यात शुल्क/उपकर का सही ढंग से उदग्रहण किया जा रहा है।
2	3.11.2	अतिरिक्त शुल्क जमा (ईडीडी) के संग्रहणों की अनुपलब्धता	ईडीडी की गणना, 1 अगस्त 2015 से आईसीईएस में एकीकृत की गई थी। इसके अलावा, सीमा शुल्क परिपत्र 05/2016 द्वारा ईडीडी के उदग्रहण को बंद कर दिया गया है। इसलिए यह मामला वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।
3	3.11.3	मापदंडों और मैनुअल हस्तक्षेप को पूर्णतः शामिल	मंत्रालय ने सूचित किया कि पूर्व-संशोधित डेटा का उपयोग करके सिस्टम के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा

		न करना जिससे बीसीडी का कम उदग्रहण हुआ है	बताई गई डिजाइन की कमी को लेखापरीक्षा के बाद, एक सॉफ्टवेयर पैच के माध्यम से ठीक कर दिया गया है।
4	3.11.4	उद्गम देश से संबंधित डेटा	मंत्रालय ने सूचित किया कि इस सिस्टम को दो स्थानों पर 'उद्गम देश' को कैप्चर करके और एडीडी का उदग्रहण करने के लिए 'वस्तु' स्तर पर मूल्य का उपयोग करके उचित रूप से डिजाइन किया गया है। तदनुसार, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया कोई कम उदग्रहण, निर्धारण कमी के कारण हो सकता है।
5	3.11.5	एसबी डीईपीबी वस्तुओं पर निर्यात सामान्य मैनिफेस्ट (ईजीएम) से मेल नहीं खाता है	मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि ईजीएम त्रुटि को ठीक करने के बाद भी, एसबी की वर्तमान स्थिति को सिस्टम में बेमेल के रूप में दिखाया जाना जारी रहा, जिसे बाद में एनआईसी द्वारा ठीक किया गया था।
6	3.11.6	पैकिंग प्रभारों की मुद्रा	मंत्रालय ने अपने उत्तर में पैकिंग प्रभारों को भारतीय रुपये में कैप्चर करने के लिए सिस्टम में प्रावधान करने पर सहमति व्यक्त की। शिपिंग बिलों की नमूना जांच से पता चला कि सिस्टम पैकिंग प्रभारों को कैप्चर कर रहा है
7	3.11.7	लाइसेंस के प्रति आयातित वस्तुओं की संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण संहिता (आरआईटीसी) के साथ जांच नहीं की गई	आरआईटीसी युक्त डीजीएफटी द्वारा डेटा को ऑनलाइन/इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जा रहा है। तथापि, विभाग ने कहा है कि लाइसेंस और बीई में आरआईटीसी के मिलान से संबंधित सत्यापन से व्यापार करने में कठिनाई उत्पन्न होगी।
8	3.11.8	वेयरहाउस से निकासी किए माल पर ब्याज को सिस्टम में नहीं बनाया गया था	वेयरहाउस माल के संबंध में ब्याज की गणना और संग्रहण आईसीईएस 1.5 में किया जा रहा है।
9	3.12.1	एजेंसी कमीशन, माल के मूल्य के 12.5 *प्रतिशत* तक सीमित नहीं था	सिस्टम द्वारा एजेंसी कमीशन को 12.5 *प्रतिशत* तक सीमित किया जा रहा है।
10	3.12.2	यदि राशि या प्रतिअदायगी की दर एफओबी मूल्य के एक *प्रतिशत* से कम है, तो प्रतिअदायगी की किसी राशि को अनुमति नहीं दी जाएगी	मंत्रालय ने अपने उत्तर में आश्वासन दिया कि सिस्टम में बनाए गए (ईलेक्ट्रोनिक) तर्क में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। इसके अलावा, इस प्रतिबंध को 2017 से प्रतिअदायगी शेड्यूल में हटा दिया गया है।
11	3.12.3	आयातित जूते के संबंध में सीवीडी के उपशमन को सिस्टम में सही तरीके से मैप नहीं किया गया था	जीएसटी लागू होने के बाद से, आरएसपी गणना को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए यह मामला वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।

12	3.13.1.1.i	निर्धारण योग्य मूल्य की गलत गणना। माल भाड़ा/बीमा के संबंध में शून्य या व्यर्थ मानों की स्वीकृति	मंत्रालय ने इस अभ्युक्ति पर सहमति व्यक्त करते हुए सूचित किया कि सॉफ्टवेयर पैच के कार्यान्वयन के बाद से दोष को ठीक कर लिया गया है।
13	3.13.1.1.ii	माल भाड़ा/बीमा के प्रति कम *प्रतिशत* मूल्यों की स्वीकृति	मंत्रालय ने कहा कि माल भाड़ा/बीमा के कम *प्रतिशत* को स्वीकार करने में कोई रोक नहीं है, यदि इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं और ये दस्तावेज सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन हैं।
14	3.13.1.2	अधिसूचना के लाभ	मंत्रालय ने कहा कि अधिसूचना/सीटीएच, सीईटीएच के संबंध में 100% सत्यापन संभव नहीं है।
15	3.13.1.3	कई योजनाओं के तहत लाइसेंसों को डेबिट करना	मंत्रालय ने कहा कि सॉफ्टवेयर पैच के कार्यान्वयन द्वारा योजना कोड के समूहीकरण के बजाय योजना कोड का सत्यापन किया जाता है।
16	3.13.1.4	विशेष सीवीडी की छूट प्रदान करना	जीएसटी लागू होने के बाद से विशेष सीवीडी को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए यह मामला वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।
17	3.13.1.5	आरएसपी पर आधारित सीवीडी	जीएसटी लागू होने के बाद से आरएसपी आधारित निर्धारण को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए यह मामला वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।
18	3.14.1	परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण-सीटीएच और सीईटीएच का मिलान न होना	जीएसटी लागू होने के बाद से सीईटीएच को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए यह मामला वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।
19	3.14.2	अधिसूचना मास्टर तालिकाओं का अद्यतन न होना	इस मामलें को आईसीईएस 1.5 में संबोधित किया गया है। सभी निर्देशिकाओं को केंद्रीय रूप से अद्यतित किया जाता है और ये सभी साइटों के लिए तुरंत उपलब्ध होती है।
20	3.14.3	ड्रॉबैक अनुसूची का गलत अद्यतन	मंत्रालय ने अपने उत्तर में इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ड्रॉबैक अनुसूची में प्रविष्टियों की बड़ी संख्या के कारण अद्यतन के दौरान कुछ विसंगतियां हो सकती हैं और इन विसंगतियों पर रिपोर्ट की जा रही ऐसी विसंगतियों को ठीक किया जाता है। नमूना जांच से पता चला कि सिस्टम निर्धारित ड्राबैक शेड्यूल दरों का विवरण प्राप्त कर रहा है।
21	3.15.1	निर्धारण और संग्रहण फ़ाइलों के बीच अंतर	मंत्रालय ने कहा कि यह संभव है कि एकत्र की गई राशि निर्धारण किए गए शुल्क से कम (नौ रुपये तक) थी, क्योंकि सिस्टम, शुल्क भुगतान को स्वीकार करता है, यदि भुगतान की गई राशि 'दहाई' स्तर तक मेल खाती है। इसमें आगे कहा गया है कि पश्य निकासी लेखापरीक्षा आदि के लिए चयनित गए बीई के लिए

			शुल्क की फिर से गणना की जा सकती है। हालांकि, असंगति किसी भी डिजाइन की कमी के कारण नहीं है।
22	3.15.2	एक्स-बॉन्ड बीई में, शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज की गणना सिस्टम द्वारा नहीं की गई थी	इस पैरा का निपटान नवंबर, 2009 में लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था। इसके अलावा, ब्याज की गणना सिस्टम द्वारा की जा रही है।
23	3.15.3	मद-वार शुल्क की गणना नकारात्मक आंकड़े में थी	विभाग द्वारा समस्या को ठीक कर दिया गया था।
24	3.16.i	डेटाबेस का इसकी क्षमता के अनुसार उपयोग नहीं किया गया - बांड रजिस्टर का रखरखाव	आईसीईएस 1.5 में बॉन्ड रजिस्टरों का रखरखाव किया जा रहा है। जब कभी लेखापरीक्षा में बांडों के संबंध में आंकडे मांगे जाते हैं तो रिपोर्टें सृजित की जाती हैं और प्रस्तुत की जाती हैं।
25	3.16.ii	माल की विलंबित निकासी के लिए बांड ब्याज के उदग्रहण की गणना की गई थी और मैन्युअल रूप से एकत्र किया गया था	ब्याज का उदग्रहण, गणना और संग्रहण को आईसीईएस 1.5 के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है।
26	3.16.iii	अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने को मैन्युअल रूप से अंतिम रूप दिया जा रहा था	अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए आईसीईएस में मॉड्यूल जोड़ा गया है।
27	3.17	प्रलेखन का अद्यतन न होना	एसआरएस /एसडीडी को आखिरी बार वर्ष 2010 में अद्यतित किया गया था और सीमा शुल्क उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका को भी अंतिम बार वर्ष 2013 में अद्यतित किया गया था। ये विभाग के पास उपलब्ध नवीनतम संस्करण हैं।
28	3.18	व्यापार निरंतरता योजना	मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि क्षेत्र संरचनाओं को बैकअप टेप/कारटेज सुरक्षित रखने के निर्देशों को पुनः दोहराया जाएगा। इसमें आगे बताया गया है कि दिल्ली में एक डेटा सेंटर और चेन्नई में आपदा बहाली केंद्र स्थापित किया गया है और जो धीरे-धीरे मौजूदा आईसीईएस स्थान, डेटा सेंटर में स्थानांतरित हो जाएंगे। इसके अलावा, यह सिस्टम इंटीग्रेटर के कार्य का एक हिस्सा है और एसआई को संविदा लेखापरीक्षा टीम द्वारा किया जा रहा है।

अनुलग्नक II

डेटा डंप प्रस्तुत करने और डेटा प्रश्नों के धीमे निष्पादन से संबंधित बाधाएं

(संदर्भ पैरा 1.8.5)

क्र. सं.	डेटा प्रश्नों का विवरण	क्या डीजी (सिस्टम) से डेटा प्राप्त हुआ	क्या प्रश्न सफल हुआ/ विफल हुआ	विवरण संक्षेप में
1	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) तक की एसबी का विवरण जहां आरएमएस ने मूल्यांकन के लिए एसबी को चिह्नित किया और मूल्यांकन के बिना एसबी को मंजूरी दे।	हाँ	जांच नहीं की जा सकी।	विभाग ने डेटा .txt प्रारूप में प्रस्तुत किया। इसलिए, डेटा की जांच नहीं की जा सकी।
2	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) तक की एसबी का विवरण जहां आरएमएस ने जांच के लिए एसबी को चिह्नित किया और बिना जांच के एसबी को मंजूरी दे दी।	हाँ	सफल हुआ	एसबी का विवरण जानने के लिए जहां आरएमएस ने जांच के लिए एसबी को चिह्नित किया या बिना जांच के एसबी को मंजूरी दे दी। विभाग द्वारा एक प्रश्न चलाया गया था और 809 रिकॉर्ड प्राप्त किए गए थे। विश्लेषण करने पर, यह देखा गया कि इन मामलों में जहां कहीं भी आवश्यक हो, बिना जांच के कोई लेट एक्सपोर्ट ऑडर(एलईओ) जारी नहीं किया गया है।
3	उन लाइसेंसों के संबंध में बीई का विवरण जिसमें आयात की अंतिम तिथि दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) तक थी और आयात की अंतिम तिथि के बाद आयात की अनुमति थी।	हाँ	विफल हुआ	उन लाइसेंसों के लिए डेटा मांगा गया था जिनमें आयात की अंतिम तिथि दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) तक थी और उसके बाद आयात की अनुमति थी। 31 प्राधिकारों/50 बीई के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की गई थी (मार्च 2023); विभाग की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। इसे आगामी लेखा परीक्षा में जांचा जाएगा।
4	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) की अवधि के दौरान उन एसबी का विवरण जहां सीटीएच के लिए एसक्यूसी प्रथम अनुसूची के अनुसार नहीं है।	नहीं	लागू नहीं।	विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा खोला नहीं जा सका।

क्र. सं.	डेटा प्रश्नों का विवरण	क्या डीजी (सिस्टम) से डेटा प्राप्त हुआ	क्या प्रश्न सफल हुआ/ विफल हुआ	विवरण संक्षेप में
5	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) की अवधि के दौरान उन एसबी का विवरण जहां निर्यातक जीएसटी करदाता हैं, लेकिन एसबी में जीएसटीआईएन की घोषणा नहीं की है।	हाँ	लागू नहीं	दिया गया डेटा वर्ष 2015 की अवधि से संबंधित था। इसलिए, गलत डेटा के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका।
6	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) की अवधि के दौरान की शिपिंग बिलों का विवरण जिसमें नमूना तैयार किया गया था और ईजीएम को परीक्षण रिपोर्ट दर्ज करने से पहले/पहले दिया गया था	हाँ	सफल हुआ।	डीजी (सिस्टम) ने 456 रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। विश्लेषण करने पर, यह पाया गया कि नमूना डेटा की तारीख ईजीएम की तारीख से पहले सही ढंग से दर्ज की गई थी।
7	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) तक के इलेक्ट्रॉनिक रूप से संशोधित आईजीएम मामलों की रिपोर्ट जहां शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है	प्रश्नों का विस्तार नहीं किया जा सका।	लागू नहीं	विभाग ने सूचित किया कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से संशोधित आईजीएम मामलों के लिए आइसगेट में ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया गया था जहां शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।
8	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) तक सभी आयातों के मामलों की रिपोर्ट जहां 'आरएमएस द्वारा चयनित बीई' से संबंधित फ़ील्ड शून्य है।	हाँ	विफल हुआ।	10,309 अभिलेखों (मार्च 2023) के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी की गई थी; विभाग की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। इसे आगामी लेखा परीक्षा में जांचा जाएगा।
9	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) तक घरेलू खपत वाली बीई के डेटा का विवरण जहां शुल्क/टैरिफ मूल्य बीई फाइलिंग तिथि पर प्रचलित शुल्क/टैरिफ मूल्य की दर के बराबर नहीं है	हाँ	विफल हुआ।	2,352 बीई (मार्च 2023) के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी की गई थी; विभाग की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। इसे आगामी लेखा परीक्षा में जांचा जाएगा।
10	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) तक की धारा 68 के तहत क्लियर किए गए एक्स-बॉन्ड बीई डेटा का विवरण जहां शुल्क की दर / टैरिफ मूल्य एक्स-बॉन्ड बीई तिथि पर प्रचलित	हाँ	विफल हुआ।	151 अभिलेखों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी की गई थी(मार्च 2023); विभाग की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। इसे आगामी लेखा परीक्षा में जांचा जाएगा।

क्र. सं.	डेटा प्रश्नों का विवरण	क्या डीजी (सिस्टम) से डेटा प्राप्त हुआ	क्या प्रश्न सफल हुआ/ विफल हुआ	विवरण संक्षेप में
	शुल्क की दर / टैरिफ मूल्य के बराबर नहीं है			
11	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) के संबंध में बीई दाखिल करने की तारीख और माल के आवक में प्रवेश की तारीख पर अग्रिम / पूर्व बीई दर्ज किए गए मामलों का विवरण	हाँ	सफल हुआ।	कोई मामला संज्ञान में नहीं आया।
12	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) तक के वेयरहाउसिंग बीई डेटा और संबंधित एक्स-बॉन्ड बीई का विवरण जहां कुल मदवार मात्रा मदवार वेयरहाउसिंग बीई मात्रा के बराबर नहीं है	हाँ	सफल हुआ।	विश्लेषण पर प्रदान किए गए डेटा में कोई विसंगति नहीं देखी गई।
13	दिनांक 01/03/2020 से 31/03/2020 की अवधि के लिए एसबी का विवरण जहां एफओबी मूल्य में जोड़ा गया है कमीशन, चालान मूल्य के 12.5 *प्रतिशत* से अधिक है।	हाँ	लागू नहीं।	एसबी का विवरण जानने के लिए जहां एफओबी मूल्य में जोड़ा गया है कमीशन, चालान मूल्य के 12.5 *प्रतिशत* से अधिक है, विभाग द्वारा एक प्रश्न चलाया गया था और 159 रिकॉर्ड प्राप्त किए गए थे। विश्लेषण करने पर, यह पाया गया कि कॉलम-विदेशी मुद्रा में एफओबी मूल्य, कॉलम-आईएनआर में एफओबी मूल्य और भुगतान किया गया ड्राबैक उपलब्ध नहीं था।
14	दिनांक 01/03/2020 से 31/03/2020 की अवधि के लिए एसबी का विवरण जहां भुगतान किया गया ड्रॉबैक, प्रति यूनिट ड्राबैक कैप पर गणना की गई वापसी से अधिक है	हाँ	लागू नहीं।	विभाग द्वारा एक प्रश्न चलाया गया और 5,88,210 रिकॉर्ड प्राप्त किए गए। विश्लेषण करने पर, यह पाया गया कि डेटा आइटम स्तर के बजाय एसबी स्तर पर प्रस्तुत किया गया था।
15	दिनांक 01/03/2020 से 31/03/2020 की अवधि के लिए एसबी का विवरण जहां शुद्ध वजन सकल वजन से अधिक है	हाँ	सफल हुआ।	विभाग द्वारा एक प्रश्न चलाया गया और 12 अभिलेख प्राप्त किए गए। विश्लेषण करने पर, यह देखा गया कि ये शिपिंग बिल, संशोधित शिपिंग बिल थे। तदनुसार, कोई अवलोकन नहीं किया गया था।

क्र. सं.	डेटा प्रश्नों का विवरण	क्या डीजी (सिस्टम) से डेटा प्राप्त हुआ	क्या प्रश्न सफल हुआ/ विफल हुआ	विवरण संक्षेप में
16	दिनांक 13/06/2019 से 17/06/2019 तक सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 16/2019 (दिनांक 15/06/2019) के तहत सीटीएच 0713 40 00, 2810 00 20 और 3822 00 90 के अन्तर्गत आयातित माल का विवरण	हाँ	लागू नहीं।	बीई तिथि के बजाय आउट ऑफ चार्ज तिथि के लिए डेटा प्रदान किया गया था। इसके अलावा, प्रदान किया गया बीई डेटा अधिसूचना की तारीख (15 जून 2019) से पहले की तिथि का था।
17	दिनांक 28/01/2019 से 01/02/2019 तक सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 02/2019 (दिनांक 29/01/2019) के तहत सीटीएच 8507 60 00, 8517 62 90 और 8517 69 90 के अन्तर्गत आयातित माल का विवरण	हाँ	सफल	बीई तिथि के बजाय आउट ऑफ चार्ज तिथि का डेटा प्रदान किया गया था। 530 अभिलेखों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। चौदह अभिलेखों की जांच की गई और उन्हें सही पाया गया।
18	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) तक सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 36/2001 (सीमा शुल्क - एनटी) यथा संशोधित के तहत आयातित माल का विवरण।	नहीं	लागू नहीं	डेटा प्राप्त नहीं हुआ।
19	01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) तक आयातित माल का विवरण जहां डंपिंग रोधी शुल्क / सुरक्षित गार्ड शुल्क लगाया गया है	नहीं	लागू नहीं	डेटा प्राप्त नहीं हुआ।
20	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (6 महीने) तक के उन मामलों का विवरण जिनमें जांच के लिए चार्ज बीई से बाहर के आदेश दिए गए हैं।	नहीं	लागू नहीं	डेटा प्राप्त नहीं हुआ।
21	दिनांक 01/11/2019 से 31/03/2020 (पांच महीने) की अवधि के लिए बीई का विवरण जहां मूल्यांकन के एक दिन (छुट्टियों को छोड़कर) के बाद शुल्क का भुगतान किया गया था	हाँ	विफल हुआ।	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी की गई (मार्च 2023); विभाग की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। इसे भविष्य की लेखा परीक्षा में आगे बढ़ाया जाएगा।

क्र. सं.	डेटा प्रश्नों का विवरण	क्या डीजी (सिस्टम) से डेटा प्राप्त हुआ	क्या प्रश्न सफल हुआ/ विफल हुआ	विवरण संक्षेप में
22	यह जांच करने के लिए कि आरएमएस निर्यात जांच के लिए एसबी का चयन नहीं कर रहा है जहां निर्यात माल केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों की देखरेख में भरा हुआ कारखाना है। दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) की अवधि के एसबी का विवरण जहां माल कारखाने में भरा हुआ है और आरएमएस जांच के लिए चिह्नित है	हाँ	सफल हुआ।	डीजी (सिस्टम) ने 18 एसबी से संबंधित 1,000 रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। विश्लेषण करने पर, यह पता चला कि आरएमएस द्वारा कारखाने में भरी गई खेपों का भी चयन किया जा रहा था।
23	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) तक संशोधित बिल ऑफ एंट्री के संबंध में विवरण	हाँ	लागू नहीं	प्रारूप मुद्दों के कारण प्रस्तुत किए गए डेटा की जांच नहीं की जा सकी।
24	दिनांक 01/10/2019 से 31/03/2020 (छह महीने) तक की बिल्स् ऑफ एंट्री के संबंध में विवरण जहां भुगतान किया गया शुल्क, निर्धारित/देय शुल्क से कम है।	हां	विफल हुआ।	11,214 अभिलेखों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी की गई थी (मार्च 2023); विभाग की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। इसे आगामी लेखा परीक्षा में जांचा जाएगा।
25	दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2020 की अवधि के लिए वेयरहाउसिंग और संबंधित एक्स-बॉन्ड बीई डेटा का विवरण जहां आयात किए गए माल के वेब लेजर की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए और उस पर लगाए गए/भुगतान किए गए ब्याज के साथ मंजूरी दे दी गई है।	हाँ	लागू नहीं।	केवल नमूना डेटा दिया गया है। 90 दिनों से कम - 631 90 दिनों से अधिक - 363 विभाग ने तीन बंदरगाहों (आईएनएकेवी6-अंकलेश्वर (गुजरात), आईएनएपीएल6-दादरी-एसीपीएल सीएफएस, आईएनएएमडी4 - अहमदाबाद) के संबंध में डब्ल्यूबीई-आइटम स्तर और एक्सबॉड-बीई स्तर पर 1,000 का केवल नमूना डेटा दिया है। क्या ब्याज की गणना, लगाया गया और सही ढंग से एकत्र किया गया था, इसका पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि डेटा में शुल्क का विवरण कैप्चर नहीं किया गया है।

क्र. सं.	डेटा प्रश्नों का विवरण	क्या डीजी (सिस्टम) से डेटा प्राप्त हुआ	क्या प्रश्न सफल हुआ/ विफल हुआ	विवरण संक्षेप में
26	दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2020 की अवधि के लिए पुन: निर्यात बीई और संबंधित एसबी के संबंध में डेटा यह सत्यापित करने के लिए कि विभिन्न पुनर्निर्यात अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया है या नहीं।	हाँ	विफल हुआ।	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी की गई (मार्च 2023); विभाग की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। इसे आगामी लेखा परीक्षा में जांचा जाएगा।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in